खण्ड-440, अंक-3
शुक्रवार, 6 आश्विन, शक संवत् 1923
(28 सितम्बर, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2001)

खण्ड 440 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य		क
लखनऊ में हुये दंगे तथा गोली काण्ड प्रकरण को उठाने का प्रयास ... (जारी)..		1–2
प्रश्नोत्तर		2–44
विधान सभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा नव निर्वाचित उपाध्यक्ष डा० अम्मार रिज़वी को बधाई		44–46
लखनऊ में हुए दंगे तथा गोली काण्ड प्रकरण को उठाने का प्रयास ...		46
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं		47
जनपद हरदोई में हरदोई फर्रुखाबाद मार्ग पर रोडवेज बसों को साण्डी हरपालपुर से चलवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		47
जनपद मुरादाबाद के विद्युत सब स्टेशन रतनपुर कला से विद्युत तार की चोरी होने तथा जूनियर इंजीनियर द्वारा धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		47–48
जनपद फैजाबाद के ग्राम द्वारिकापुर में ग्राम समाज की भूमि को सुनियोजित योजनान्तर्गत अवैध व्यक्तियों को दिये जाने की कार्यवाही एस०डी०एम० सदर फैजाबाद द्वारा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		48
ग्राम रामपुर गोनहा कुशीनगर में चकबन्दी प्रक्रिया पैमाइश पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...		48–49
जनपद मिर्जापुर के स्वैच्छिक संस्थाओं के मानदेय का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...		49
जनपद देवरिया के ग्राम करहकोल में नवीन परती की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		49–50
डी०आर०डी०ए० कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...		50
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सूखे की चपेट में होने के कारण सरकारी वसूली स्थगित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...		50
सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों का समयमान वेतनमान सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा अब तक न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		51
देवरिया जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा मजदूरों की मजदूरी न भुगतान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		51–52
राजस्व विभाग के लेखपालों को मिलने वाले प्रोन्नत वेतनमान में नवीन शासनादेश में विसंगति होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना		52

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में गंगा नदी के कटान से छेछुआ ग्राम को समाप्त होने से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	52–53
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53
जी०पी०ओ० पार्क लखनऊ स्थित सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पीछे भारत के मानचित्र को सही न दिखाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53–54
लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में बोरिंग के लिये रिंग मशीनों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
जनपद चित्रकूट में सिरावल मार्का पम्प नहर के सिल्ट सफाई एवं पट्टी मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	55
राजकीय कन्या विद्यालय बाराबंकी में विज्ञान वर्ग की छात्राओं से अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
जनपद फतेहपुर में थाना गाजीपुर के गांव शाह के मजरे गोपालपुर में गांव के ही व्यक्ति द्वारा लूट-पाट एवं डकैती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	55–56
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को स्वीकृत अनुरक्षण अनुदान यथावत रखने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56
चित्रकूट धाम मण्डल में पुलिस प्रशासन की गलत नीति के चलते अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व अल्प-संख्यक वर्ग के ऊपर अत्याचार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	56–57
जनपद बांदा की तहसील बांदा में ग्राम भरखरी के कोटेदार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर वस्तुएं बेचने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद शाहजहांपुर में तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों (प्रशासनिक) द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
जपनद महोबा के पिपरामऊ के कृषकों के पुनर्वास एवं सिचाई की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
लखनऊ, जौनपुर व बिजनौर के संविलीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अतिथि प्रवक्ताओं/अंशकालिक शिक्षकों तथा कर्मचारियों का प्रचलित कालेज में योगदान के लम्बित प्रकरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जिला पंचायत मथुरा में अडींग का ठेका के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59–60
राज्य सम्पत्ति विभाग की सचिवालय कालोनी महानगर में अतिक्रमण की बढ़ती समस्याओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	60

विषय	पृष्ठ-संख्या
सी०एच०जी० पद धारकों को जनपद बाराबंकी के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में उचित मानदेय न दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60–61
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	61
उत्तर प्रदेश मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2001 (सदन के पटल पर रखी गई)	61
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001 (सदन के पटल पर रखी गई)	61
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) नियमावली, 2001 (सदन के पटल पर रखी गयी)...	61–62
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गई) ...	62
वर्ष 2001 के प्रथम सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	62–63
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	63–64
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	64–70
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान ...	
अनुदान संख्या–1–आबकारी विभाग (स्वीकृत)	70
अनुदान संख्या–2–आवास विभाग (स्वीकृत) ...	70
अनुदान संख्या–3–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	71
अनुदान संख्या–4– उद्योग विभाग (खाने और खनिज) (स्वीकृत) ...	71
अनुदान संख्या–5– उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	71
अनुदान संख्या–6– उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	71–72
अनुदान संख्या–7– उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	72
अनुदान संख्या–8– उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) (स्वीकृत) ...	72
अनुदान संख्या–9– ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	72
अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत) ...	73
अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	73
अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	73
अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)...	73–74
अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)...	74
अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	74
अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ...	74
अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	75

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ...	75
अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	75
अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	75–76
अनुदान संख्या–22–खेल विभाग (स्वीकृत)	76
अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) ...	76
अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	76
अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	76–77
अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) ...	77
अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)...	77
अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)..	77
अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	78
अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	78
अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	78
अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ...	79
अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	79
अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	79
अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग (स्वीकृत)	79–80
अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग (स्वीकृत)	80
अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	80
अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग (स्वीकृत)	80
अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग (स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	81
अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	81–82
अनुदान संख्या–48–मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	82
अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	82
अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ...	82
अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	83
अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	83
अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	83
अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) ...	83–84
अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	84
अनुदान संख्या–60–वन विभाग (स्वीकृत)	84
अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	84

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ...	85
अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)...	85
अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ...	85
अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) ...	85–86
अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ...	86
अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	86
अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	86
अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) ...	87
अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	87
अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) ...	87
अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	87–88
अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)... ...	88
अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	88
अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	89
अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	89
अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ...	89
अनुदान संख्या–85–सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) ...	89–90
अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग (स्वीकृत) ...	90
अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	90
अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...	90
अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत) ...	91
अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	91
अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	91
अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	91–92
अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	92
उत्तर प्रदेश विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 (पारित) ...	92–100
उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2001 (पारित)	100–135
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित)...	136–137

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	138–139
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	140–141
उत्तर प्रदेश जगद्गुरू राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 (पारित)	142–161
श्री मोख्तार अंसारी को पर्याप्त सुरक्षा दिये जाने की मांग... ...	162–163
उत्तरा प्रदेश महर्षि सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 (पारित) ..	164–184
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	184–187
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 (पारित) ...	187–189
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी मध्यवर्ती जनपद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के संबंध में श्री संजय गर्ग आदि द्वारा दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन	189
उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यावधि के संबंध में श्री प्रमोद कुमार के औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	189
विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय...	189–190
लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री के०के० अग्रवाल तथा अवर अभियन्ता श्री खलील उल्लाह के विरुद्ध श्री जगदीश नारायण राय द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	190–191
जिलाधिकारी बागपत के विरुद्ध श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	191–192
अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री के विरुद्ध श्री बुनियाद हुसैन अंसारी द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	192–193
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	193–196
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	196
राष्ट्रगान	197
नत्थियां	198–199

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
2–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
3–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
4–अशोक कुमार, श्री — जौनपुर
5–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
6–आर०के० चौधरी, श्री — लखनऊ
7–आर० के० सिंह पटेल, श्री — बांदा
8–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
9–कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
10–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
11–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
12–कासिम हसन, श्री — फतेहपुर
13–कृष्णपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
14–गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
15–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
16–चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
17–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
18–देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
19–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
20–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
21–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
22–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूं
23–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
24–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
25–बांके लाल सोनकर, श्री — जौनपुर
26–भरत सिंह, श्री — बलिया
27–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूँ
28–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
29–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
30–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
31–मुराद लारी, श्री — देवरिया
32–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
33–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर — प्रतापगढ़
34–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
35–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
36–राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
37–रामआसरे पासवान, श्री — बस्ती
38–राम सेवक सिंह, श्री — इलाहाबाद
39–राम हर्ष सिंह, श्री — सुल्तानपुर
40–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
41–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
42–वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
43–श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
44–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
45–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर

प्रदेश आयोग

शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

लखनऊ में हुए दंगे तथा गोलीकाण्ड प्रकरण को उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

पूरे प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो चुकी है जिस तरह से दंगा कराने की साजिश की जा रही है पूरे प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है, (व्यवधान)

। नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर नेता विरोधी दल, श्री प्रमोद कुमार, श्री दद्दू प्रसाद, श्री अनीस खां, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री विजय प्रकाश, श्री मोख्तार अंसारी आदि विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने से सदन में व्यवधान बना रहा ।।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, इस सम्बन्ध में आपकी सूचना आयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

कल भी यहां पर कानून व्यवस्था की चर्चा चल रही थी, कल के दंगे में कुछ लोग मारे गये हैं दर्जनों घायल हो गये हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस सम्बन्ध में आपकी सूचना आयी है वह नियम–56 में चयनित कर ली गयी है । इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने सूचना दी हैं, इस सूचना को नियम–56 में पहली सूचना के रूप में चयनित कर लिया गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह [xxx] सरकार बनाने की अभी से [xxx] कर रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर समाचार-पत्र दिखाते हुए एक साथ बोलने से निरन्तर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अध्यक्ष–

कुछ औपचारिक कार्य हैं उसके बाद नियम–56 आ जाएगा, थोड़ा सहयोग दे दें आधे-पौन घण्टे में नियम–56 आ जाएगा, फिर एक सुसंगत तरीके से आपके विचार आ जायेंगे, सदन की कार्यवाही चलने दें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

दर्जनों लोग गिरफ्तार हो गये हैं पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो गयी है ।

(विपक्ष के कई सदस्य श्री दद्दू प्रसाद, राम अचल राजभर, श्री श्रीराम पाल, अफरोज अली खां, राम ललित चौधरी आदि सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री प्रमोद कुमार–

कई लोग मारे गये हैं, दंगे की साजिश हो रही है.....

(लाठी डण्डों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे माननीय सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर लगाये जा रहे थे ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नेपाल से बहने वाली नदियों से आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु कार्य योजना

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नैपाल से बहने वाली नदियों से आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या यह सही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में विगत वर्षों में आने वाली भयंकर बाढ़ से करोड़ों रुपये तथा सैकड़ों की संख्या में धन-जन की हानि हुई है ? यदि हां, तो इसके निराकरण के क्या उपाय किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

x x जी हां ।

बाढ़ की समस्या के निदान हेतु नदियों पर जलाशय एवं उनके किनारों पर तटबन्ध बनाने की कार्य योजना है । विगत वर्षों में नदियों के किनारों पर तटबन्ध एवं अन्य बाढ़ सुरक्षा कार्य कराये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

नोटः– उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में घट रहे विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की मांग

*1–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में लगातार विद्युत उत्पादन घट रहा है ? यदि हां, तो इसके घटने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार विद्युत उत्पादन व मांग में संतुलन कायम रखने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में तापीय एवं जल विद्युत उत्पादन का कुल कितना लक्ष्य रखा गया है और उसके लिये क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

विगत तीन वर्षों में तापीय विद्युत एवं जल विद्युत उत्पादन की स्थिति निम्नवत् रही है :–

वर्ष	विद्युत उत्पादन मि०यू०		
	तापीय विद्युत	जल विद्युत	कुल
1998-99	18742	6170	24912
1999-2000	18960	5260	24220
2000-2001	19584	5251	24835

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अन्तर्गत आने वाले तापीय विद्युत गृहों का उत्पादन घट नहीं रहा है । उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० का विद्युत उत्पादन घटा है । कुल विद्युत उत्पादन वर्ष 1999-2000 में कम रहा है ।

जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन पानी की उपलब्धता के अनुसार किया जाना सम्भव है । वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में पानी की उपलब्धता मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में कम रही है, इस कारण उक्त वर्षों में विद्युत उत्पादन में कमी आयी है ।

जी हां ।

विद्युत उत्पादन व मांग में सन्तुलन कायम रखने के दृष्टिकोण से नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण द्वारा वर्तमान तापीय विद्युत गृहों के प्लांट लोड फैक्टर (पी०एल०एफ०) सुधार, नई तापीय परियोजना तथा निजी विकास कर्ताओं के माध्यम से अधिक विद्युत उत्पादन करने की योजनायें प्रस्तावित हैं । विद्युत मांग एवं उत्पादन के मध्य कमी को पूरा करने हेतु उक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय सेक्टर की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से प्रदेश के अंश की विद्युत आयात की जाती है । भविष्य में स्थापित होने वाली केन्द्रीय सेक्टर की विद्युत परियोजनाओं से प्रदेश के अंश की विद्युत की मात्रा में वृद्धि सम्भवित है ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम स्वरूप नहीं दिया गया है ।

जनपद इलाहाबाद के कुम्भ मेला में आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था पर व्यय का विवरण

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001 के महाकुम्भ मेला इलाहाबाद में करोड़ों तीर्थ यात्रियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभिन्न होटल व्यवसायियों को मेला क्षेत्र में जमीन उपलब्ध करायी गई थी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि होटल काक्स एण्ड किंग को बिना शासन की अनुमति से जिलाधिकारी मेला एवं आयुक्त द्वारा जमीन उपलब्ध कराई गई ? क्या मेला क्षेत्र में टेन्ट तथा मूर्तियां लगाने के लिये जिलाधिकारी मेला द्वारा करोड़ों रुपये के टेन्ट का ठेका लालूजी टेन्ट वाले को दे दिया था ? यदि हां, तो इसके फलस्वरूप शासन को कुल कितने करोड़ रुपये की हानि पहुंची ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

आवास एंवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी हां ।

कुम्भ मेला, इलाहाबाद 2001 में आने वाले तीर्थ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु देशी विदेशी पर्यटकों/निम्नलिखितत होटल व्यवसायियों को रु० 25,000/–प्रति बीघा की दर से भूमि आवंटित की गई थी :–

होटल व्यवसायी का नाम	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल	सेक्टर की संख्या	ली गई धनराशि
1–कुम्भ विलेज	3 बीघा	9	75,000
2–काकस एण्ड किंग्स इंडिया लि० जयपुर	12 बीघा	9	3,00,000
3–सरकारी हिमालयन एकसारेशन लि० जीवनतारा बिल्डिंग पालिर्यामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।	6 बीघा	11	1,50,000

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 की धारा 8 के अन्तर्गत मेला अधिकारी को भूमि आवंटन करने एवं उसका किराया निर्धारित करने हेतु अधिकार प्राप्त है । इस प्राविधान के अनुसार शासन की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है ।

कुम्भ मेले के अवसर पर टेन्ट लगाने का कोई ठेका नहीं दिया गया वरन् टेन्ट, फर्नीचर व अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु नियमानुसार निविदायें आमंत्रित की गई और दरों के निर्धारण के फलस्वरूप किराया क्रय सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेश दिये गये । मेला प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही शासन के विभिन्न विभागों द्वारा टिनटेन्टेज की सम्पूर्ति विभिन्न ठेकेदारों से ली गई । मेला प्रशासन द्वारा मेसर्स लल्लू जी एण्ड सन्स से विभिन्न सेक्टरों में सेक्टर कार्यालयों एवं मुख्य कार्यालय की स्थापना, साधु सन्तों, आने वाले तीर्थ यात्रियों हेतु आवसीय व्यवस्था हेतु टेन्टेज, टिन निर्माण कार्य बैरीकेडिंग फर्नीचर आदि की सम्पूर्ति नियमानुसार निविदायें आमंत्रित करके ली गई । जिसका भुगतान रु० 3,11,22,694.00 का

किया गया । इसमें शासन को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई । मूर्तियां लगाये जाने का कोई ठेका नहीं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की मांग

*3–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या आगरा महानगर में पेयजल की आपूर्ति जमुना नदी में उपलब्ध सतही जल से की जाती है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जमुना नदी का जल पीने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा महानगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

यमुना नदी के जल को विशिष्ट शोधन प्रक्रिया से शुद्ध करने के बाद मानकों के अनुरूप नगर की शुद्ध स्वच्छ व हानिरहित पेयजल आपूर्ति की जाती है ।

उपरोक्तानुसार ।

*4–श्री राम औतार शाक्य–

[मा० सदस्य का निधन हो जाने के कारण हटाया गया]

*5–श्री राम तेज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

जनपद लखनऊ में मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दूध डेरियों को नगर सीमा से बाहर बसाने की कार्यवाही

*6–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में नगर निगम सीमा के अन्तर्गत पल रही गायों, भैंसों को नगर निगम की सीमा से बाहर करने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां तो वह योजना क्या है और उसे कब तक पूर्ण रूप से लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उ०प्र० आवास विकास परिषद् लखनऊ एवं विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा कैटिल कालोनी क निर्माण गोकुल ग्राम योजना एवं कामधेनु नीर योजना के नाम से किया गया है । रिट याचिका सं०–4216(एम०बी)/97 में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में लखनऊ नगर की दूध डेरियों को नगर सीमा के बाहर अथवा निर्दिष्ट कैटिल कालोनी बसाने की कार्यवाही की गई है ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-5-2000 के अनुपालन में यदि कोई दूध डेयरी म्बोधित शिकायत क्षेत्राधिकारी को प्राप्त होती है तो सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा तुरन्त कार्यवाही ुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद वाराणसी में गत वर्ष में सूडा द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण

–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में वर्ष 2000-2001 में "सूडा" ारा किन क्षेत्रों में कौन से कार्य कराये गये और उन पर कितना व्यय हुआ ? वर्ष 2001-2002 में राये जाने हेतु कहां और कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

ी लालजी टण्डन–

वर्ष 2000–2001 में सूडा के नियंत्रणाधीन डूडा वाराणसी द्वारा वाराणसी नगर में कराये गये कार्यों वं उन पर हुए व्यय का विवरण निम्नवत है :–

क्र०सं०	योजना/उपयोजना	लाभार्थी सं० एवं कार्य की संख्या	कुल व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4
	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना		
1.1	नगरीय स्वरोजगार (ऋण)	734	52.24
1.2	नगरीय स्वरोजगार (प्रशिक्षण)	102	1.21
1.3	आई०ई०सी	0	.77
1.4	<u>सामुदायिक संरचना</u>		
.4.1	विकलांग सहायता	110	5.12
.4.2	कम्बल वितरण	800	1.68
4.3	कैटरिगं सुविधा	5	2.00
.4.4	रैन बसेरा/नैपाल/डूडा दिवस/बहू बेगम सम्मेलन इत्यादि	0	2.30
.5	डवाकुआ	10	1.21
.6	थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट	675(53)	5.59
	योग :		72.12

2. राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना

1	2	3	4
2.1	मिनी ट्यूबेल/इन्दारा कूप	8	11.97
2.2	हैण्ड पम्प	83	14.25
2.3	जल निकासी/चौका परियोजना	52	148.54
2.4	सामुदायिक शौचालय	12	32.98
2.5	सामुदायिक केन्द्र	12	16.36
2.6	विद्युतीकरण	23	15.15
2.7	शिक्षा	72	2.52
2.8	स्वास्थ्य मद	36	16.71
2.9	प्रशिक्षण	60	1.17
	योग :		259.65

3. यूनीसेफ सहायता कार्यक्रम

3.1	सी०डी०एस० प्रशिक्षण	144	0.90
3.2	महिला बचत समूह का प्रशिक्षण	1169	5.50
3.3	चल बिटिया स्कूल शिक्षा परियोजना	0	7.62
	योग :		14.02

कराये गये कार्यों का विवरण विस्तृत है, जिसे मा० सदस्य की सुविधा एवं अपेक्षानुसार मा० अध्यक्ष, विधान सभा के कार्यालय में विभाग द्वारा मा० सदस्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जायेगी ।

वर्ष 2000–2001 में डूडा, वाराणसी द्वारा प्रस्तावित कार्यों का योजनावार विवरण निम्नवत् है :–

1—राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना

मद संख्या	मद का विवरण	कुल भौतिक लक्ष्य
1	2	3
1	भौतिक सुविधायें	187868
1.1	हैण्डपम्प	150
1.2	शौचालय/मूत्रालय	9
1.3	प्रकाश	20
1.4	पेयजल/मिनी ट्यूबवेल	7

2		3
1.5	सामुदायिक केन्द्र/प्राथमिक विद्यालय	10
1.6	नाली खड़ण्जा/जल निकासी	187666
1.7	कूड़ाघर	6
2	शिक्षा व्यवस्था	266
2.1	प्री स्कूल	72

2—स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

क्र०सं०	उपयोजना का नाम	कुल योग (लाख रुपये में)	
		वित्तीय	भौतिक
1	नगरीय स्वरोजगार ऋण	77.72	1943
2	नगरीय स्वरोजगार प्रशिक्षण	7.52	376
3	नगरीय मजदूरी योजना	6.65	5428
4	डवाकुआ	30.00	60
5	थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट	17.40	175
6	सामुदायिक सहायता	25.19	16792

प्रस्तावित कार्यों का विवरण विस्तृत है जिसे मा० सदस्य की सुविधा एवं अपेक्षानुसार मा० अध्यक्ष विधान सभा के कार्यालय में विभाग द्वारा मा० सदस्य के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी ।

जनपद फैजाबाद के लालबाग वार्ड में जल भराव की समस्या

2–श्री अब्दुल सलाम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका फैजाबाद के लालबाग वार्ड में रकबा नम्बर–510 (जनौरा अन्दर नगरपालिका नान जेड ए) में जो नाला 1996 में लाकर गिराया गया है क्या उसके पानी के निकास की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस जलभराव से वर्ष 2000 के मानसून सत्र में कितना क्षेत्र प्रभावित रहा और कितने घर गिरे ? क्या सरकार द्वारा इस जलभराव को समाप्त करने की कोई व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

नगर पालिका, फैजाबाद में नान जेड ए खतौनी में संख्या 510 का अंकित होना नहीं पाया गया किन्तु जेड०ए० कालोनी में संख्या 510 रकबा–10–0 (0–126 हे०) श्री रतीभान सिंह व अन्य के नाम श्रेणी (क) भूमिधरी संग्रमणीय भूमिधर के अधिकार में दर्ज है । तहसीलदार सदर की आख्या के अनुसार गाटा संख्या 510 में मौके पर कृषि कार्य हो रहा है । वहां कोई जल भराव की समस्या नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में गत वर्ष में अल्पसंख्यक छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति का विवरण

3–श्री श्रीराम पाल–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक व सीनियर बेसिक विद्यालयों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को वर्ष 2000-2001 में 31 मार्च तक उपस्थिति पंजी के अनुसार दर्ज छात्रों में से मात्र 50 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या खण्ड विकास महेवा के प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल मिटारी तथा खण्ड विकास जालौन के ग्राम हथना बुजुर्ग के विद्यालयों के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक छात्रवृत्ति का वितरण करा दिया जायेगा ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (राजा गजनफर अली खां)–

जी नहीं । जनपद जालौन में वर्ष 2000–2001 में कुल अध्ययनरत 11930 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं में से 9189 पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया गया । इस प्रकार जनपद जालौन में अल्पसंख्यक समुदाय के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सापेक्ष 77% छात्रों को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है । जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा ग्राम पंचायत भिटारी के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण हेतु ग्राम पंचायतों के खाता संख्या की सूचना खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने के कारण महेवा की कतिपय ग्राम पंचायतों को छात्रवृत्ति नहीं भेजी जा सकी । खण्ड विकास जालौन के ग्राम हथना बुजुर्ग प्रा० विद्यालय को उनकी मांग के अनुसार कक्षा–1 से 5 तक के 10 छात्रों को रु० 3000/–की छात्रवृत्ति तथा जू०हा० स्कूल हथना बुजुर्ग की मांग के अनुसार कक्षा–6 से 8 के दो छात्रों को रु० 960/–छात्रवृत्ति की धनराशि ग्राम पंचायत के खाते के माध्यम से वितरण हेतु भेजी गई ।

4–श्री छोटे लाल गंगवार

4–[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

जनपद संत कबीर नगर ब्लाक नाथ नगर के ग्राम वैडड़वा के कतिपय लोगों को भेजे गये गलत विद्युत बिल को माफ करने की मांग

5–श्री लालमणि प्रसाद

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम वैडड़वा ब्लाक नाथ नगर जनपद संतकबीर नगर में स्वामीनाथ पुत्र दिनेश, बसंती ठाकुर पुत्र विशेषर ठाकुर पल्टू राम पुत्र रामफेर आदि तमाम लोगों के नाम से बिना कनेक्शन दिये ही उ० प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत बिल भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर विद्युत बिल माफ करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

केवल श्री स्वामी नाथ पुत्र श्री दिनेशरदास एवं श्री पलटू राम पुत्र श्री रामफेर के विद्युत बिल निर्गत हुए । अन्य के बिल अभी निर्गत नहीं किये गये हैं ।

यह दोनों बिल कटिया कनेक्शन के विनियमितीकरण के दौरान स्वतः घोषणा के अन्तर्गत रसीद काटने के पश्चात् निर्गत किये गये थे। जांचोपरान्त इन गलत बिलों को माफ किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

6–श्री हरदेव सिंह

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

7–श्री अफजाल अहमद

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक के विरुद्ध मजिस्ट्रियल जांच संबंधी कथित प्रकरण

8–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय के एक सहायक निदेशक जो गाजियाबाद में वर्ष 1992 से 1997 के मध्य कार्यरत थे, के विरूद्ध भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की मजिस्ट्रीयल जांच नोएडा के रेजिडेन्ट कमिश्नर द्वारा वर्ष 1995 में की गयी थी ? यदि हां, उनकी जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर उक्त सहायक निदेशक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रश्नगत मजिस्ट्रियल जांच संबंधी कोई अभिलेख जिलाधिकारी गाजियाबाद के कार्यालय तथा ऊर्जा विभाग में उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जल संस्थान में कैशियर के पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति

9–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान में शासनादेश संख्या–1459/9–3–96–260–डब्लू/89 टी० सी० दिनांक : 19 अगस्त, 1996 द्वारा नवसृजित कैशियर के 06 पदों को भरने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गयी थी ? पत्र संख्या–885/म०प्र०/ल०ज०सं०/दिनांक 21-7-98 के द्वारा कौन-कौन से कर्मचारियों की किस-किस पद से पदोन्नति देकर नियुक्ति की गयी है ? क्या इस कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 19-8-96 के शासनादेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दिनांक 21-7-98 के आदेश को निरस्त करके नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

चयन समिति द्वारा प्रश्नगत पदों को भरने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं कैश के कार्य हेतु अनुभव मांगा गया था।

संदर्भित पद द्वारा श्री जोखूलाल पम्प चालक एवं श्री श्रीपाल, द्वितीय श्रेणी लिपिक की नियुक्ति कैशियर के पद पर की गई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

चयन नियमानुसार किया गया है ।

लखनऊ जल संस्थान में कैशियर के पदों पर नियुक्ति का प्रकरण

10–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान में नवसृजित कैशियर के पदों को भरते समय दिनांक 08-01-97 को सामान्य एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति केवल साक्षात्कार लेकर ही की गयी थी जबकि दिनांक 25-5-98 को अनुसूचित जाति के पदों को भरते समय लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर पदोन्नति की गयी थी ? यदि हां, तो एक प्रकार के पदों को भरने हेतु दोहरा माप-दण्ड अपनाये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार दिनांक 25-5-98 को हुई परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित लिपिकों की वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

चयन समिति द्वारा दिनांक 8-1-97 को कैशियर के पद पर साक्षात्कार के आधार पर पदोन्नति नहीं, अपितु नियुक्ति की गई थी ।

जी हां ।

दिनांक 25-5-98 को चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर कैशियर के पद पर पदोन्नति नहीं अपितु नियुक्ति की गई थी ।

कैशियर के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा अपने विवेक से निर्णय लिये गये थे ।

दिनंक 25-5-98 को हुई परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित लिपिकों व अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 199 पर ।)

11–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

12–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

13–श्री राम चन्द्र यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

14–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के निकायों के अकेन्द्रीयत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा पेंशन नियमावली के संशोधन के सम्बन्ध में जानकारी

15–श्री रणधीर सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० निकायों के अकेन्द्रीयत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की भांति पेंशन व मंहगाई भत्ता आदि सुविधाएं स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–सी०एम-/वि०को०/एम–47276/मुजफ्फरनगर/2001 प्रमुख सचिव/सचिव नगर विकास को दिनांक 7-6-2001 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उ०प्र० पालिका अकेन्द्रियत सेवा पेंशन नियमावली 1984 में संशोधन की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में राजाजीपुरम् कालोनी के पारा रोड में जल भराव समस्या के निराकरण की मांग

16–श्री यशपाल सिंह चौहान तथा श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में राजाजीपुरम् कालोनी से लगी हुयी पारा कालोनी में पारा रोड के पूर्वी क्षेत्र में जल भराव की समस्या के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार नाग मंदिर से पूरब जाने वाली रोड के किनारे ड्रेनेज का निर्माण कराकर हैदर कैनाल 'राजाजीपुरम् कालोनी से जोड़े जाने हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । केवल बरसात में ।

जी हां ।

धन उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

18–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

19–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र चरथावल में विद्युत समस्या के निराकरण संबंधी मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

20–श्री रणधीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर में विद्युत समस्या (पुराने तार आदि) को दूर किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–47272/मुजफ्फरनगर/2001 दिनांक 7-6-2001 प्रमुख सचिव सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

रोहाना उपकेन्द्र को देवबन्द के स्थान पर रामपुर तिराहे (मुजफ्फरनगर) से वर्तमान में तकनीकी कारणों से जोड़ना संभव नहीं है । रोहाना की लाइन विशेष रखरखाव कर विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत कुठेसरा को नगर पंचायत घोषित करने संबंधी जिलाधिकारी को निर्देश

21–श्री रणधीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत कुठेसरा को जनसंख्या के आधार नगर पंचायत घोषित करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–47224/मुजफ्फरनगर/2001 दिनांक 7-6-2001 प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । मा० मुख्य मंत्री कार्यालय से पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–47274/मुजफ्फरनगर/2001 दिनांक 7-6-2001 प्राप्त हुआ है ।

ग्राम पंचायत कुठेसरा को टाउन एरिया घोषित किये जाने के संबंध में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर नियमानुसार संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने हेतु शासन के पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 22-1-2001 क्रम में पत्र दिनांक 5-9-2001 द्वारा उन्हें पुनः निर्देशित किया गया है । जिलाधिकारी की आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के आई०टी०आई० पट्टी के भवन निर्माण हेतु बजट का प्राविधान

22–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेश सी०एम०/वि०को०/एम–281113/प्रतापगढ़/99 दिनांक 5-12-99 जो आई० टी० आई० पट्टी प्रतापगढ़ के भवन निर्माण के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

जी हां ।

आई०टी०आई० पट्टी प्रतापगढ़ के भवन निर्माण के लिये बजट प्राविधान कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ राजाजीपुरम् कालोनी के जलालपुर रेलवे क्रासिंग से पारा कालोनी तक जाने वाली मुख्य सड़क की मरम्मत का कार्य

23–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–66 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम् कालोनी लखनऊ में जलालपुर रेलवे क्रासिंग से पारा कालोनी (शान्ति शिक्षा मन्दिर) तक जाने वाली मुख्य सड़क पर जगह-जगह गड्ढे एवं जल भराव होने के कारण यातायात बाधित है ? यदि हां, तो क्या उसका पुनर्लेपन एवं मरम्मत का कार्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मरम्मत का कार्य करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद मा० न्यायालय के विचाराधीन खेड़ा बस स्टैण्ड पिलखुवा की भूमि पर अवैध कब्जे का प्रकरण

24–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद, पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद के खेड़ा बस स्टैण्ड पिलखुवा पर स्थित लगभग 100 वर्ष पुराने तालाब तथा उससे जुड़ी भूमि व मोहल्ला कनखवी शमशाद रोड (शमशाद के कारखाने के सामने) पिलखुवा पर लगभग 4000 (चार हजार गज) से अधिक नगर पालिका परिषद् पिलखुवा की भूमि पर भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण को नगरपालिका परिषद् पिलखुवा के पक्ष में कब तक अवमुक्त करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रकरण मा० न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हापुड़ द्वारा रंगोली उत्सव मण्डप का निर्माण मानकों के अनुरूप न करने की शिकायत

25–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ~~गाजियाबाद/हापुड़~~–पिलखुवा विकास प्राधिकरण हापुड़, जनपद गाजियाबाद रेलवे रोड, पिलखुआ गाजियाबाद पर स्थित उत्सव मण्डप हेतु कोई मानक निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या रंगोली उत्सव मण्डप रेलवे रोड, पिलखुआ जनपद गाजियाबाद का निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया है ? यदि नहीं, तो निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य न होने के कारण जिलाधिकारी, गाजियाबाद/हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा क्या अवैध निर्माण को गिराने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्तमान में रंगोली उत्सव मण्डप के लिये वही मानक निर्धारित हैं जो शासन द्वारा निर्गत भवन उपविधियों में व्यवसायिक भवनों के लिये विहित है ।

उक्त निर्धारित मानक प्रश्नगत रंगोली उत्सव मण्डप के निर्माण के समय लागू नहीं थे क्योंकि उसका निर्माण कार्य विकास प्राधिकरण के गठन दिनांक 21-11-96 से पूर्व का है । दिनांक 31-10-98 को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिन भवनों का निर्माण तत्कालीन नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र अथवा नगर पालिका परिषद् से बिना नक्शा पास कराये कराया गया है, ऐसे मामलों में मौके पर निर्माण के अनुसार नक्शे दिनांक 30-11-98 तक प्राधिकरण में अभिलेखार्थ प्रस्तुत कर दिये जाये तद्नुसार पक्ष द्वारा दिनांक 30-11-98 को निर्धारित शुल्क रुपये 500/- सुसंगत अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ जमा कर लिया गया था ।

प्रश्नगत निर्माण प्राधिकरण के गठन से पूर्व का होने के कारण प्राधिकरण का मत है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26 व 27 लागू नहीं होने के कारण नियमानुसार इसके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की जा सकती है । इस विधिक बिन्दु का परीक्षण न्याय विभाग से कराकर प्राधिकरण को कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश दिये जायेंगे ।

26–श्री उबैदुर्रहमान–

(1ले बुधवार में अता० प्र० सं०–119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मुजफ्फरनगर, ब्लाक पुरकाजी के ग्राम शकरपुर बुच्चा में विद्युतीकरण की मांग

27–श्री रणधीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम शकरपुर बुच्चा नर्क बस्ती, कैलनपुर के मोहल्ला हलवाह्यान ब्लाक पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर में विद्युत पोल गाड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त गांव में विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

ग्राम शकरपुर विद्युतीकृत है परन्तु ग्राम शकरपुर का मजरा बुच्चा अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुआ है ग्राम बुच्चा के लोग लगभग 4 वर्ष पहले 132 के०वी० उप संस्थान पुरकाजी पर रखे हुए सीमेन्ट के पोलों

को उठाकर ले गये थे जिसमें से 29 पोल उन्होंने स्वयं ही अपने गांव में खड़े कर लिए थे शेष 3 पोल अभी तक (गांव में) वहीं पड़े हुए हैं । यह मजरा आज तक किसी भी योजना में विद्युतीकरण हेतु चयनित् नहीं हुआ है जिसके कारण इस मजरे का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ।

मजरा विद्युतीकृत नहीं है ।

विद्युतीकृत होने के बाद ही विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो सकेगी ।

जनपद प्रतापगढ़, नगर पंचायत पट्टी में नलकूप व हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत धनराशि

28–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके आदेश एम–152/9-5-2000 दिनांक 27-6-2000 तथा एम–91/9-5-2001-7प्री०/2/2000 दिनांक 27-3-2001 तथा नगर विकास–5 का पत्र दिनांक 27-3-2001 जो प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ को भेजे गये हैं, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या आदेशों का पालन करते हुए नगर पंचायत पट्टी प्रतापगढ़ में पेयजल हेतु 2 नलकूप तथा 50 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से अधिष्ठापित करने के लिए धनराशि आवंटन हेतु शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रस्तावित धनराशि का आवंटन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नलकूप के निर्माण हेतु 31.00 लाख रु० तथा नगर पंचायत पट्टी में हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु रु० 5.13 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिससे एक नलकूप एवं तत्सम्बन्धी कार्य को पूर्ण करके उसे चालू करा दिया गया है एवं 30 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन भी करा लिया गया है । इसके अतिरिक्त नगर पंचायत पट्टी में 20 नग इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प तथा विद्यालयों में 2 नग इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ।

लागू नहीं होता ।

जनपद बलरामपुर, तहसील तुलसीपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा ठेला क्रय के अवशेष भुगतान के समायोजन की जानकारी

29–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीपुर जनपद बलरामपुर में अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्यरत रहते हुए श्री डी० डी० सिंह ने ठेला क्रय करने हेतु मु० 40 हजार की धनराशि चेक संख्या–429816 दिनांक 23-7-98 द्वारा अग्रिम आहरित की थी ? क्या उसका समायोजन मई, 2001 तक प्रस्तुत न करके जून, 2001 में उसका समायोजन प्रस्तुत कर अनियमित ढंग से अवशेष राशि प्राप्त कर ली ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

श्री डी० डी० सिंह, अधिशासी अधिकारी द्वारा हाथ-गाड़ी पंचायत उद्योग गुड़म्बा लखनऊ से क्रय हेतु रु० 40,000/- का भुगतान दिनांक 3-8-98 को किया गया था । उक्त संस्था द्वारा दिनांक 24-8-98 को रुपये 42,570/- का बिल दिया गया जिसमें हाथ-गाड़ी का मूल्य तथा परिवहन व्यय सम्मिलित था इस प्रकार रु० 2570/- का अवशेष धनराशि भुगतान/समायोजन उक्त संस्था को दिनांक 13-6-2001 को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महामहिम राज्यपाल द्वारा स्वीकृतोपरान्त अधिशासी अधिकारी श्री धनुषधारी सिंह की चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जानकारी

30–श्री कमलेश कुमार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० शासन ने अपने पत्र संख्या–1176121/9-1-96–2घ–89 दिनांक 29 मार्च, 1998 द्वारा अधिशासी अधिकारी धनुषधारी सिंह के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि का निर्देश महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिया था ? यदि हां, तो उक्त प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में किस तिथि को अंकित की गई तथा प्रश्नगत 31200/- रु० की वसूली हेतु क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–1176(2)/9-1-96-2च/89, दिनांक 29 मार्च, 1996 द्वारा श्री धनुषधारी सिंह, अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि का दण्डादेश निर्गत किया गया था ।

प्रतिकूल प्रविष्टि श्री धनुषधारी सिंह, अधिशासी अधिकारी की चरित्र-पंजिका में दिनांक 11-4-96 को चस्पा कर दी गयी थी । रु० 31,200/- की वसूली हेतु शासनादेश संख्या–3501/9-1-96-261पीएफ/78, दिनांक 23-7-96 द्वारा निर्देश पूर्व में ही निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, नगर पालिका सण्डीला बस हेतु स्टेशन के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत के आदेश

31–श्री सन्त प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका सण्डीला, जनपद हरदोई में बस स्टेशन से इमलिया बाग तक की सड़क का पुनर्निर्माण माह मार्च से मई, 2001 में हुआ है ? क्या यह भी सही है कि माह जुलाई, 2001 में ही बरसात होते ही उक्त सड़क कई जगह से धंस गई है और उसमें जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को मानक के अनुसार निर्मित न किए जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त सड़क की मरम्मत कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

प्रकरण में जांच हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं । जांचोपरान्त अर्न्तग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत दिनांक 31-12-2001 तक करा दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर, मोहल्ला खाद वाला के हरिजन मन्दिर के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

32–श्री रणधीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मोहल्ला खाद वाला जनपद मुजफ्फरनगर में हरिजन मन्दिर से प्रारम्भ होने वाली रोड मेन नाला खादर वाला तक बहुत ही खराब हो चुकी है ? जिससे आवागमन में लोगों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मोहल्ला खादर वाला मुजफ्फरनगर में हरिजन मन्दिर से मेन नाला खादर वाला तक सड़क निर्माण हेतु व्ययानुमान तैयार कराया गया है । निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु धन की व्यवस्था

33–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में अम्बेदकर ग्राम योजना में धनाभाव के कारण विकास की योजनाएं जैसे बिजली, शौचालय, सड़क आदि अधूरे पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास के कार्यों को पूरा कराने के लिए धन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री राधेश्याम)–

हां, कतिपय मदों में धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति मन्द रही है ।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों की कार्ययोजना के अपूर्ण कार्यों को पूरा कराने का प्रयास अनवरत जारी हैं । कतिपय कार्यक्रमों से ग्रामों को संतृप्त करने के लिए बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता है जो जिला योजना से पूरा होना सम्भव नहीं होता है । अब सम्पर्क मार्ग तथा ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य क्रमशः प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तथा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशियों से कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर, मोहल्ला खादरनाला में मेनहोलों के ढक्कन लगाने की मांग

34–श्री रणधीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला खादरनाला जनपद मुजफ्फरनगर में छपे नाले के मैनहोल काफी दिनों से खुले पड़े होने कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ? यदि हां, तो उन खुले मेन होलों पर कब तक ढक्कन लगवाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मोहल्ला खादरनाला मुजफ्फरनगर में मेनहोलों के ढक्कन लगे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ अलीगंज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत भण्डार खण्ड के स्व० लक्ष्मण सिंह के समस्त देयों के भुगतान सम्बन्धी जानकारी

35–श्री शिव पूजन राम–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के चतुर्थ शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या–9 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदेश निर्गत किये जाने के कितने दिनों के अन्दर समस्त देयों का भुगतान कर दिया जायेगा ? क्या सेवानिवृत्त कर्मियों के भुगतान हेतु कोई समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसमें कितनी अवधि से कितने मामले ऐसे हैं जिसमें पेंशन आदि का भुगतान किये जाने हेतु मामले लम्बित हैं ? क्या सरकार सेवानिवृत्त कर्मियों की आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुये अविलम्ब धनराशि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सेवानिवृत्तक देयों का भुगतान निम्नानुसार कर दिया गया है :–

अनन्तिम पेंशन का भुगतान 1-6-2001 से लगातार किया जा रहा है ।

अनन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान चेक संख्या–244109 दिनांक 11-9-2001 द्वारा रु० 90099.00 कर दिया गया है ।

जी०पी०एफ० रु० 294529.00 का भुगतान चेक सं०–241188, दिनांक 25-8-2001 द्वारा कर दिया गया है ।

अवकाश नकदीकरण रु० 58473.33 का भुगतान चेक सं०–241114, दिनांक 16-7-2001 द्वारा किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्मिकों एवं पेंशनरों के दिनांक 14-1-2000 तक के पेंशन एवं उपादान सम्बन्धी सेवान्त प्रसुविधाओं के दायित्व शासन द्वारा अपने ऊपर ले लिए गये हैं ।

प्रत्येक वर्ष की आवश्यकता के अनुसार धनराशि दो किश्तों में दिये जाने का प्राविधान किया गया है । अब तक रुपये 100 करोड़ उपलब्ध कराये जा चुके हैं ।

जनपद मुजफ्फरनगर, मोहल्ला खादर नाला के निकट अधूरी सड़क का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

36–श्री रणधीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला खादरनाला में प्रश्नकर्ता के निवास के निकट नगरीय विकास अभिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा अधूरी सड़क का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?उक्त सड़क का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जिला नगरीय विकास अभिकरण, मुजफ्फरनगर द्वारा रु० 1,46,368.00 का कार्य कराया गया, शेष कार्य नहीं हो सका, क्योंकि उक्त कार्य के सम्बन्ध में सांसद निधि से प्राप्त होने वाली धनराशि रु० 1,26,800.00 प्राप्त नहीं हुई ।

वर्तमान में डूडा स्तर पर नगरीय मजदूरी योजना में धन उपलब्ध नहीं है । धनराशि उपलब्ध होने पर अधूरे सड़क का निर्माण करा दिया जायेगा ।

37–श्रीमती गौरी देवी–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

38–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

39–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

40–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

41–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद शाहजहांपुर, क्षेत्र तिलहर के कतिपय ग्रामों में विद्युत लाइन पुनः चालू करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

42–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2000-2001 के अन्तर्गत ग्राम नौगमा, नरोत्तम व ग्राम मझोला में की गयी तार कटिंग के कारण बन्द विद्युत लाइन को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री कार्यालय से दिनांक 20-3-2001 को अग्रसारित होकर उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

ग्राम मझौला की लाइन दिनांक 31-5-2001 को चालू कर दी गयी थी । ग्राम नोगमा निरोत्तम की लाइन के 3 तारों में से 2 ही तार डाल पाने के बाद ग्रामवासियों द्वारा विवाद कर दिया गया । अतः ग्राम नौगमा निरोत्तम की लाइन चालू नहीं हो सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, क्षेत्र तिलहर के पांच ग्रामों में गत वर्ष किये गये विद्युतीकरण की जांच की मांग

43–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2000-2001 के अन्तर्गत पांच गांवों में किये गये विद्युतीकरण की जांच तथा ठेकेदारों द्वारा भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री कार्यालय से दिनांक 20-3-2001 को अग्रसारित

होकर उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत खड्डा के अध्यक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं प्रशासनिक गड़बड़ियां विषयक पत्र पर कृत कार्यवाहियों की जानकारी

44–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के अध्यक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं प्रशासनिक गड़बड़ियां करने के सम्बन्ध में श्री दीपलाल भारती स० वि०स० द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर एवं सचिव नगर विकास उ० प्र० को कुल कितने पत्र मई, 2001 से जुलाई, 2001 तक प्राप्त हुये तथा प्राप्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, कुशीनगर को कुल तीन पत्र प्राप्त हुये हैं तथा शासन को दो पत्र प्राप्त हुये हैं ।

नगर पंचायत खड्डा जनपद कुशीनगर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के बोनस/वेतन के एरियर में कटौती किये जाने विषयक अनियमितता के प्रकरण में शासनादेश संख्या–2460/9-1-2001-47सा/2001 दिनांक 27-6-2001 द्वारा अध्यक्ष, नगर पंचायत खड्डा को कारण बताओं नोटिस जारी की गयी तथा शासनादेश संख्या–2460(3)/9-1-2001-47सा/200, दिनांक 27-6-2001 द्वारा रु० 1,01,221.00 की कटौती की गयी धनराशि अध्यक्ष से वसूल कर सम्बन्धित कर्मचारियों को दिलाये जाने के आदेश दिये गये । शासन के उक्त आदेश के विरुद्ध सम्बन्धित अध्यक्ष द्वारा मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–26397/2001 श्रीमती स्नेहलता बनाम राज्य दायर की गयी । उक्त वाद में मा० उच्च न्यायालय द्वारा शासन के वसूली विषयक उक्त सन्दर्भित आदेश दिनांक 27-6-2001 को दिनांक 20-7-2001 के आदेश द्वारा स्थगित कर दिया गया है जिसके कारण वसूली स्थगित है ।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत खड्डा जनपद–कुशीनगर को शासनादेश सं०–4136/9-1-2001-47सा/2001, दिनांक 20-8-2001 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है । लिपिक को निलम्बित करने हेतु जिलाधिकारी, कुशीनगर को शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 25-8-2001 को निलम्बित कर दिया गया है तथा उक्त कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच स्थापित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के अध्यक्ष नगर पंचायत खड्डा द्वारा सफाई कर्मचारियों की काटी गयी धनराशि का मा० न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

45–श्री बनवारी लाल दोहरे–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–54 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) द्वारा

सफाई कर्मचारियों के बोनस व एरियर की काटी गयी धनराशि वापस कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धनराशि कब तक वापस कर दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

नगर पंचायत खड्डा जनपद कुशीनगर के नियमित सफाई कर्मचारियों के वेतन/बोनस एरियर से अवैध रूप से की गयी कटौती को शासनादेश सं०–2460(3)/9-1-2001-47सा/2001, दिनांक 27-6-2001 द्वारा श्रीमती स्नेहलता अध्यक्ष, नगर पंचायत खड्डा से वसूली कराकर सम्बन्धित कर्मचारियों को वापस दिलाये जाने के आदेश जिलाधिकारी, कुशीनगर को दिये गये थे । उक्त अध्यक्ष, नगर पंचायत खड्डा जनपद कुशीनगर द्वारा शासन के उक्त आदेशों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं०–26397/2001श्रीमती स्नेहलता बनाम राज्य व अन्य दायर की गयी । मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने शासन के उक्त आदेश दि० 27-6-01 को अपने आदेश दि० 20-7-01 द्वारा स्थगित कर दिया गया है । फलतः वसूली स्थगित है ।

अब यह प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में उक्त संदर्भित रिट याचिका दायर हो जाने व स्थगन आदेश पारित होने के कारण सम्प्रति प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । विवादित हो गया है । उक्त याचिका में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तिम निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी ।

46–श्री अफजाल अहमद–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

47–श्री अफजाल अहमद–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

48–श्री राजेन्द्र यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० में सामग्री क्रय करने की नीति लघु उद्योग इकाइयों द्वारा सामानों की आपूर्ति का भुगतान

49–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सामग्री प्रबन्ध स्कंध द्वारा क्रयादेश की मात्रा निर्धारित करने की कोई पारदर्शी नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

क्रियादेश की मात्रा का निर्धारण सक्षम क्रय समिति यथा कारपोरेट भण्डार क्रय समिति, निदेशक भण्डार क्रय समिति अथवा मुख्य महाप्रबन्धक भण्डार क्रय समिति द्वारा आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित मात्रा, पूर्व में आपूर्ति की गयी सामग्री की मात्रा, पूर्व अनुबन्धों के सफल निष्पादन एवं पूर्व में आपूर्ति की सामग्री/उपकरण की गारन्टी अवधि में क्षतिग्रस्ता आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

50–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सामग्री प्रबन्ध स्कंध को प्रदेश की लघु उद्योग इकाइयों के द्वारा की गयी आपूर्ति के भुगतान की कोई पारदर्शी नीति तथा व्यवस्था निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश का लघु औद्योगिक इकाइयों हेतु कोई पृथक नीति तथा व्यवस्था निर्धारित नहीं है तथापि सभी आपूर्तिकर्ताओं को सामान रूप से उनके संतोषजनक आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के अनुबन्धों में निहित शर्तों के आधार पर किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० में सामानों की आपूर्ति का विज्ञापित भुगतान एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों के क्रम में वरीयता

51–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सामग्री प्रबन्ध स्कंध को प्रदेश की लघु उद्योग इकाइयों द्वारा की गयी आपूर्ति के विलम्बित भुगतान पर "इंटरेस्ट आन डिलेड पेमेन्ट्स टु स्माल स्केल एण्ड एसिंलरी इंडस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्स ऐक्ट 1993" के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध कारपोरेशन के मानक शर्तों पर आपूर्तिकर्ता की सहमति से किये जाते हैं जिनमें विलम्बित भुगतान पर ब्याज देने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है ।

52–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सामग्री प्रबन्ध स्कंध द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाइयों को उनके उत्पादों के क्रय में कोई वरीयता दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । समान दरों की अवस्था में प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों को क्रय में वरीयता दी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

53–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

54–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद लखनऊ, मोहल्ला तकिया चांद अलीशाह में वोल्टेज की समस्या

55–श्री रणधीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के मोहल्ला तकिया चांद अली शाह, निकट रामलीला ग्राउण्ड, खजुआ, लखनऊ में काफी समय से वोल्टेज अत्यधिक कम होने के कारण वहां के नागरिकों के घरेलू विद्युत सम्बन्धी संयंत्र नहीं चल पाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त क्षेत्र की वोल्टेज समस्या को दूर कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

धन एवं सामग्री की उपलब्धता के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड मिर्जापुर के ग्राम मीही के विद्युतीकरण सम्बन्धी पक्ष पर कृत कार्यवाही की जानकारी

56–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-11-98 को या इसके आस-पास जो ग्राम मीही वि० खण्ड मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के सिकन्दरपुर में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की मांग

57–श्री लालजी वर्मा तथा श्री राम अचल राजभर–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद अम्बेडकर नगर में सिकन्दरपुर विद्युत उप केन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम अशरफ पट्टी तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर में भूमि गाटा संख्या–630, 631, 633 एवं 634 उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के नाम अंकित है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त भूमि में विद्युत उप केन्द्र बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त भूमि के विवादित होने के कारण उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को निर्देश दिये गये हैं कि 5 कि०मी० की परिधि में उपयुक्त भूमि का चयन करके अन्यत्र उपकेन्द्र बनाया जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि के विवादित होने के कारण उक्त स्थल पर कार्य प्रारम्भ करते ही स्थानीय जनता ने निर्माण कार्य का विरोध किया तथा यह भी इंगित किया कि चयनित भूमि कब्रिस्तान एवं कर्बला के प्रयोग में ली जा रही है । इस कारण इस भूमि पर निर्माण नहीं किया जा सका ।

जनपद लखनऊ के अमौसी रजबहा की कच्ची पटरियों के डामरीकरण की मांग

58–श्री राम शंकर पाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ संसदीय क्षेत्र की कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला अमौसी रजबहा (शारदा नहर खण्ड–2) के उद्यम स्थल से लेकर इसके समान्तर दोनों ओर केसरी खेड़ा पुलिया तक क्या कच्ची पटरियों को पक्का कर उनका डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

अमौसी रजबहा एवं उसकी पटरियां सिंचाई विभाग की हैं । अतः उनके डामरीकरण का दायित्व लखनऊ, नगर निगम का नहीं है । इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग की आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फिरोजाबाद में विगत अनेक वर्षों में विद्यालयों को वितरित छात्रवृत्ति के घोटालों की जांच की मांग

59–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 1995-96, 96-97, 97-98 में प्रत्येक वर्षों में कितनी-कितनी छात्रवृत्ति की धनराशि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को प्राप्त हुई तथा उपरोक्त वर्षों की छात्रवृत्ति किस-किस विद्यालय को कितनी-कितनी कब-कब वितरण की गयी ? क्या सरकार अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण में व्यापक स्तर पर हुये घोटाले की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली खां–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

60–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

लखनऊ के शिवपुरी तुलसी बिहार में ट्रांसफार्मर में विद्युत करन्ट से मृतक मुन्ना लाल साहू के पुत्र को मुआवजा/सेवा में लेने की मांग

61–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 जून, 2001 को जलालपुर स्थित शिवपुरी तुलसी बिहार जनपद लखनऊ में ट्रांसफार्मर में विद्युत करंट आने से श्री मुन्ना लाल साहू की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनके परिवार को मुआवजा दिलाने तथा मृतक के पुत्र को सरकारी सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2001 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

संदर्भगत प्रकरण में जांच हेतु निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश को निर्देश दे दिये गये हैं ।

निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश से आख्या प्रतीक्षित है ।

लखनऊ रिवर बैंक कालोनी में कम वोल्टेज की समस्या की जानकारी

62–श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ में मात्र एक ही ट्रान्सफार्मर लगा होने के कारण कम वोल्टेज की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु उच्च शक्ति का ट्रांसफार्मर लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

वर्तमान में 400 के०वी०ए० के तीन परिवर्तकों (ट्रांसफारमरों) से रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ को विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिसमें कम वोल्टेज की कोई समस्या नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जल संस्थान के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यूनतम वेतन के भुगतान की जानकारी

63–श्री सुखवीर सिंह पुण्डीर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा रिट पिटीशन नं० 6580(एस एस)/2000 में लखनऊ जल संस्थान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान के साथ समस्त देय भत्तों का भुगतान किये जाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारियों को समस्त भत्तों का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मा० उच्च न्यायालय द्वारा 9 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमित वेतनमान का न्यूनतम तथा अन्य अनुमन्य भत्ते भुगतान करने के आदेश दिये गये थे ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ऐसे सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके कार्यरत पद के वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतन तथा समय-समय पर अनुमन्य महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

65–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

66–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

67–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

68–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

69–श्री प्रभु नारायण सिंह यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

70–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

71–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

लखनऊ के ग्राम बरावन कलां/शीतला माता मन्दिर की सड़क पर से नाली खड़न्जा निर्माण की मांग

72–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जनपद लखनऊ के ग्राम बरावन कलां में शीतला माता के मन्दिर से त्रिलोकी सिंह हायर सेकेन्ड्री स्कूल तक सड़क के दोनों ओर नाली खड़न्जा का निर्माण मलिन बस्ती जिला योजना के अन्तर्गत करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ के शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्व में नहीं कराया जा सका है ।

शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है । कार्य दो माह के अन्दर पूर्ण करा लिया जायेगा ।

उ० प्र० जल विद्युत निगम के निलम्बित कर्मचारियों के भत्ते आदि रोके जाने की जांच विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

73–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अन्तर्गत अप्रैल, 2001 में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा निलम्बित कर्मचारियों के जीवन निर्वाह भत्ता मार्च, 2001 से रोक दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त की सी०बी०आई० जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-6-2001 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं । अप्रैल, 2001 में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० द्वारा निलम्बित किसी भी कर्मचारी का जीवन निर्वाह भत्ता रोका नहीं गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । प्रकरण में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन लि० एवं उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० से आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74–श्री हरदेव सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

75–श्री हरदेव सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

76–श्री प्रेमपाल सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के अधीन कतिपय जांच आख्या की जानकारी

77–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के अधीन जांच आख्या वीसी–19/2000 एवं वीसी–02/2001 की प्रगति रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० ने सतर्कता जांच आख्या वीसी–19/2000 शासन को इस संस्तुति सहित प्रेषित की है कि सम्पूर्ण जांच राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा पूर्व में प्रचलित जांच (संख्या–392/98) में सम्मिलित कराकर जांच कराई जाय । प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सतर्कता शाखा द्वारा की जा रही है । जांच संख्या–वीसी–02/2001 में जांच गतिमान है ।

जी हां । जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त गुणावगुण के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

इस सोपान पर समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम सुल्तानपुर में नियमित विद्युत सप्लाई करने की मांग

78–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-9-2000 जो जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सुल्तानपुर विकास खण्ड जैतीपुर में विद्युत आपूर्ति नियमित कराने के विषय में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

ग्राम सुल्तानपुर विकास खण्ड जैतीपुर में विद्युत लाइन दिनांक 15-7-2001 को चालू कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अन्तर्गत लिपिकों के समयबद्ध वेतनमान संबंधी कथित प्रकरण

80–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अन्तर्गत लिपिकों के तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने हेतु जुलाई, 2000 से 31 अगस्त, 2000 के मध्य महाप्रबन्धक (परिकल्प एवं निर्माण) गंगा भवन देहरादून को कितने लिपिकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? उन पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? उक्त वेतनमान कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने हेतु जुलाई, 2000 से 31 अगस्त, 2000 के मध्य महाप्रबन्धक (परिकल्प एवं निर्माण) गंगा भवन, देहरादून के कार्यालय में कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81–श्री रामतेज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद चित्रकूट में विगत वर्षों में गांवों के विद्युतीकरण एवं उस पर व्यय धनराशि का विवरण

82–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देल खण्ड विकास निधि जिलांश से जनपद चित्रकूट में वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा वर्ष 2000-2001 में वर्षवार किन-किन गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त सभी गांवों में स्वीकृत धन के अनुरूप विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

बुन्देलखण्ड विकास निधि से जनपद–चित्रकूट में वर्ष 1998-99 में 23 ग्रामों के विरुद्ध 65.3 लाख रु०, 1999-2000 में 18 ग्रामों के विरुद्ध 46.417 लाख रु० तथा 2000-2001 में नवीनीकरण तथ परिवर्तक लगाने हेतु 3.48 लाख रुपये स्वीकृत हुए ।

स्वीकृत धनराशि से वर्ष 1998-99 के 18 ग्राम, 1999-2000 के 15 ग्रामों के विद्युतीकरण का का पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1998-99 में विद्युतीकरण के लिए अवशेष 5 ग्रामों तथा वर्ष 1999-2000 में विद्युतीकरण लिए अवशेष 3 ग्रामों पर विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है जिसे इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा क लिया जायेगा ।

जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र तिलहर के पांच गांवों के विद्युतीकरण संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

83–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-4-2000 या इसके आसपास जो विधान सभा क्षेत्र, तिलहर जनपद–शाहजहांपुर के पांच गांवों के विद्युतीकरण करने के विषय में था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

मा० विधायक द्वारा संस्तुति पांचों ग्रामों के विद्युतीकरण के कार्य को इस वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम की निर्माण एजेन्सी द्वारा कृत कार्यों में अनियमितता विषयक-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

84–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम की निर्माण एजेन्सी सी०एन०डी०एस० में वरिष्ठ प्रबन्धक की देख-रेख में कराये गये कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने एवं लेखा-जोखा में घोर अनियमितताओं की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-6-2001 अध्यक्ष, जल निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शिकायती बिन्दुओं की जांच करायी गयी । जांच में कोई विपरीत तथ्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

85–श्री गोपाल कृष्ण–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र तिलहर में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

86–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-10-2000 या इसके आस-पास जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, तिलहर शाहजहांपुर द्वारा दो सफाई सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगरपालिका परिषद्, तिलहर में किसी भी सफाई सहायक निरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गयी है। इस संबंध में मा० विधायक जी को पालिका के पत्र संख्या–293 दिनांक 12-12-2000 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

87–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया।]

88–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया।]

89–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया।]

90–श्री विनोद मणि–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया।]

जनपद शाहजहांपुर ब्लाक जलालाबाद के ग्राम पंचायत मुड़िया भूड़ में विद्युतीकरण की जानकारी

91–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-9-2000 या इसके आस-पास जो ग्राम पंचायत मुड़िया भूड़, ब्लाक जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर में अपूर्ण विद्युतीकरण को पूर्ण कराये जाने के संबंध में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

ग्राम पंचायत मुड़िया भूड़ का विद्युतीकरण दिनांक 15-10-2000 को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई नगरपालिका सण्डीला के बस स्टैण्ड के पास अवैध पार्किंग की शिकायत एवं भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

92–श्रीमती सीमा द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका सण्डीला, जनपद हरदोई में बस स्टैण्ड से इमलिया बाग तक की सड़क पर अवैध रूप से वाहन खड़े रहने तथा असद बिल्डिंग के आसपास सड़क पर ट्रक आदि स्थाई रूप से पार्क किये जाने के कारण वाहनों एवं नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से पार्क किये जाने वाले उक्त वाहनों की अवैध पार्किंग पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नहीं।

कोई अवैध पार्किंग नहीं हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

93–श्रीमती सीमा द्विवेदी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका सण्डीला, जनपद हरदोई के बस स्टैण्ड से इमलिया बाग तक अत्यधिक भीड़ के कारण यातायात में हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार प्रातः 6 बजे से रात्रि आठ बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगरपालिका परिषद्, सण्डीला जनपद–हरदोई में बस स्टैण्ड सण्डीला से इमलिया बाग तक का मार्ग जो आगे बेनीगंज मार्ग में मिलता है, मुख्य मार्ग है । इस मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग यातायात हेतु नहीं है, इसलिये प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना उचित नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई के आई०आर० इण्टर कालेज सण्डीला के बीच की सार्वजनिक सड़क पर अवैध अतिक्रमण संबंधी कथित प्रकरण

94–श्री सन्त प्रसाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, आई०आर० इण्टर कालेज, सण्डीला हरदोई द्वारा कालेज के बीच से जाने वाली सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से गेट का निर्माण कराया गया है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध अतिक्रमण को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के निर्णय का अनुपालन उ०.प्र० रा० वि० परिषद् से कराने की मांग

95–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम सोनभद्र में दाखिल परिवाद संख्या–836/96 राजेश्वर सिंह बनाम महाप्रबन्धक, उ० प्र० रा०वि०प० ओबरा, सोनभद्र में क्या निर्णय लिया गया था ? क्या उक्त निर्णय के आलोक में तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी से परिषद् को हुई क्षति की भरपाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जिला उपभोक्ता फोरम, सोनभद्र द्वारा परिवाद संख्या–836/96 के संबंध में यह आदेश पारित किये गये थे कि :–

"शिकायत निरस्त की जाती है । विपक्षी बोर्ड अपना घाटा संबंधित चिकित्सक से वसूल करें ।"

जी नहीं ।

पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध विविध अग्रिम धनराशि रु० 32173.09 डाली थी । मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रत्यावेदन पर समुचित विचार करने पर, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रो० आई० एम० गुप्ता, निदान केन्द्र, वाराणसी से प्राप्त बायप्सी की रिपोर्ट के आधार पर ही कैन्सर का इलाज किया था, पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के पत्र दि० 5 मार्च, 1999 द्वारा उक्त धनराशि की वसूली निरस्त कर दी गई ।

96–श्री उदय राज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

97–श्री उदयराज यादव–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद शाहजहांपुर के नगर पंचायत मीरानपुर कटरा से सेवानिवृत्त सर्वश्री मकसूद हुसैन, इस्लाम रसूल, नियाज अहमद तथा शब्बीर अहमद के देयों के भुगतान की मांग

98–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री मकसूद हुसैन दिनांक 30-6-2000 को चपरासी के पद से नगर पंचायत, मीरानपुर कटरा, जनपद शाहजहांपुर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद दिये जाने वाले सभी देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कर्मचारी के समस्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

निकाय की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत आंशिक भुगतान कर दिये गये हैं ।

(1) श्री हुसैन को उनके भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि रु० 6,824.00 दिनांक 24-8-2001 को भुगतान कर दिया गया है ।

(2) सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि के भुगतान के संबंध में नियमानुसार अनिवार्य औपचारिकतायें पूर्ण कराकर शीघ्र भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हुसैन के पेंशन संबंधी पत्रालेख पूर्णकर आडिट हेतु सहायक निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा) परीक्षा विभाग बरेली को दिनांक 20-6-2001 को प्रेषित किया गया है । आडिट पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार पेंशन देयों के भुगतान हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

यद्यपि निकाय की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण निकाय कर्मियों के बकाया एवं वर्तमान वेतन आदि देयों का नियमित भुगतान समय से नहीं हो पाता है । तथापि श्री हुसैन के देयों के भुगतान के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

99–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री इस्लाम रसूल नायब मोहर्रिर दिनांक 31-10-99 को नगर पंचायत, मीरानपुर कटरा, जनपद शाहजहांपुर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त

सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद दिये जाने वाले सभी देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कर्मचारी के समस्त देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

निकाय की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत आंशिक भुगतान कर दिये गये हैं श्री इस्लाम रसूल को उनके भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि रु० 7,955-00 दि० 7-9-2000 को भुगतान कर दिया गया है । सामूहिक बीमा योजना संबंधी देयों के भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । पेंशन लाभों के अन्तर्गत देय पेंशन व उपादान भुगतान किये जाने हेतु आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । जिसके क्रम में श्री रसूल को उपादान का प्रथम भुगतान रुपये 8,000/–दिनांक 20-9-01 को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यद्यपि निकाय की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण निकाय कर्मियों को बकाया एवं वर्तमान आदि देयों का नियमित भुगतान नहीं हो पाता है । निकाय द्वारा गंभीरता से तत्संबंध में प्रयास किये जाते हैं तथा श्री रसूल के सेवानैवृत्तिक देयों के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

100–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री नियाज अहमद खां चपरासी के पद से नगर पंचायत, मीरानपुर कटरा, जनपद शाहजहांपुर से दिनांक 31-7-2000 को सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद दिये जाने वाले सभी देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कर्मचारी के देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

निकाय की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत आंशिक भुगतान कर दिये गये हैं । श्री अहमद को उनके भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि रु० 11,291.00 (ग्यारह हजार दो सौ इक्यानबे रुपये मात्र) दि० 24-8-2000 को भुगतान कर दी गयी है । सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि के भुगतान हेतु नियमानुसार अनिवार्य औपचारिकतायें पूर्ण कराकर शीघ्र भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अहमद के पेंशन संबंधी पत्रालेख पूर्ण कर आडिट हेतु सहायक निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा) परीक्षा विभाग, बरेली को दि० 20-6-01 को प्रेषित कर दिये गये हैं । आडिट पूर्ण होने के उपरान्त पेंशन देयों के भुगतान के संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

यद्यपि निकाय की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण निकाय कर्मियों के बकाया एवं वर्तमान वेतन आदि देयों का नियमित भुगतान नहीं हो पाता है । तथापि सहायक निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा) परीक्षा विभाग बरेली से आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

101–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत, मीरानपुर कटरा, जनपद शाहजहांपुर में कार्यरत श्री शब्बीर अहमद मिस्त्री के पद से दिनांक 31-1-2001 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां,

तो क्या उन्हें सेवानिवृत्त के बाद दिये जाने वाले सभी देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

निकाय की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत श्री शब्बीर अहमद को आंशिक भुगतान निम्नवत् कर दिये गये हैं:–

(1) श्री अहमद को उनके भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि रु० 14067.00 दि० 6-2-2001 को भुगतान कर दी गयी है ।

(2) श्री अहमद को सेवावधि में रुपये 24,000/- के क्रय किये गये बचत पत्र उन्हें दि० 12-2--2001 को स्थानीय डाकघर से भुगतान प्राप्त करने हेतु दे दिये गये हैं ।

श्री शब्बीर अहमद द्वारा सामूहिक बीमा योजना एवं अपने पेंशन संबंधी पत्रालेख अभी तक पूर्ण कर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिसके कारण उक्त संबंध में अग्रेतर कार्यवाही नहीं हो पायी है । इस हेतु श्री अहमद को संबंधित निकाय द्वारा पुनः नोटिस जारी किया जा रहा है ।

श्री अहमद द्वारा सामूहिक बीमा योजना एवं पेंशन संबंधी पत्रालेख्य पूर्ण कर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण अग्रेतर कार्यवाही नहीं हो पायी है । उनके द्वारा उक्त संदर्भित पत्रालेख प्रस्तुत करने के उपरान्त ही इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद आजमगढ़ क्षेत्र फूलपुर के ग्राम पलिया में आई०टी०आई० भवन के निर्माणाधीन कार्य हेतु स्वीकृत पूर्ण धनराशि

102–श्री राम नरेश यादव–

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र में पलिया गांव में आई०टी०आई० भवन बन रहा है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? कितनी धनराशि में कब तक सारा कार्य पूर्ण होगा ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

माह दिसम्बर, 2000 तक कुल रु० 117.08 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है ।

प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत आगणन के सापेक्ष पूर्ण धनराशि रु० 145.56 लाख स्वीकृत कर दी गयी है । माह नवम्बर, 2001 तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है ।

103–श्री आलम बदी–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

लखनऊ, मोहनलालगंज उतरेठिया के बल्देव बिहार निवासियों के घरेलू कनेक्शन चालू किये जाने की जानकारी

104–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत उपकेन्द्र उतरेठिया, मोहनलालगंज, लखनऊ के अन्तर्गत मोहल्ला बल्देव बिहार में मई, 2001 में नये घरेलू कनेक्शन हेतु कितने उपभोक्ताओं को इस्टीमेट जमा कराकर रसीदें दी गयीं ? उनमें से कितने उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध करा दिया गया है ? शेष

उपभोक्ताओं को समय पर मीटर उपलब्ध न कराने के लिये दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये कब तक मीटर उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

विद्युत उपकेन्द्र उतरेठिया मोहनलालगंज लखनऊ के अन्तर्गत मोहल्ला बल्देव बिहार में मई, 2001 में नये घरेलू कनेक्शन हेतु पांच उपभोक्ताओं की औपचारिकतायें पूर्ण होने पर तथा पैसा जमा करने के उपरान्त रसीदें दी गयीं ।

सभी पांच उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगा दिया गया है ।

सभी कनेक्शनों पर मीटर लगा दिये जाने के कारण अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

105–श्री विश्वनाथ–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद कुशीनगर के जिलाधिकारी को प्रेषित, आर्थिक अनियमितता करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

106–श्री दीप लाल भारती–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर्थिक अनियमितता करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 5-6-2001 जिलाधिकारी, कुशीनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगर पंचायत खड्डा जनपद–कुशीनगर के नियमित सफाई कर्मचारियों के एरियर/बोनस से की गयी कटौती के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कुशीनगर से प्राप्त जांच आख्या पर सम्यर्क विचारोपरान्त शासनादेश सं०–2460/9-1-2001–47सा/2001, दिनांक 27 जून, 2001 द्वारा अध्यक्ष नगर पंचायत खड्डा कुशीनगर को कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी । शासनादेश संख्या–2460(3)/9-1-2001–47सा/2001, दिनांक 27-6-2001 द्वारा रु० 1,01221.00 की वसूली अध्यक्ष, नगर पंचायत खड्डा से कराये जाने के आदेश दिये गये थे । अध्यक्ष, नगर पंचायत खड्डा, कुशीनगर द्वारा उक्त सन्दर्भित वसूली विषयक शासनादेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं०–26397/2001 श्रीमती स्नेहलता बनाम राज्य व अन्य योजित की गयी । मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20-7-2001द्वारा शासन के उक्त आदेश को अग्रिम आदेशों तक के लिये स्थगित कर दिया गया है जिसके कारण वसूली बाधित है । अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत खड्डा जनपद–कुशीनगर को शासनादेश संख्या–4136/9-1-2001–47सा/2001, दि०–20-8-2001 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है । सम्बन्धित लिपिक को भी निलम्बित कर दिया गया है । उक्त कर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच स्थापित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र रेऊगा–फूलपुर का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

107–श्री राम नरेश यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, रेऊगा–फूलपुर जनपद आजमगढ़ का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ! धनाभाव के कारण प्रगति अवरुद्ध थी । अब पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० से ऋण की स्वीकृति हो गयी है ।

संदर्भगत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य दो वर्ष में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, प्राथमिक स्वा० केन्द्र तिन्दवारी के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि

108–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा में प्राथमिक स्वा० केन्द्र तिन्दवारी के सामने से हजरत काले शहीद बाबा सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि से वर्ष 1998-99 में कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विस जल निगम बांदा को 1.00 लाख रुपये अवमुक्त किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त धनराशि से कुल कितना निर्माण कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा मौके पर कार्य न कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषियों से धन की वसूली व अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

बुन्देलखण्ड विकास निधि के जिलांश से वर्ष 1998-99 में कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विस जल निगम कर्वी को इस कार्य हेतु रु० 1.00 लाख अवमुक्त किया गया था ।

अवमुक्त धनराशि रु० 1.00 लाख के सापेक्ष रु० 80,000/- का व्यय किया गया है । रु० 20,000/- अवशेष है ।

इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

109–श्री रामाधार सिंह–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद सीतापुर नगर पंचायत हरगांव के जलालीपुर वार्ड में पानी की टंकी से जलापूर्ति की मांग

110–श्री रमेश राही–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की नगर पंचायत हरगांव के जलालीपुर वार्ड में पानी की टंकी का निर्माण वर्ष 1998 में पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो उक्त टंकी से कब तक जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

पानी की टंकी का निर्माण वर्ष 2000 में पूरा हुआ है ।

जलापूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, क्षेत्र गोवर्धन में पार्किंग/वाहनों से वसूली रोकने सम्बन्धी मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

111–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–सी०एम०/वी०को०/एम–/48601/मथुरा/2001, दिनांक 5-7-2001 जो कि विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन, जनपद मथुरा में गोवर्धन नगर पंचायत में अड्डा पड़ाव वाहन आदि की वसूली रोकने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शासन के पत्र संख्या–179वि०/9-1-2001–36च/2001, दिनांक 3-8-2001, व पत्र संख्या–4049/9-1-2001-36च/2001, दिनांक 24-9-2001 द्वारा नगर पंचायत गोवर्धन जनपद मथुरा में अवैध रूप से वाहन अड्डा पार्किंग के नाम पर वसूली की शिकायत की जांच अपर जिलाधिकारी मथुरा से कराकर जांच स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी मथुरा को दे दिये गये हैं । जांच आख्या प्रतीक्षित है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के कृष्णा उद्योग द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न करने सम्बन्धी मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

112–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृष्णा उद्योग द्वारा जानबूझकर प्रशासन को गुमराह करके कर्मचारियों का उत्पीड़न कराये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–सी०एम०/वी०को०/एम–/ 48602/मथुरा/2001, दिनांक 5-7-2001 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां । प्रकरण में इससे पूर्व ही श्रम विभाग के प्रयास से दिनांक 3-7-2001 को पक्षों के मध्य समझौता कराया गया तथा दिनांक 4-7-2001 को धरना समाप्त करते हुए पुनः उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया ।

113–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद सीतापुर विकास खण्ड ऐलिया के ग्राम खेतुआ पो० सहादत नगर में विद्युत दुर्घटना में भैंसों की मृत्यु के मुआवजे की मांग

114–श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के मुल्लू पुत्र गुलाब, ग्राम खेतुआ, पो० सहादत नगर सीतापुर की दो भैंसे दिनांक 2-11-99 को विद्युत दुर्घटना में मौत हो गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

उप महाप्रबन्धक विद्युत वितरण मंडल, सीतापुर को मृत भैंसों की वैध क्रय रसीद भैंस स्वामी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके कारण अनुग्रह धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

115–श्री अशफाक अहमद–

[मा० सदस्य द्वारा सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।]

जनपद एटा, विद्युत वितरण खण्ड कासगंज में हाई वोल्टेज लाइन तार टूटने से नौ व्यक्तियों की मृत्यु के प्रकरण की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

116–श्री नेतराम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत खण्ड कासगंज (एटा) शहर में 11000 (ग्यारह हजार) वोल्टेज की लाइन के तार टूटने से दिनांक 27-4-2001 को 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उप महाप्रबन्धक द्वारा की गयी जांच पत्र सं०–2861 वि०वि०मं० (मं०) विद्युत दुर्घटना दिनाक 2-5-2001 के द्वारा विद्युत वितरण मण्डल उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड मैनपुरी को प्रस्तुत की गयी थी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाये गये तथा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) उप महाप्रबन्धक, विद्युत वितरण मंडल, मैनपुरी की जांच आख्या उप महाप्रबन्धक, मैनपुरी के पत्रांक 2861–वि०वि०मं० (मं) विद्युत दुर्घटना दिनांक 2-5-2001 के द्वारा महाप्रबन्धक (वितरण), आगरा क्षेत्र, आगरा को प्रस्तुत की गयी थी ।

प्रथम दृष्टया सर्वश्री आर० एम० शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, आर०आर० अग्रवाल, उप खण्ड अधिकारी तथा वाई०पी० सिंह, सहायक अभियन्ता (मीटर) दोषी पाये गये । श्री आर०एम० शर्मा, अधिशासी अभियंता का कासगंज से झांसी क्षेत्र में सम्बद्ध पद पर स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

तदनन्तर विद्युत सुरक्षा निदेशालय, आगरा की आख्या के आधार पर मुख्यतः सर्वश्री डी० के० मित्तल तथा रोशन लाल, अवर अभियन्ताओं को दोषी पाये जाने पर उन्हें निलम्बित करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

उप महाप्रबन्धक की आख्या में प्रथम–दृष्टया दोषी ठहराये गये अधिकारियों में से श्री वाई० पी० सिंह, सहायक अभियन्ता (मीटर) को अग्रेतर जांच में दोषी नहीं पाया गया है । शेष सर्वश्री आर०एम० शर्मा, अधिशासी अभियन्ता एवं आर० आर० अग्रवाल, उपखण्ड अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर, मोहल्ला तरीनपुर आदि के मकानों के ऊपर से विद्युत लाइन हटवाने की कार्यवाही

117–श्री रमेश राही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के मो० तरीनपुर निकट ताडक नाथ मंदिर के निकट निवासिनी श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव आदि के मकान के ऊपर से 33 के०वी० के विद्युत तार निकले हैं ? क्या सरकार उक्त विद्युत लाइन हटाये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं, श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव निवासिनी मो० तरीनपुर आदि के मकान के ऊपर से 11 के०वी० नगर पोषक के तार निकले हैं ।

जी हां ।

प्रभावित व्यक्तियों द्वारा शिफ्टिंग व्यय जमा करने के उपरान्त ही कार्यवाही संभव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व ब्लाक फिरोजाबाद, टूण्डला में विद्युतीकृत गांवों की जानकारी

118–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद का ब्लाक फिरोजाबाद टूण्डला ताजट्रेपेजियम जोन की सीमा के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो ब्लाक फिरोजाबाद के पूर्व एवं दक्षिणी क्षेत्र में अभी तक कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

पूरे फिरोजाबाद ब्लाक में अब तक 43 ग्राम विद्युतीकृत हैं ।

वर्तमान में केवल ताजमहल के आसपास के ग्रामों को ही विद्युतीकृत कराने हेतु धन उपलब्ध कराया गया है ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही, कोईरौना उपकेन्द्र की विद्युत क्षमता बढ़ाने की मांग

119–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही कोईरौना उपकेन्द्र अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी क्षमता बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के 33/11 के०वी० उपकेन्द्र कोईरौना पर 3 एम० वी० ए० का एक ट्रांसफार्मर स्थापित है जो अपनी पूरी क्षमता पर कार्य कर रहा है ।

निकट भविष्य में सम्भावित भार वृद्धि को देखते हुए इस उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि के लिए तकनीकी परीक्षण करने के निर्देश महाप्रबन्धक (वाराणसी) क्षेत्र को दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही ज्ञानपुर में विद्युत उपकेन्द्रों हेतु अवमुक्त धनराशि सम्बन्धी जानकारी

120–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में 2 विद्युत उपकेन्द्रों से मराधनाथ एवं रमईपुर का शिलान्यास विगत 2 वर्ष पूर्व हुआ था ? यदि हां, तो क्या उनके निर्माण हेतु शासन द्वारा धन निर्गत करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर, भदोही ज्ञानपुर के गोपीगंज में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

121–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में गोपीगंज से वहिदानगर तथा कोईरौना फीडर को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत व्यवस्था में ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत व्यवस्था को ठीक करने हेतु गोपीगंज में ट्रान्सफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

ट्रांसफार्मर के अतिभारित होने के कारण विद्युत आपूर्ति में कठिनाई आ रही है ।

विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गोपीगंज में ट्रान्सफार्मर की क्षमता 1X20 एम० वी० ए० से बढ़ाकर 2×20 एम० वी० ए० करना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय ब्लाकों में विगत वर्षों में घोषित अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग

122–श्री राम नरेश यादव–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में पवई फूलपुर व अहिरौला ब्लाक के अन्तर्गत 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा 2000 में उपरोक्त ब्लाकों में अलग-अलग कितने अम्बेडकर गांव घोषित किये गये हैं ? उन सभी गांवों के नाम क्या है ? उनमें से कितने ग्रामों के विद्युतीकरण हो चुके हैं एवं कितने शेष हैं ? शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम–

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पवई में वर्ष 1996-97 से 99-2000 तक 18 विकास खण्ड फूलपुर में 14 तथा विकास खण्ड अहिरौला में 13 अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ।

सूची संलग्न है ।

कुल 45 ग्राम घोषित किये गये थे, जिसमें 22 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है । 23 ग्राम अवशेष हैं ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 200 पर ।)

जनपद सहारनपुर नगरपालिका देवबन्द द्वारा प्राइवेट बसों से स्टैण्ड शुल्क वसूली का औचित्य

123–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद–सहारनपुर के अन्तर्गत देवबन्द में देवबन्द से बरला–मार्ग पर संचालित होने वाली प्राइवेट बसों से नगरपालिका देवबन्द, द्वारा 5/–प्रतिदिन प्रति बस स्टैण्ड फीस के रूप में वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त बसों को स्टैण्ड हेतु जगह आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगरपालिका परिषद् नियमानुसार उपविधि का गठन कर निकाय सीमा के अन्दर बने बस स्टैण्ड से शुल्क वसूल कर सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड परसेडी के ग्राम जरेली में विकास कार्य की जानकारी

124–श्री रमेश राही–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेडी के ग्राम जरेली को वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्राम चयनित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम में मानक के अनुसार विकास कार्य करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ प्राइमरी पाठशाला, नगर पंचायत किठौर में निर्माण के घोटाले में प्रधान अध्यापक व अध्यक्ष नगर पंचायत के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

125–श्री परवेज हलीम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला नं०–1 नगर पंचायत किठौर जनपद मेरठ के पुनः निर्माण में किये गये घोटाले की जांच जिलाधिकारी, मेरठ के आदेशानुसार ब्लाक माछरा के खण्ड विकास अधिकारी तथा ब्लाक में कार्यरत अवर अभियन्ता, ग्रामीण ने संयुक्त रूप से दिनांक 26-4-2000 को खुली जांच की थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जांच में चेयरमैन नगर पंचायत किठौर तथा प्रधान अध्यापक प्राइमरी पाठशाला नं०–1 किठौर को 30140/–रुपये की धनराशि के गबन का दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गबन के दोषी प्रधान अध्यापक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है परन्तु चेयरमैन नगर पंचायत किठौर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त दोषी चेयरमैन, नगर पंचायत किठौर के विरुद्ध कार्यवाही न करने के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी माछरा (मेरठ) की आख्या के आधार पर श्री खुशीराम प्रधान अध्यापक को बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ के आदेश सं०–शिविर–800–4 दिनांक 12-5-2000 द्वारा निलम्बित किया गया था । उनको उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 28-6-2001 में की गयी संस्तुति के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ के आदेश दिनांक 3-7-2001 द्वारा सवेतन बहाल कर दिया गया है ।

अध्यक्ष, नगर पंचायत किठौर श्री शम्स परवेज से दिनांक 22-5-2000 को स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया कि उनका पक्ष सुने बिना तथा साक्ष्य लिये बिना आख्या प्रस्तुत की गयी है । प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में थाना किठौर जनपद मेरठ में श्री मतलूब गौड़ पुत्र मो० यूसुफ द्वारा मु०अ०सं०–274/2000 के अन्तर्गत धारा 409 भा०द०वि० दिनांक 30-7-2000 द्वारा श्री शम्स परवेज, अध्यक्ष नगर पंचायत व श्री खुशीराम, प्रधानाध्यापक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है । विवेचना जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना किठौर जनपद मेरठ में दर्ज है । जांचोपरान्त प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आज लखनऊ में जिस तरीके से दंगा फसाद करके उत्तर प्रदेश को आग के हवाले किया जा रहा है, साम्प्रदायिक आग भड़कायी जा रही है.....

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के श्री राजाराम पाल, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री विजय कुमार, श्री जगदीश नारायण राय, श्री भगवती प्रसाद तथा श्री मुरलीधर आदि द्वारा अपने-अपने आसनों पर खड़े होकर एक साथ बोलने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×] कल ही इस सदन में कानून व्यवस्था की बात हो रही थी और आज यह घटना प्रकाश में आ रही है । पूरे प्रदेश में सभी दलित समाज के लोगों का अल्पसंख्यकों का कल्लेआम कर रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

विधान सभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष डा० अम्मार रिजवी को बधाई

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

जैसा कि आपको विदित ही है कि आज का दिन उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिये नियत किया गया है । नियमानुसार नाम-निर्देशन पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2001 के मध्याह्न 12 बजे के पूर्व तक आ जाने चाहिये थे । उक्त अवधि के भीतर प्राप्त नामांकन पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	नाम-निर्देशित अभ्यर्थी	प्रस्तावक	समर्थक
1	स्वामी ओइम्वेश	श्री आर्य रामशरन	श्री चौ० बाबू लाल
2	डा० अम्मार रिजवी	श्री कौकब हमीद	डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
3	डा० अम्मार रिजवी	श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना	श्री रवीन्द्र शुक्ल
4	डा० अम्मार रिजवी	श्री संजय गर्ग	श्री महेन्द्र सिंह यादव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–9 के उप नियम (4) में यह उपबन्धित है कि निर्वाचन से पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो नाम-निर्देशित हुए हों, पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकते हैं । चूंकि श्री ओइम्वेश ने लिखित रूप में श्री अध्यक्ष को सूचित किया है कि उन्होंने उक्त निर्वाचन से अपना नाम वापस ले लिया है ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(इसी मध्य श्री लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी के अधिकांश सदस्यों के साथ सदन के वेल में आ गये और पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय स्वामी ओइमूवेश जी क्या आप अपना नाम वापस ले रहे हैं ?

श्री स्वामी ओइमूवेश–

मैंने उपाध्यक्ष के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आपने अपना नाम वापस लिया है । अब एक नाम डा० अम्मार रिजवी का शेष रह गया है । यह एक नाम बचा है । अब एक नाम माननीय उपाध्यक्ष के लिये शेष रह गया है । इस प्रकार माननीय डा० अम्मार रिजवी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया माननीय डा० अम्मार रिजवी जी को आसन तक लाने का कष्ट करें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

माननीय डा० अम्मार रिजवी को पूरा सदन बधाई दे रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

डा० अम्मार रिजवी जी का जीवन परिचय इस प्रकार है :–

निर्वाचन क्षेत्र–76, महमूदाबाद, जिला–सीतापुर । दल–भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ।

पिता–श्री सैय्यद अली हसन । जन्मतिथि–20 मार्च, 1939 । धर्म–इस्लाम (मुस्लिम) । शिक्षा–एम०ए०, एल०एल०बी० (लखनऊ विश्वविद्यालय) । विवाह–तिथि–18 फरवरी, 1966 । पत्नी का नाम–श्रीमती जकिया सुल्ताना । सन्तान–दो पुत्र । व्यवसाय–अध्यापन (प्रधानाचार्य) ।

फरवरी, 1974 के सामान्य निर्वाचन में आप प्रथम बार, सन् 1980 में दूसरी बार तथा अब सितम्बर-अक्टूबर, 1996 में मध्यावधि चुनाव में तीसरी बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं । सन् 1977 तथा 1978 में आप राजनीतिक आन्दोलनों में दो बार जेल जा चुके हैं । आप लखनऊ शिया डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य, इण्डो-टर्किश फ्रेण्डशिप एण्ड कल्चरल सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल, आई०एस०सी०यू०एस० तथा वर्ल्ड पीस काउन्सिल के सदस्य हैं । आप यू०पी०ए० लखनऊ विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी (1958) रहे हैं । टर्की, अफगानिस्तान, दुबई, इटली, इंग्लैण्ड, हांगकांग, मनीला, रूस, ईरान, ईराक, थाईलैण्ड तथा कुवैत आदि देशों की आपने यात्राएं की हैं । आप वर्ष 1986 से 1992 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य तथा परिषद् में 13 जून, 1990 से 6 जुलाई, 1992 तक नेता, विरोधी दल भी रहे । वर्ष 1974 से 1989 तक प्रदेश में बने कांग्रेस के प्रायः सभी मंत्रि-मण्डलों में आप मंत्री पद पर आसीन रहे हैं । आप वर्ष 1997-98 तथा 2000-2001 के लिए विधान सभा की लोक-लेखा समिति के सदस्य हुए ।

पठन-पाठन में आपकी विशेष रुचि है तथा आखेट में आपको लगाव है ।

(सदन के वेल में खड़े सदस्य नारे लगाते रहे अल्पसंख्यक विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अपनी ओर से और विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनको बधाई देता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वे आकर आसन को सुशोभित करें।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय डा० अम्मार रिजवी को आसन तक ले गये।)

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर नव निर्वाचित उपाध्यक्ष, डा० अम्मार रिजवी पीठासीन हुए।)

लखनऊ में हुए दंगे तथा गोलीकाण्ड प्रकरण को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष को कृपया सुनें।

(वेल में आये हुए सदस्य निरन्तर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

कृपया नेता प्रतिपक्ष को सुनें, आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें। अभी और भी समय रहेगा और भी कार्यस्थगन है।

कृपया नेता प्रतिपक्ष को सुनें।

मेरा अनुरोध है माननीय नेता प्रतिपक्ष से, कृपया अपने सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करें कि वे अपने-अपने स्थान पर जायँ।

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के फ्लोर में आये सदस्य नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान बना रहा।)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष को तो बोल लेने दीजिये। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया अपना भाषण शुरू करें।

(सदस्यों द्वारा निरन्तर नारे लगाते रहने पर)

कृपया आप लोग अपने स्थान पर जायें।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर से और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य अपने-अपने स्थानों से खड़े होकर नारे लगाते रहे जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 28 सितम्बर, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं । पहली सूचना श्री गंगा सिंह चौहान की, दूसरी सूचना मेजर जगत पाल सिंह की, तीसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की, चौथी सूचना श्री दीप लाल भारती की, पांचवी सूचना श्री भाई लाल की, छठवीं सूचना श्री मोहम्मद मुकीम की, सातवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार की, आठवीं सूचना श्री विजय पाल सिंह की, नौवीं सूचना श्री गोमती यादव की, दसवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की, ग्यारहवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की, बारहवीं सूचना श्री गोरखनाथ पाण्डे की, तेरहवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की, चौदहवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की, पन्द्रहवीं सूचना श्री अक्षयवर लाल की, सोलहवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की, सत्रहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की, अठारहवीं सूचना श्री अयोध्या प्रसाद पाल की, उन्नीसवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, बीसवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की, इक्कीसवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की, बाइसवीं सूचना श्री कोविद कुमार सिंह की, तेइसवीं सूचना श्री अरिमर्दन सिंह की, चौबीसवीं सूचना श्री रणधीर सिंह की, पच्चीसवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की, छब्बीसवीं सूचना श्री शिव पूजन राम की और सत्ताइसवीं सूचना श्री सरवर अली खां की है । जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई उनमें हैं श्री रमेश राही और श्री राम नक्षत्र ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद हरदोई में हरदोई फर्रूखाबाद मार्ग पर रोडवेज बसों को साण्डी हरपालपुर से चलवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गंगा सिंह चौहान–

[महोदय, हरदोई जनपद में हरदोई–फर्रूखाबाद मार्ग पर हरदोई डिपो, फर्रूखाबाद डिपो तथा दिल्ली डिपो की रोडवेज बसें कुछ समय पूर्व तक साण्डी व हरपालपुर से होकर जाती थीं । प्रशासन द्वारा अब उक्त बसें वाया साण्डी–हरपालपुर से न चलाकर बावन-जगदीशपुर मार्ग से चलायी जा रही हैं । जिससे साण्डी व हरपालपुर की जनता में घोर असंतोष व्याप्त है । वहां पर आये दिन धरना व प्रदर्शन किये जा रहे हैं । जनता में व्याप्त घोर असंतोष को दूर करने हेतु रोडवेज बसों को साण्डी-हरपालपुर से चलवाये जाने हेतु शासन से मांग करता हूँ ।]

जनपद मुरादाबाद के विद्युत सब स्टेशन रतनपुर कला से विद्युत तार की चोरी होने तथा जूनियर इंजीनियर द्वारा धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मेजर जगत पाल सिंह–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन रतनपुर कला (जनपद–मुरादाबाद) से ग्राम ढाक शहीद होती हुई ग्राम भैसोड़ा को विद्युत आपूर्ति करने वाली विद्युत लाइन के छः पोल का कुल

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विद्युत तार लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व चोरी हो गया था जिसकी रिपोर्ट थाना पाकबड़ा में जे०ई० द्वारा दर्ज कराई गई थी उक्त लाइन पर नया तार अभी तक नहीं लगाया गया है। संबंधित जे०ई० एस्टीमेट बनाने के लिए 5000 रुपया कृषकों से मांग रहा है। कृषकों की फसलें सूख कर नष्ट हो रही हैं। कृषकों में आक्रोश व्याप्त है।

मेरे क्षेत्र में कृषकों में रोष व्याप्त होने के कारण जनहित में लखनऊ के कार्यालय में उक्त प्रकरण की त्वरित जांच कराई जानी अति आवश्यक है।]

जनपद फैजाबाद के ग्राम द्वारिकापुर में ग्राम समाज की भूमि को सुनियोजित योजनान्तर्गत अवैध व्यक्तियों को दिये जाने की कार्यवाही एस०डी०एम० सदर फैजाबाद द्वारा किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा–

[मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–120 के उत्तर में सदन को यह अवगत कराया गया था कि ग्राम द्वारिकापुर परगना अमासिन तहसील सदर, जनपद फैजाबाद की गाटा संख्या–255 व 66 नवीन परती पर अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर गांव सभा को कब्जा दिया गया है। वास्तविकता यह है कि माननीय सदन को गुमराह करने के लिये एस०डी०एम० सदर फैजाबाद ने दिनांक 22-02-2001 को अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया था और फसल की सुपुर्दगी ग्राम प्रधान को दे दी गयी थी, परन्तु पुनः एस०डी०एम० सदर फैजाबाद ने अपने आदेश दिनांक 11-4-2001 द्वारा फसल काटने की अनुमति अवैध कब्जेदारों को प्रदान कर दी। ग्राम समाज भी भूमि को सुनियोजित योजना के अन्तर्गत अवैध व्यक्तियों को दिये जाने की कार्यवाही एस०डी०एम० सदर फैजाबाद द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रक्रिया के कारण जन प्रतिनिधि ग्राम प्रधान को सुनियोजित योजना एवं षड़यंत्र के अन्तर्गत अपमानित किया जा रहा है जिसके कारण पूरे ग्राम में तनाव की स्थिति पैदा हो गयी है। अवैध कब्जेदारों द्वारा जानमाल की धमकी दी जा रही है। इस तनाव को देखते हुये कोई भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है। अतः मैं उक्त लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाये जाने की मांग करता हूं।]

ग्राम सम्पुर गोनहा कुशीनगर में चकबन्दी प्रक्रिया पैमाइश पूर्ण कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपलाल भारती–

[मान्यवर, जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड–खड्डा अन्तर्गत ग्राम सभा रामपुर गोनहा जंगल में बंजर/परती/गांव सभी की भूमि/वन विभाग की भूमि पर अराजक तत्वों व भू-माफियाओं द्वारा 20-25 वर्ष से अवैध कब्जा किये जाने के कारण गांव में भूमिहीन/गरीबों को बंजर परती/वन विभाग की अनुपयुक्त कृषि भूमि को पट्टा होने के बाद भी कब्जा नहीं दिलाया जा सका, जिसके कारण गरीबों में आक्रोश है। वर्तमान ग्राम प्रधान को स्वयं अनुसूचित जाति के हैं श्री रामबिलास जी ने बताया है कि मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त गांव में चकबन्दी पूर्ण करने का आदेश हुआ है तथा मा० राजस्व मंत्री व

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चकबन्दी आयुक्त के निर्देशानुसार भी 30 जून तक चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी थी, परन्तु भू-माफियाओं ने जिला प्रशासन पर गलत आरोप लगाकर अभी भी दस प्रतिशत चकबन्दी का कार्य रोकवा दिया है, जिसके कारण ग्रामीण जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है ।

अस्तु जनहित में ऐसे ज्वलन्त प्रकरण को उठाकर सरकार से अनुरोध करता हूं कि ग्राम रामपुर गोनहा जंगल (कुशीनगर) में चकबन्दी प्रक्रिया अन्तर्गत रूके हुए चकबन्दी पैमाइश को पूर्ण कराकर भू-माफियाओं द्वारा हड़पे गये कृषि भूमि को वास्तविक कृषकों को कब्जा कराया जाय जंगल/बंजर भूमि को गरीबों/भूमिहीनों में पट्टा करके वितरित कर दिया जाय ।]

जनपद मिर्जापुर के स्वैच्छिक संस्थाओं के मानदेय का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भाई लाल–

[महोदय, कृपया जनपद मिर्जापुर के स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों ट्राईसेस/डबाकरा योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण मानदेय एवं छात्रवृत्ति भुगतान हेतु धनराशि जनपद को अवमुक्त की गयी थी किन्तु हमारे जनपद के स्वैच्छिक संगठनों को मानदेय व छात्रवृत्ति मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भुगतान अभी तक नहीं की गयी ।

कृपया आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम सम्पादित करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को उक्त मानदेय एवं छात्रवृत्ति भुगतान हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी मिर्जापुर को निर्देशित करने की कृपा करें जो जनहित में आवश्यक है ।]

जनपद देवरिया के ग्राम करहकोल में नवीन परती की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद मुकीम–

[मान्यवर, कृपया लोक महत्व के प्रश्न पर आपका तथा सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ग्राम सभा करहकोल वि०ख० व तहसील रुद्रपुर जनपद देवरिया के नवीन परती की भूमि संख्या–470 पर दक्षिण पश्चिम मेड़ से उत्तर–दक्षिण मेड़ तक 15 फीट चौड़ा सदियों से चले आ रहे आम रास्ता जिस पर बैलगाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, ट्राली आने-जाने के रास्ते से सीधे अभिनन्दन के दरवाजे दुर्गा मंदिर की गली के रास्ते तक चले आ रहे रास्ते पर गांव के ही दबंग गिरोहबंद गुण्डेबाज नरायण, हरी आदि द्वारा अवैध नांदा, खूटा रखकर रास्ता सकिस्त कर दिया गया है जिससे रामजी अभिनन्दन, सूर्यनारायण के परिवारजनों के निकास तथा आम जनता के आवागमन का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया गया है बावत में मा० राजस्व मंत्री जी के पत्र संख्या–4878/आर०एम०/2000, दिनांक 21-12-2000 तथा पत्र संख्या–4406/आर०एम०/2001, दिनांक 30-4-2001 जिलाधिकारी देवरिया, मा० राजस्व राज्य मंत्री के पत्र संख्या–144/रा०म०रा० वी०आई०पी०/2001, दिनांक 29-4-2001 जिलाधिकारी, देवरिया मा० गृह राज्य मंत्री जी के पत्र संख्या–1945/रा०मा० गृह/2000, दिनांक 20-12-2000 पुलिस अधीक्षक देवरिया, प्रमुख गृह सचिव के पत्र सं०–2526/पी०एस०एम०एस०/2001, दिनांक 26-4-2001

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिलाधिकारी देवरिया, पुलिस महानिदेशक के पत्र सं०–2234/विविध/डी०जी०पी०/2001, दिनांक 30-8-2001 पुलिस अधीक्षक देवरिया, मुख्य सचिव उ० प्र० शासन के पत्र सं०–1626/सी०एस० सी०सी०/2001, दिनांक 27-4-2001 पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा आदेश पारित किये गये हैं । परन्तु अभी तक उक्त 15 फुट चौड़ा सदियों से चले आ रहे रास्ता को साफ नहीं करवाया गया है जिससे रामजी अभिनन्दन, सूर्यनारायण के परिवारीजन के निकास तथा सार्वजनिक जनता के आवागमन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । प्रार्थीगण की भूमि सीमांकन कब्जा पत्रावली लम्बित है ।

अतः मैं इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

डी०आर०डी०ए० कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रस्थापित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार–

[महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं कि दिनांक 23-3-2001 को डी०आर०डी०ए० के कर्मचारियों की सेवा नियमावली मई, 2001 तक प्रख्यापित किए जाने की घोषणा की गयी थी । इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुयी है, जिससे कर्मचारी में रोष व्याप्त है, किसी भी रोज उग्र रूप धारण कर सकता है ।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है की आप सरकार को उक्त मामले में निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सूखे की चपेट में होने के कारण सरकारी वसूली स्थगित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय पाल सिंह–

[मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में है । खरीफ की फसल 80 प्रतिशत पर्याप्त वर्षा न होने के कारण बर्बाद हो गयी है । नहरें राजकीय नलकूप व निजी नलकूप आदि सिंचाई के साधन हैं । जबकि नहरों में पानी आना तो दूर की बात सफाई तक नहीं हो पा रही है । राजकीय नलकूपों की हालत तो बेहद दयनीय है । मात्र दस प्रतिशत ही कार्यरत हैं । उक्त दस प्रतिशत नलकूप भी विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहे हैं । यही स्थिति निजी नलकूपों की है । भू-गर्भीय जल स्तर नीचे चले जाने से ज्यादातर किसानों की बोरिंग फेल हो गयी है । जिन किसानों की बोरिंग फेल हो गयी है उनसे भी विद्युत बिलों की वसूली हेतु आर०सी० जारी की जा रही है । तहसील कर्मचारियों द्वारा किसानों से जो जबरदस्ती के साथ वसूली की जा रही है । भयंकर सूखे की तबाही के कारण फसलों के चौपट हो जाने के कारण किसानों की हालत अत्यन्त दयनीय हो गयी है । जिससे किसान सरकारी कर्जा चुकाने में असमर्थ है तथा किसानों में भारी त्राहि-त्राहि मची हुयी है । किसानों के पलायन की स्थिति पैदा हो गयी है ।

अतः विधान सभा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–301 के तहत सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा अब तक न दिये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोमती यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान शासन के कार्मिक अनुभाग–4 द्वारा जारी अ०शा०प०स०–4ईए०/2001 का–4/2001, दिनांक 8 सितम्बर, 2001 में उल्लिखित बिन्दु संख्या–6 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें शासन ने निगम कर्मियों को समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश विगत दिनांक 31 जनवरी, 2001 को किये थे । शासन के इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद लोक निर्माण अनुभाग–8 द्वारा शासनादेश संख्या–495/पी०आर०सी०/44-1-94–31–उ०वे०रि०/92, दिनांक 30-6-1994 की आड़ लेकर राजकीय निर्माण निगम के सहायक लेखाकारों/कार्यालय सहायकों/टंककों को लगभग 24 वर्षों की सेवा के बाद भी यह सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि निगम के लगभग सभी तकनीकी कर्मियों तथा भण्डारनायकों, चौकीदारों एवं संदेशवाहकों तक को 10 वर्षों की सेवा के बाद उच्च वेतनमान की सुविधा दी जा चुकी है । अपनी कुल सेवा की लगभग 95 प्रतिशत अवधि मूलतः एक ही पद और एक ही वेतनमान में गुजार चुके कर्मियों की अगले वर्ष सन् 2002 से सेवानिवृत्ति प्रारम्भ होने जा रही है । इसलिए विवादास्पद एवं कालातीत उक्त शासनादेश दिनांक 30-6-1994 से पूर्व 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मियों को दिनांक 18-11-90 समझौते के अनुपालन में भण्डारनायकों की भांति पदोन्नति/उच्च वेतनमान की सुविधा शीघ्र दिलाना आवश्यक है ।

अतः इस संबंध में, मैं शासन से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

देवरिया जनपद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा मजदूरों की मजदूरी न भुगतान किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

[महोदय, कृपया अति लोक महत्व का विषय आपके तथा सदन के ध्यान में आकर्षित कराना चाहता हूं । देवरिया जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा सन् 1994 में रुद्रपुर में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव 36 मजदूरों के द्वारा कराया गया था । परन्तु चिकित्साधिकारी एवं हेल्थ निरीक्षक द्वारा अभी तक उन 36 मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया जबकि 1-10-94 को उन्होंने बैंक से पैसा निकालकर चोरी दिखाकर प्राथमिकी दर्ज करा दी । उपरोक्त चोरी केस की जांच आडिट रिपोर्ट के आधार पर हुआ । विभाग के द्वारा विधान सभा सत्र 28-4-2000 में हमने नियम–51 में आपके यहां सूचना दी थी । जिसमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का संदर्भ लेते हुए हमें जवाब दिया गया था कि दिनांक 12-5-2000 को विधान सभा में कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रुद्रपुर जनपद देवरिया वर्ष 1994-95 में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव में 36 मजदूर लगाये गये थे 36 दैनिक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान माह जून तथा जुलाई, 1994 को नहीं हुआ भुगतान कराने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । परन्तु अभी तक न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही भुगतान कराया गया जिसकी वजह से उन 36 दैनिक गरीब मजदूर के परिवार के लोग

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भूखों मर रहे हैं। कितनों के परिवार के लोग दवा एवं भोजन के अभाव में मर गये विभाग द्वारा काफी लापरवाही बरती जा रही है।

अविलम्बनीय उदासीन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कराने के साथ-साथ भुगतान कराने का निर्देश देने की कृपा करें।]

राजस्व विभाग के लेखपालों को मिलने वाले प्रोन्नत वेतनमान में नवीन शासनादेश में विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल–

[महोदय, जनपदों के राजस्व विभाग/तहसीलों में तैनात लेखपालों को शासनादेश सं०–3214/1-9-94 रा०, लखनऊ दिनांक 17-6-1994 के द्वारा लेखपालों की प्रोन्नति नियुक्ति सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों पर होने से निरस्त कर दी गई थी और उनको भूलेख निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति' का प्राविधान शासनादेश सं०अ०शा, प०सं०–1316/1-9-/98 रा०–9-22/10-87, दिनांक 12-12-98 द्वारा राजस्व निरीक्षक का पुराना वेतनमान 1350–2200 दिया जाने लगा था तथा पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर भूलेख निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत लेखपालों को 1350 के स्थान पर 4500/–रु० वेतन दिया जाने लगा था।

परन्तु राजस्व परिषद् उ० प्र० के पत्र संख्या–6750/4–25 ए/86, लखनऊ दिनांक 9-8-2001 के द्वारा राजस्व निरीक्षक का प्रोन्नत वेतनमान 1350–2200 को समाप्त करके सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो को प्रोन्नति वेतनमान 1200–2040 कर दिया गया है तथा पूर्व शासनादेशों के अनुसार लेखपालों की प्राविधानित सेवा नियमावली का संशोधन भी 1994 से नहीं किया गया है। चूंकि लेखपालों की प्रोन्नति सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के पद के स्थान पर भू-लेख निरीक्षक के पद पर होने का प्राविधान शासनादेशों में किए जाने के बावजूद भी राजस्व परिषद् के उक्त आदेश से प्रोन्नत लेखपालों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी न करके उनको 1350–2200 से घटाकर 1200–2040 कर दिया गया है तथा पूर्व में दिए गए वेतनमान 1350–2200 को समाप्त करके उनसे धन की वसूली भी राजस्व परिषद् के उक्त आदेश से की जा रही है। इस विसंगति से प्रदेश भर के लेखपालों के साथ अन्याय व शोषण किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के इस विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करते हुए उक्त विषय पर उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें।]

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) में गंगा नदी के कटान से छेछुहा ग्राम को समाप्त होने से बचाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[मान्यवर, जनपद संत रविदास नगर भदोही ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत छेछुहा ग्राम सभा गंगा नदी की कटान की वजह से प्रति वर्ष सैकड़ों बीघा जमीन गंगा में विलीन होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्ष पहले हरिहरपुर नामक गांव गंगा में विलीन हो चुका है। यदि कटान को रोकने हेतु समुचित

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व्यवस्था नहीं हुई तो छेछुहा ग्राम भी कुछ ही वर्षों में गंगा में विलीन हो सकता है । जिससे करोड़ों की सम्पत्ति एवं सैकड़ों परिवार समाप्त हो जायेंगे ।

कृपया आपसे अनुरोध है कि करोड़ों की सम्पत्ति एवं हजारों व्यक्तियों के जान-माल की सुरक्षा हेतु छेछुहा ग्राम सभा को बचाने गंगा नदी के कटान को रोकने हेतु शासन से वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें ।]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जन्मेजय सिंह–

[मान्यवर, मैं नियम–301 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :–

(1) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

(2) आवास विकास परिषद् निर्माण खण्ड–3 इन्दिरा नगर लखनऊ के कार्यालय में लिपिकों से कार्य न लेकर पम्प चालकों से कार्य लिया जा रहा है ।

(3) आवास विकास परिषद् निर्माण खण्ड–3 में पम्प चालक के पद पर कार्यरत श्री वाई०के० अवस्थी से लिपिक का कार्य लिया जा रहा है तथा महत्वपूर्ण पत्रावलियों का कार्य भी श्री वाई०के० अवस्थी को ही दिया गया है । जिससे वह भू-माफियाओं से मिलकर लाखों की मोटी रकम लेकर आवास विकास परिषद् को करोड़ों की जमीन भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करा दिया है ।

(4) श्री वाई०के० अवस्थी के द्वारा निजी स्वार्थवश आवास विकास परिषद् के नियम के विपरीत कार्य करने तथा भू-माफियाओं का सहयोग करने के कारण वहां के कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है तथा यह समस्या इस समय वहां भयावह रूप ले चुकी है ।

(5) श्री वाई०के० अवस्थी जो आवास विकास परिषद् में पम्प चालक हैं परिषद् में गलत तरीके से लगभग कार्य करके लगभग 10 लाख रुपया का भवन बना लिया है और भी चल एवं अचल सम्पत्ति बना लिया है । जो आय से अधिक है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए यह मांग करता हूं कि श्री वाई०के० पम्प चालक का स्थानान्तरण दूसरे खण्ड में करके 10 लाख के मकान एवं अन्य चल-अचल सम्पत्तियों की जांच करने हेतु प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें जिससे पुनरावृत्ति न हो सके ।]

जी०पी०ओ० पार्क लखनऊ स्थित सरदार बल्लभभाई पटेल की मूर्ति के पीछे भारत के मानचित्र को सही न दिखाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यशपाल सिंह चौहान–

[मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान विधान सभा मार्ग, लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर स्थित जी०पी०ओ० पार्क में स्थापित लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पीछे अंकित भारत के मानचित्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । उक्त मानचित्र में भारत वर्ष के विभिन्न

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

राज्यों का चित्रण किया गया है जिसमें गंभीर त्रुटियां हैं । उदाहरणार्थ, यदि यह मानचित्र सरदार बल्लभ भाई पटेल के जीवन काल में विद्यमान राज्यों की स्थिति के आधार पर बनाया गया है तो इसमें हिमांचल, हरियाणा तथा पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों का चित्रण नहीं होना चाहिए था और यदि इस मानचित्र में राज्यों की वर्तमान स्थिते दिखाई गई है तो लगभग एक वर्ष पूर्व सृजित गठित किये गये झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल राज्य का चित्रण नहीं किया गया है जो एक गंभीर अनियमितता है ।

अतः मैं आपके माध्यम से इस त्रुटि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत के मानचित्र में दर्शित इन गंभीर त्रुटियों का निराकरण करते हुए जी०पी०ओ० पार्क स्थित सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पीछे भारत के बनाये गये मानचित्र में राज्यों की सही स्थिति दर्शाए जाने की मांग करता हूं ।]

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में बोरिंग के लिये रिंग मशीनों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अक्षयवर लाल–

[मैं सदन के सम्मुख यह तथ्य लाना चाहता हूं कि लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग–2 के शासनादेश 3486/62-2-2001–2/2(5)/2001, लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2001 जिसमें वित्तीय वर्ष 2001-2002 हेतु लघु सिंचाई विभाग के 4 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जनपदवार वार्षिक/मासिक कार्य योजना के लक्ष्यों के प्रसारण के मुख्य बिन्दु 2 एवं 3 गहरे नलकूपों के पूरे उ० प्र० के विभिन्न जनपदों में निर्माण की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि लघु सिंचाई विभाग के पास मात्र 18 नम्बर रिंग मशीनें कार्यरत हैं परन्तु उनके द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 500 गहरे नलकूप जिला योजना के अन्तर्गत तथा 500 गहरे नलकूप विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 तक बनवाने हेतु सरकार जिला योजना के अन्तर्गत रु० 697.34 लाख तथा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत विशेष सहायता में रु० 900 लाख का परिव्यय आवंटित किया गया है । उपरोक्त गहरे नलकूपों का निर्माण लघु सिंचाई विभाग की रिंग मशीनों द्वारा वर्ष 2001-2002 में पूर्ण कराया जाना असंभव है । इस कारण भू-गर्भ जल विभाग जो लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ही कार्यरत है की 9 रिंग मशीनों द्वारा कृषकों के नलकूप निर्माण करवाये जायें तथा जिला योजना एवं राज्य सेक्टर से आवंटित बजट को रिंग मशीनों के अनुपात में तत्काल आवंटित कर गहरे बोरिंग का कार्य करवाया जाय क्योंकि वहां पर करोड़ों रुपये के उपकरण बिना कार्य के कई वर्षों से खड़े हैं जिस पर सरकार की करोड़ों रुपये की धनराशि खर्च हुई है । इन्हीं मशीनों का उपयोग नलकूप निर्माण हेतु किया जाय तथा वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग में नई रिंग मशीन न क्रय की जाय जिससे भू-गर्भ जल विभाग के वैज्ञानिकों एवं यांत्रिक अभियन्ताओं का उपयोग प्रदेश हित में हो सके । जबकि पूरे उ० प्र० का भू-जल माप भू-गर्भ जल विभाग से ही पूर्व की भांति कराया जाय जिससे प्रदेश में हो रही फ्री बोरिंग एवं गहरी बोरिंग का लाभ कृषकों को मिल सके एवं सरकार के अरबों रुपये की सही जानकारी सरकार को प्राप्त हो सके तथा धन का दुरुपयोग रुक सके एवं समय पर लक्ष्यों की पूर्ति हो सके ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद चित्रकूट में सिरावल मार्का पम्प नहर के सिल्ट सफाई एवं पटरी मरम्मत के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ददूदू प्रसाद–

[महोदय, जनपद चित्रकूट में सिरावल मार्का पम्प नहर 1975 में संचालित की गयी थी इस पम्प नहर के चलने से क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गयी थी बड़ी संख्या में किसानों ने गन्ना धान तथा गेहूं की फसल उगाकर देश का उत्पादन बढ़ाया था परन्तु पम्प नहर का अनुरक्षण ठीक न होने के कारण कई जगह से उक्त पम्प नहर का कटाव हो गया ग्राम सिरावल के पास तो बालू के ठेकेदारों ने नहर को समाप्त करके रास्ता बना लिया है । बिजली आपूर्ति के पश्चात् भी नहर चलायी नहीं जाती किसानों को पानी नहीं मिलता फसलें सूख जाती हैं इस नहर में बड़े पैमाने पर पटरी मरम्मत तथा सिल्ट सफाई करने की आवश्यकता है जिसमें लगभग दस लाख रुपये की आवश्यकता है ।

अतः लोक महत्व के इस विषय की ओर शासन का ध्यानाकर्षण कराकर उक्त धनराशि स्वीकृत कराने के निर्देश देने की कृपा करें ।]

राजकीय कन्या विद्यालय बाराबंकी में विज्ञान वर्ग की छात्राओं से अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[कृपया मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राजकीय कन्या विद्यालय जनपद–बाराबंकी में विज्ञान वर्ग की छात्राओं से अवैध रूप से विज्ञान शिक्षिका द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा के नाम पर हजारों रुपये वसूले गये हैं, उक्त शिक्षिका का मध्य सत्र में राजनीतिक पहुंच के कारण जगदीशपुर, सुल्तानपुर से बाराबंकी के उक्त विद्यालय में स्थानान्तरण किया गया है । उक्त विद्यालय के विज्ञान वर्ग की शिक्षिका का अपनी सह अध्यापिकाओं, प्रधानाचार्य, छात्राओं एवं अभिभावकों आदि से बात बात से गरमा गरमी तथा अभद्रतापूर्ण व्यवहार प्रकट किया जा रहा है जब कोई विरुद्ध बोलने की हिम्मत करता है तो यह विज्ञान शिक्षिका अपने वकील पति द्वारा अदालत में घसीटने की धमकी सबको देती रहती हैं । उक्त शिक्षिका ने अपनी आय से अधिक अवैधं अर्जन द्वारा इन्दिरा नगर, लखनऊ में एक आलीशान इमारत भी बनवाई है । उक्त शिक्षिका द्वारा अवैध वसूली तथा उसके अभद्र व्यवहार के कारण कालेज की छात्राओं एवं अध्यापिकाओं एवं अभिभावकों में काफी रोष व्याप्त है जिससे किसी भी समय कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण विषय की उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें ।]

जनपद फतेहपुर से थाना गाजीपुर के ग्राम शाह के मजरे गोपालपुर में गांव के ही व्यक्ति द्वारा लूटपाट एवं डकैती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अयोध्या प्रसाद पाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर में थाना गाजीपुर के गांव शाह के मजरे गोपालपुर में दिनांक 24-9-2001 समय लगभग 10.00 बजे दिन को शाहगांव के बब्बन सिंह उर्फ संतोष सिंह गोले व धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवप्रताप सिंह आदि लोगों ने

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अपने लगभग 100-150 साथियों सहित असलहा लेकर श्री राम किशोर पुत्र मेढ़ी लाल पासी व कमल किशोर पुत्र श्री मेढ़ी लाल के घर में घुस कर लूटपाट तथा औरत एवं बच्चों को मारा-पीटा तथा मकान गिरा दिया और मकान का सारा सामान ट्रैक्टर में भरकर गायब कर दिया गया । कमल किशोर व राम किशोर उक्त घटना की सूचना चौकी शाह देने गये तो कमल किशोर को चौकी में बन्द कर दिया गया तथा रात्रि भर पुलिस यातना देती रही । उच्चाधिकारियों से सम्पर्क करने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ । लेकिन पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है । पूरे क्षेत्र में भय एवं दहशत व्याप्त है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त घटना में मुल्जिम की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश जिला प्रशासन को देने का कष्ट करें ।]

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ को स्वीकृत अनुरक्षण अनुदान यथावत रखने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत यथावत रखने के संबंध में निवेदन है ।

उपरोक्त विश्वविद्यालय में 103 महाविद्यालय तथा 100 स्ववित्त पोषित संस्थान सम्बद्ध है । प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपया अनुरक्षण अनुदान मिलता था जानकारी मिली है कि इस वर्ष इसे व्यवर्तित करके लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है । कठिनाई होगी छात्रों का बोझ इन पर बैठेगा, विश्वविद्यालय में अव्यवस्था उत्पन्न होगी ।

शासनादेश सं०–1096/70-4/2001–39(5)2000, दिनांक 30-4-2001 द्वारा 3,05,01,000 अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत हुआ था ।

प्रथम किस्त 76,25,250 अवमुक्त हुआ । देय द्वितीय किस्त अभी तक नहीं मिली जो कि जुलाई 2001 में मिलनी चाहिये थी कर्मचारियों के वेतन में कठिनाई है ।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये शासनादेश के अनुसार द्वितीय किस्त अवमुक्त करने की मांग करता हूं ।]

चित्रकूट धाम मण्डल में पुलिस प्रशासन की गलत नीति के चलते अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर अत्याचार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल कुशवाहा–

[मान्यवर, आपके माध्यम से संज्ञान में लाना है कि चित्रकूट धाम मण्डल में पुलिस प्रशासन की गलत नीति के चलते अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ा है । श्री सुन्दर लाल कुशवाहा पुत्र श्री राम संजीवन हाल मुकाम फायर सर्विस स्टेशन चौराहा, शहर थाना कोतवाली–महोबा, जिला महोबा के पुत्र अनिरुद्ध उर्फ पिन्टू का कस्बे के मोहल्ला–इमलीबरा निवासी टुण्डा चौरसिया व उसके बेटे आदि दिनांक 6-4-2001 को अपने कब्जे में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लिए हुए हैं तथा मुक्त कराने के एवज़ में मू० 40,000/–रु० फिरौती के रूप में मांग रहे हैं । थाना कोतवाली जनपद महोबा में मु०अ०सं०–231/2001 धारा–364 ए आई०पी०सी० का अभियोग सरकार बनाम टुण्डा चौरसिया आदि पंजीकृत है । परन्तु अभी तक न तो पुलिस ने अपहृत अनिरुद्ध को मुक्त करा पायी और न नामित मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर पायी है, जबकि पुलिस संरक्षण में अभियुक्तगण घूम रहे हैं और वादी को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ।

बांदा जनपद के थाना विसण्डा में दिनांक 1-9-2001 को समय लगभग 3 बजे दिन के कल्लू पुत्र गनेश चमार निवासी कस्बा थाना–विसण्डा जनपद बांदा की नाबालिग पुत्री कु० सुमन ठाकुर राम सहाय सिंह परिहार की चक्की में अपना आटा लेने गयी थी, कि चक्की घर में पहले से मौजूद अभियुक्त लोकेन्द्र सिंह उर्फ लाला भईया पुत्र राजा भईया परिहार व भीम पुत्र राम प्रताप कुशवाहा निवासी थाना कस्बा विसण्डा ने चक्कीघर में ही अन्दर बंद कर जबरन उसके साथ बलात्कार किया । घटना की सूचना देने गए अपनी बेटी के साथ कल्लू को थानाध्यक्ष विसण्डा अशोक कुमार सिंह रात भर थाने में बैठाए रखा । जब वह राजी नहीं हुआ तो दिनेश कुमार तिवारी से एक प्रार्थना-पत्र लिखवाकर धारा–354/342 आई०पी०सी० का मुकदमा दर्ज कर लिया । उनके द्वारा प्रस्तुत तहरीर को फाड़कर फेंक दिया इस गंभीर अपराध को छुपाने का दुस्साहस प्रयास किया गया है । घटना व अपराध की प्रकृति के अनुरूप कार्यवाही नहीं की गयी । कु० सुमन का डाक्टरी मुआयना नहीं कराया गया और मुकदमा संगत धारा 376 आई०पी०सी० को नहीं लिखा गया ।

अतः अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करें । ।

जनपद बांदा की तहसील बांदा में ग्राम भरखरी के कोटेदार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर वस्तुएं बेचने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद बांदा के तहसील सदर बांदा के ग्राम भरखरी में कोटेदार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर वस्तुएं बेची जा रही हैं तथा शिकायत करने पर दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के साथ गाली-गलौज तथा धमकी दी गयी जिसकी लिखित शिकायत उप जिलाधिकारी सदर बांदा व जिलाधिकारी बांदा से हलफनामा देकर दिनांक 18-9-2001 को की गई इसके पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11-7-2001 व 8-8-2001 को प्रस्ताव पास कर दुकान निरस्त करने का अनुरोध किया गया । उपभोक्ताओं से अभद्रता के कारण थाना कोतवाली द्वारा कोटेदार का 107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत चालान भी किया गया किन्तु उप जिलाधिकारी सदर द्वारा कोटा निरस्त न करने से ग्रामवासियों में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद शाहजहांपुर में तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों (प्रशासनिक) द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कोविद कुमार सिंह–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अतिमहत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं ।

जनपद शाहजहांपुर में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है कई बार स्थानीय एवं अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराने एवं लिखित रूप से देने के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है । ऐसे अधिकारी जिसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने तथा परपीड़न में रुचि होने के कारण जनमानस में निरन्तर शासन की छवि धूमिल हो रही है । इसके निम्नलिखित ज्वलन्त उदाहरण हैं जिसमें उप जिलाधिकारी, सदर की सीधे-सीधे जिम्मेदारी है ।

प्रतिबन्धित रिवाल्वर शस्त्र लाइसेन्स संख्या–6912, 6784, 8291, थाना सदर बाजार व 3444 थाना जी०एस० द्वितीय व 4336 थाना पुवायां को अनाधिकृत रूप से 5 वर्षों से पूर्व विक्रय की अनुमति दी गयी है ।

श्रीमती पूनम दत्ता, प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा तहसील सदर में चल रही सस्ते गल्ले की राशन की दुकानों के सत्यापन में पाया कि दुकानें अभिलेख में चल रही थीं परन्तु वास्तविक रूप से दुकानें मौके पर कार्य नहीं कर रही थीं । इन दुकानों हेतु निर्धारित सामग्री प्रतिमाह जारी होती रही तथा उसका सत्यापन भी उप जिलाधिकारी सदर द्वारा किया जाता रहा ।

ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग तहसील सदर में कतिपय वादों के निस्तारण हो जाने के फलस्वरूप उप जिलाधिकारी सदर द्वारा दिनांक 19-6-2001 द्वारा आदेश पारित कर जिलाधिकारी में निहित शक्तियों का दुरुपयोग निजी स्वार्थवश कर सरकार के आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया है ।

वाद संख्या–17/87 तहसील सदर श्रीमती शशिकला बनाम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में एक षडयंत्र के तहत परस्पर दो विरोधाभासी आदेश पारित किये हैं । ग्राम गन्धार में वाद संख्या–30/98 धारा 229 बी० में वादीगण के हक में ग्राम समाज की भूमि 3.832 है० का अंतरण कर दिया है जबकि गांव सभा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही कब्जा माना जा सकता है । उल्लेखनीय है कि इस अनाधिकृत कब्जा में एक तीन वर्ष के बालक का भी कब्जा 12 वर्ष पुराना स्वीकार कर लाभ प्रदान किया गया है जो किसी भी दशा में संभव नहीं है । उक्त अवांछनीय घटनाओं के चलते जनपद की जनता में भय एवं आर्थिक उत्पीड़न का वातावरण बन गया है जबकि शासन द्वारा जनता में स्वच्छ प्रशासन एवं पारदर्शिता लाने का संकल्प लिया गया है । अतः उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों के प्रकाश में शासन एवं प्रशासन की छवि धूमिल करने वाले संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल विधिक/दंडात्मक कार्यवाही करने तथा इसकी सूचना सदन के पटल पर दिये जाने के लिए सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद महोबा के पिपरामाक के कृषकों के पुनर्वास एवं सिंचाई की व्यवस्था के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अरिमर्दन सिंह–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण लाना चाहता हूं । जनपद महोबा के पिपरामाक के आधे से अधिक किसानों की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण कर दुर्मिल बांध का निर्माण कर दिया गया है । परन्तु उस क्षेत्र में आने वाले गांवों के निवासियों का पुनर्वास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसान, मजदूर बेहाल हैं । बांध बन जाने के कारण उक्त गांवों के किसानों की कृषि की सिंचाई भी नहीं हो पाती है । जबकि कैमहा पम्प हाउस में प्रयोगहीन पम्पों का उपयोग किसानों के हित में किया जा सकता है ।

मान्यवर, इस स्थिति के कारण गांव के लोगों में रोष है तथा किसान आन्दोलन करने पर आमादा हैं । कृपया इस अविलम्बनीय लोक महत्व को सदन के संज्ञान में लाकर शासन का इस ओर ध्यान आकृष्ट कर किसानों के हित में कार्य की मांग करता हूं ।]

लखनऊ, जौनपुर व बिजनौर के संबिलीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अतिथि प्रवक्ताओं/अंशकालिक शिक्षकों तथा कर्मचारियों का प्रचलित कालेज में योगदान के सम्बित प्रकरण के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणधीर सिंह–

[मान्यवर, स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष शासनादेश एवं मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ के आदेश से कार्यरत लखनऊ, जौनपुर व बिजनौर के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के अतिथि प्रवक्ताओं, अंशकालिक शिक्षकों व तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का योगदान प्रचलित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में नहीं लिया जा रहा है । केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली द्वारा बार-बार शिक्षकों के अभाव को पूरा किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार/होम्योपैथी विभाग से किया जा रहा है । मा० उच्च न्यायालय–इलाहाबाद ने भी लोक सेवा आयोग से चयन तक अतिथि प्रवक्ता व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न किये जाने का निर्देश दिया है । मुख्य मंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव सचिवालय व चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय ने भी समय-समय पर मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की अपेक्षा की है । पठन-पाठन, कार्यहित एवं जनहित में अतिथि प्रवक्ताओं, अंशकालिक शिक्षकों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का प्रचलित कालेज में योगदान लिया जाना अपरिहार्य है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए अतिथि प्रवक्ताओं, अंशकालिक शिक्षकों, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का योगदान सुनिश्चित किये जाने, प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं वक्तव्य की मांग करता हूं ।]

जिला पंचायत मथुरा में अर्डीग का ठेका के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं'।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश में जनहित में जिला पंचायतों द्वारा जनता के उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए सभी ठेकों को निरस्त कर दिया गया था परन्तु खेद है जिन ठेकों के ठेकेदारों द्वारा अपनी धनराशि जमा की थी उनकी वापस नहीं की गयी है जबकि नियमानुसार ठेका निरस्त के तत्काल बाद उनकी धनराशि वापिस कर दी जानी थी, उदाहरण के लिए मथुरा जिला पंचायत में गणेश कुमार यादव पुत्र दाऊदयाल अडींग–मथुरा द्वारा अडींग का ठेका एक लाख एक हजार में लिया था । अड्डा पड़ाव, परन्तु जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जमा धनराशि का प्रयोग कर लिया गया वह बार-बार अपनी धनराशि को वापिस हेतु अनुरोध करता रहा परन्तु वापिस नहीं की गयी । इस संबंध में मा० मुख्य मंत्री को भी पत्र लिखा जिसको मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा अपने पत्रांक संख्या सी०एम०/वि० कोष्ठक/46407/200/द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश को भी निर्देश हुये परन्तु भुगतान पीड़ित को नहीं हो पाया है । इसी प्रकार के अन्य बहुत से प्रकरण लम्बित हैं, पीड़ितों को प्राप्त के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है । जिला पंचायतों द्वारा धनराशि वापस नहीं की जा रही है ।

मेरा अनुरोध है कि आप शासन को निर्देश दिये जाने का कष्ट करें कि वह जिन लोगों की धनराशि अड्डा पड़ाव के ठेके की जमा है निश्चित अवधि में धनराशि वापिस करें । यदि ऐसा करने में असमर्थ है तो धन का दुरुपयोग अथवा अग्रमद में प्रयोग करने के आरोप में जिला पंचायत अध्यक्षों को भंग करें तथा अनियमितता पर नियंत्रण लगे ।]

राज्य सम्पत्ति बिभाग की सचिवालय कालोनी महानगर में अतिक्रमण की बढ़ती समस्याओं के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव पूजन राम–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राज्य सम्पत्ति विभाग की सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में अतिक्रमण की बढ़ती समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । सचिवालय कालोनी, महानगर के चातुर्दिक अनधिकृत रूप से होटल, गैराज, पान की दुकानें, चाय के ठेले तथा धार्मिक स्थल के नाम से सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा हो रहा है जिसके प्रति राज्य सम्पत्ति विभाग उदासीनता बरत रहा है । इन सबके कारण उक्त कालोनी के निवासियों को अनेक असुविधाओं का सामना ही नहीं करना पड़ता वरन् असामाजिक हरकतों का भी शिकार बनना पड़ रहा है ।

उक्त स्थिति में आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

सी०एच०जी० पदधारकों को जनपद बाराबंकी के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में उचित मानदेय न दिये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरवर अली–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद–बाराबंकी के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर सी०एच०जी० पदधारक कार्यरत हैं । इन पदधारकों को सन् 1978 से अब तक मात्र 50/–माहवार मानदेय के रूप में दिया जा रहा है । उक्त पदधारकों से गांवों में दवा वितरण का कार्य लिया जा रहा था सरकार ने अब गांवों में दवा वितरण पर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भी रोक लगा दी है जिससे एक तो ग्रामीणों को दवा नहीं मिल पा रही है दूसरे सी०एच०जी० पदधारक अपने भविष्य के लिए चिन्तित हैं । सन् 1985 में न्यायालय द्वारा उक्त पदधारकों को मासिक मानदेय रु० 550/–किये जाने के आदेश दिये थे परन्तु आज तक इन पदधारकों को मानदेय मात्र 50/–रु० ही दिया जा रहा है । उक्त कारणों से जनपद के ग्रामीणों को ग्रामीण स्थल पर दवा न मिलने के कारण तथा सी०एच०जी० पदधारकों का मानदेय न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी न बढ़ाये जाने के कारण आम तौर से असन्तोष व्याप्त है ।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें । ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 28-9-2001 को नियम–300 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है अल्प सूचना पर विधान सभा का सत्र बुलाये जाने से अल्पसूचित प्रश्न न पूछे जा सकने के संबंध में । दूसरी सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है, तीसरी सूचना श्री श्रीराम पाल की, चौथी सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की, पांचवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की, छठी सूचना श्री रणधीर सिंह की और सातवीं सूचना श्री आनन्द प्रकाश की है । ये सभी सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं ।

उत्तर प्रदेश मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2001 †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–870/30-4-2001–20(131)–2000, दिनांक 05 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2001 को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 (3) के अनुसार, विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001 †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–924/30-4-2001–11(2)–2000, दिनांक 19 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2001 को उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 29 (2) के अनुसार, विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) नियमावली, 2001 †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–का०नि०–2–1224/ग्यारह–9(230)/95–उ० प्र० अधि०–15-48–नियम–1948–2001 (2), दिनांक 21 अप्रैल, 2001

---

† छापी नहीं गयीं ।

द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) नियमावली, 2001 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23 क (1) के अनुसार तथा विज्ञप्ति संख्या–

1–क०नि०–2–1272/ग्यारह–7(32)/90–उ०प्र०अधि०–15-48–आदेश–(23)–2001, दिनांक 25 अप्रैल, 2001

2–क०नि०–2–1273/ग्योरह–7(32)/90–उ०प्र०अधि०–15-48–आदेश–(24)–2001, दिनांक 25 अप्रैल, 2001

3–क०नि०–2–1533/ग्यारह–6(11)/86–उ०प्र०अधि०–15-48–आदेश–(25)–2001, दिनांक 22 मई, 2001

4–क०नि०–2–1535/ग्यारह–6(11)/86–उ०प्र०अधि०–15-48–आदेश–(27)–2001, दिनांक 22 मई, 2001

को उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम 1948 की धारा 3 क की उपधारा (2) के अनुसार, विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां †

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–

1–क०नि०–2–1778/ग्यारह–9(158)/2000–उ०प्र०अधि०–15-48–आदेश–2001-(29), दिनांक 14 जून, 2001

2–क०नि०–2–1779/ग्यारह–9(158)/2000–उ०प्र०अधि०–15-48–आदेश–2001-(30), दिनांक 14 जून, 2001

3–क०नि०–2–2594/ग्यारह–9(51)/99–उ०प्र०अधि०–15-48–आदेश–(35)–2001, दिनांक 27 अगस्त, 2001

4–क०नि०–2–2595/ग्यारह–9(51)/99–उ०प्र०अधि०–15-48–आदेश–(36)–2001, दिनांक 27 अगस्त, 2001

को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3 क की उपधारा (2) के अनुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

वर्ष 2001 के प्रथम सत्र में नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ††

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2001 के प्रथम सत्र में, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर, कृत कार्यवाही का विवरण, विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयीं।

†† छापा नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष–

सभापति, लोक लेखा समिति, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

(व्यवधान के मध्य, माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सभापति, लोक लेखा समिति को कई बार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना दे रहा हूं । उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 सितम्बर, 2001 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

सितम्बर, 2001

---

28 शुक्रवार

1–वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन् की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2–उत्तर प्रदेश पं० दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान बिधेयक, 2001 पर विचार एवं उसका पारण ।

3–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

(ख) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

(ग) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

(घ) उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् पारित हुआ,

(ङ) उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

(च) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

(छ) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 10/15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 12 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 10 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

(1 बजकर 10 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा० उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 1 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज जिस तरह से लखनऊ को दंगे की आग में झोंक कर एक समाज विशेष के लोगों का कत्ल कराया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसी पर आ रहा हूं ।

आज दिनांक 28 सितम्बर, 2001 को नियम–56 में 10 सूचनायें प्राप्त हुयीं और नियम–311 में प्राप्त 2 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित किया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर दो सूचनायें चयनित की गयीं जिन पर ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 26/27 सितम्बर की रात्रि 3 बजे लखनऊ में अंबरगंज में स्थित मस्जिद में कुछ जमात के लोग रुके थे जो मुस्लिम समाज के थे । यह धार्मिक उपदेश देने वाले लोग थे और इशतमा करने वाले लोग थे । रात को 3 बजे एस०टी०एफ० वहां पहुंचती है और उनको सिमी का एजेन्ट कहकर इस्लामिक मूवमेन्ट आफ इण्डिया के एजेन्ट मानकर उनको गिरफ्तार करके ले आती है । यह जो जमात के लोग थे उनकी संख्या 15 थी जिनमें से बाद में 12 लोगों को टैम्पो में बैठाकर रुखसत कर दिया जाता है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाकी 3 लोगों को सिमी का एजेन्ट मानकर गिरफ्तार करके उनको तालकटोरा थाने लाया जाता है। जब मुस्लिम समाज के लोगों को यह मालूम होता है कि जमात के लोग जो इशतमा करने आये थे, हमारे धर्म गुरूओं को सिमी का एजेन्ट कहकर गिरफ्तार किया गया है तो कई लोग वहां पर आ गये और प्रशासन के लोग भी वहां पहुंचे। वहां बातचीत हुयी और ए०सी०एम०। × × × ।ने भी उनसे बात की और जब वह मुतमइन हो गये कि यह सिमी के एजेन्ट नहीं हैं, जमात के लोग हैं तो वह उनको मुचलके पर छोड़ने के लिये मुचलके की कार्यवाही करके लोगों को छोड़ दिया गया। इसी के दौरान अकबरी गेट चौराहे पर जिन लोगों को नहीं मालुम था कि हमारी जमात के लोगों को छोड़ दिया गया है, उनकी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुयी और वह यही मांग कर रहे थे कि हमारी जमात के लोगों को छोड़ा जाय। वहां पर जो प्रशासन के लोग थे तो उनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए था कि वह सभी लोग छोड़ दिए गये हैं इसके बजाय लाठी डण्डा फटकारकर उनको धकेलने का काम शुरू कर दिया गया। यदि प्रशासन के लोग ठीक तरह से काम करते आपस में विचार-विमर्श करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते तो यह जो लाठीचार्ज हुआ है, फायरिंग हुई है जिससे 5-5 लोगों की मौतें हुई है। 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिसमें से 6 लोगों को मैं खुद मेडिकल अस्पताल में देखने गया था। किसी को आक्सीजन लगी है कोई आक्सीजन पर चल रहा है कोई दम तोड़ने की स्थिति में है सारे के सारे लोग लहूलुहान हैं सबको गोलियां लगी हैं। इसी तरह से मैं बलरामपुर अस्पताल गया था रात को 12 बजे अस्पताल में पहुंचा तो वहां पर तीन लोग उस अस्पताल में भी मौत से जूझते हुए दिखाई दिए तीनों को गोलियां लगी हुई हैं किसी के हाथ पर किसी के पैर पर किसी के सर पर।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक मिनट के लिए हम यह मान भी लें कि जो तीन लोग पकड़े गये जिनको ए०सी०एम० [× × ×] ने मुचलके पर छोड़ा अगर वह सिमी के एजेन्ट थे तो गिरफ्तारी होने के बाद क्यों छोड़ा। अगर गिरफ्तारी हो गयी थी तो उसके बाद वहां पर भीड़ पर जिस तरह से गोली चलाई गई वहां पर मौजूद एडीशनल एस०पी० [× × ×] मौजूद थे, ए०डी०एम० मौजूद थे, सी०ओ० मौजूद थे इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से गोली चलाने की पहल की यहां तक कि पी०ए०सी० के और पुलिस के जवान भी उस समय तक गोली चलाने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन एडीशनल एस०पी० व सी०ओ० ने पुलिस कर्मियों की रायफल छीनकर गोलियां चलानी शुरू कीं। यह उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं उसी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इत्तेफाक से जिस समय इस सदन के अन्दर कानून व्यवस्था पर चर्चा चल रही थी उसी समय चौक एरिया में समाज के लोगों पर गोली वर्षा हो रही थी उनको गोलियों से भूना जा रहा था। इस तरह से जो सरकार गोली वर्षा के बल पर लाठी डंडा के बल पर सरकार चलाने का काम करती है यह प्रजातंत्र पर कलंक है। ऐसी नादिरशाही व्यवस्था सरकार चलाना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में ऐसा जलजला आएगा कि हम उसे संभाल नहीं सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई जिन लोगों के गैर जिम्मेदाराना निर्णय से 5-5 लोगों की मृत्यु हो गई व दर्जनों लोग अभी भी अस्पताल में मृत्यु शैय्या पर पड़े हैं किसी को आक्सीजन दी जा रही है किसी को सघन चिकित्सा में रखा गया है यह सब सरकार के निकम्मेपन के कारण हुआ है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के कारण निर्दोष लोगों को सिम्मी का एजेंट बताकर गिरफ्तार करने का काम किया गया व जिन लोगों के कारण इतनी जानें गईं व निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का काम किया गया उनको तत्काल गिरफ्तार किया

नोट :–[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जाना चाहिए उन पर 302 का मुकदमा चलाना जाना चाहिए । साथ ही साथ चाहें जितने बड़े अधिकारी हों चाहें जिलाधिकारी हो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो इनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और यह जो हत्याएं हुई हैं, यह जानबूझकर की गई हैं । उत्तर प्रदेश के अमन चैन को तोड़ने का प्रयास किया गया है । हिन्दुओं और मुस्लिमों में जो आपसी भाईचारा है, उसको तलवार से काटने का प्रयास किया गया है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यही नहीं रात के 12.00 बजे जिस समय मैं वहां पहुंचा था उस समय तक लगभग 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी । मुस्लिम समाज के 100 लोग जो निरपराध, निर्दोष, सीधे-सादे लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और गिरफ्तारी का काम जारी था । आज अब तक कितने गिरफ्तार हो चुके होंगे इसकी सूचना तो बाद में मिलेगी लेकिन जिस समय मैं वहां गया था उस समय तक पुलिस प्रशासन के लोग 100 लोगों को गिरफ्तार कर चुके थे । मनमाने तरीके से जिस तरह से यह क्रूर व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है । मनमाने तरीके से एक समाज विशेष के, एक धर्म विशेष के लोगों के लोगों को कुचलना चाहते हैं ।

मैं कह देना चाहता हूं कि वे लोग कान खोलकर सुन लें कि इस देश पर जब संकट आया है उस समय इसी वर्ग के अब्दुल हमीद ने अपनी कुर्बानी देकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है । ऐसे अमर शहीदों की धरती को यह लोग नापाक करना चाहते हैं । यह बेहद शर्मनाक बात है और इसकी जितनी निन्दा की जाय, कम है । वहां पर अफजाल, गुलाम हुसैन, मोहम्मद सिद्दीकी और अन्य जो मृत्यु को प्राप्त हुए उनमें से किसी की आयु 30 किसी की 20 और किसी की 22 साल है । इनके मरने के बाद इनके परिवार लावारिस हो गये हैं । मैं इस सरकार से कह देना चाहता हूँ कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिये दवा के लिये क्या व्यवस्था कर रही है । ऐसे समय में मानवता को भी ध्यान में रखकर राहत दी जाती है । यह सरकार में बैठे हुए लोग घड़ियाली आँसू बहाते हैं । जब आर०एस०एस० का कोई कार्यकर्ता मरता है तो यह 5-10 लाख रुपये की धनराशि देते हैं । आज यह सरकार कितनी निकम्मी हो गई है, इसके अन्दर कोई सम्वेदनशीलता नहीं है । ऐसे लोगों के परिवारों के लिये राहत का कार्य किया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अस्पताल गया था, वहां पर लोगों के चेहरे से मासूमियत झलक रही थी । मोहम्मद अनवर उम्र 34 साल, रहमत अली उम्र 32 साल, मसू अली, मोहम्मद यामीन, मेहराब, मुनीर अहमद 22 वर्ष यह ऐसे लोग वहां पर भर्ती हैं जिनका इलाज हो रहा है । जमालुद्दीन 26 वर्ष, मोहम्मद सुऐब 18 वर्ष, साबिर नाम का लड़का जो कि 17 वर्ष का है, यह सब भर्ती हैं । वहां पर एक ऐसा भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है जो अभी भी कोमा में है, अपना नाम नहीं बता पाया है, लावारिस है, उसकी उम्र 14 साल है । यह 14 साल का बच्चा सिमी का एजेन्ट है ? यह जो लोग सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार किये गये हैं, क्या यह सिमी के एजेन्ट हैं ।

मैं कह देना चाहता हूँ कि सिमी पर भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है । मैं स्वागत करता हूँ कि कोई भी गैर कानूनी काम करने वाली संस्था है तो उस पर रोक लगनी चाहिए । भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कह देना चाहता हूँ कि आपका चेहरा दोगला नहीं होना चाहिए । आर०एस०एस० राष्ट्रीय सेवक संघ, बजरंग दल, शिवसेना, यह सारे के सारे गैर कानूनी काम करने वाले हैं इनमें से किसी एक पर आपने प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, इन पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए । यह आर०एस०एस०. बजरंग दल, शिवसेना के लोग इस देश के इतिहास को मिटाने का काम करने जाते हैं तो यह इनके लिये पूज्य हैं । मैं कह देना चाहता हूँ कि देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, किसी भी मजहब पर चोट करने वाले लोग, संविधान को तोड़ने वाले लोग, कभी भी इस देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं । उनकी संज्ञा केवल राष्ट्रद्रोही की हो सकती है । इसलिए मैं कह देना चाहता

हूँ सिमी पर रोक लगाने के लिए, पहले आर०एस०एस० पर रोक लगानी चाहिए । प्रधान मंत्री [×××] की शाखा उत्तर प्रदेश में बैठी है मैं कह देना चाहता हूं ऐसे लोग गैर कानूनी काम जो करते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर, अगर आपके अन्दर ताकत है तो इस पर प्रतिबन्ध लगायें । विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल, शिव सेना जो देश में नाक नीची कराते हैं उन पर आप रोक लगायें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके मन में पाप है, आपके मन में चोर है, आप कलंकित मन के हैं आप इंसाफ नहीं कर सकते हैं, आपकी सरकार इंसानियत का कत्लेआम करने से बनी है, यह भाजपा की दरिन्दगी चल रही है, मैंने कल भी कहा दलित और पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को गोली का शिकार बना रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री लालजी वर्मा–

[× × ×]

* डा० लक्ष्मी कांत बाजपेयी–

मेरा केवल इतना निवेदन है कि जब सरकार का कहने का नम्बर आता है तो यह हल्ला करेंगे । इन्होंने कार्य-सूची के हिसाब से सदन नहीं चलने दिया, प्रश्नकाल में अन्य सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला फिर कार्यस्थगन क्यों चलने दें, जब इनका नम्बर आया तो अपनी बात कहने लगे सरकार अपनी बात कहेगी तो यह सुनेंगे नहीं । मैं कृपापूर्वक इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इनका खड़ा होना इसलिए अस्वभाविक नहीं लगता है क्योंकि [× × ×]

(व्यवधान)

ड़ा० लक्ष्मी कांत बाजपेयी–

आपने कोई कार्य-सूची नहीं चलने दी तो [× × ×]

नोट :– [×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

(बसपा के कई सदस्य श्री रामअचल राजभर, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री लालजी वर्मा, श्री इन्द्रजीत सरोज आदि सदन के फ्लोर पर आ गए और लाठी डंडों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें।

आप लोग नेता विरोधी दल को नहीं सुनना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े होकर "लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी" मुस्लिम विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी "मुख्य मंत्री इस्तीफा दो" के नारे लगाते रहे।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थानों पर जायें। माननीय मौर्य जी आप अपने साथियों से कहें कि वे कृपया अपने स्थानों पर जायें।

(माननीय सदस्यगण नारे लगाते रहे)

मैं आप लोगों से आखिरी बार कह रहा हूं। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मुझे आगे की सूचनाएं लेनी पड़ेंगी।

(बहुजन समाज पार्टी के लोग वेल पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

ठीक है अब मैं श्री इन्द्रजीत सरोज जी का नाम पुकार रहा हूं।

(माननीय सदस्य द्वारा भाषण न देने पर)

अब मैं श्री राम अचल राजभर जी का नाम पुकार रहा हूं।

(माननीय सदस्य द्वारा भाषण न देने पर)

अब मैं श्री राम ललित चौधरी जी का नाम पुकार रहा हूं।

(माननीय सदस्य द्वारा भाषण न देने पर)

अब मैं इसी विषय पर श्री प्रमोद कुमार जी, श्री जगदम्बिका पाल जी व श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो सूचना दी है, को ले रहा हूं। माननीय सदस्य अपना भाषण करें।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा भाषण न करने पर)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित हो तो मैं कहूं भी ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है मैं दूसरी सूचना जो कि श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद जी की जनपद बांदा में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोगों के ऊपर हो रही जुल्म ज्यादती, अत्याचार व हत्याओं के विषय में पुलिस निष्क्रियता के संबंध में है, को आमंत्रित कर रहा हूं । वे कृपया अपना भाषण दें ।

(माननीय सदस्य द्वारा भाषण न देने पर)

अब मैं श्री लालजी वर्मा जी को, जिनकी सूचना प्रदेश में सिंचाई विभाग द्वारा किसानों से बिना सिंचाई किये ही सिंचाई अंकित कर सिंचाई शुल्क वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को आमंत्रित कर रहा हूं । वे अपना भाषण करें ।

(श्री लालजी वर्मा को पुकारे जाने तथा उनके भाषण न करने पर ।)

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हमने भी नियम–311 में दिया था । हमको अवसर नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपका नाम तीन बार पुकारा था । आपने उस समय सुना नहीं । अब मैं आगे बढ़ गया हूं । अब मैं अगली सूचना जो कि श्री राम ललित चौधरी जी, प्रदेश में गन्ने के मूल्य में वृद्धि किये जाने तथा गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान के संबंध में है, को आमंत्रित कर रहा हूं । माननीय सदस्य अपना भाषण करें ।

(श्री रामललित चौधरी को पुकारे जाने तथा उनके भाषण न करने पर ।)

मैं अगली सूचना जो कि श्री फरीद महफूज किदवई जी की जनपद बाराबंकी के जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सीटों के न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, की सूचना ले रहा हूं । माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण करें ।

(श्री फरीद महफूज किदवई को पुकारे जाने तथा उनके भाषण न करने पर ।)

अब मैं अगली सूचना जो कि श्री कोकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री राजपाल सिंह व श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना जी की है, को आमंत्रित कर रहा हूं । माननीय सदस्यगण अपना भाषण करें ।

(उक्त पुकारे गये सदस्यों द्वारा भाषण न करने पर ।)

मैं अगली सूचना जो कि श्री दद्दू प्रसाद व श्री जगदीश नारायण राय जी की प्रदेश में बी०एड० प्रशिक्षित युवकों को राज्य स्तर पर ज्येष्ठता सूची निर्धारित करने के संबंध में है, को ले रहा हूं। माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण करें।

(उक्त पुकारे गये सदस्यों द्वारा भाषण नहीं किया गया ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयीं है उनके नाम हैं–श्री रामपाल, श्री बाबूलाल और श्री जगदम्बिका पाल ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग

श्री उपाध्यक्ष–

अब वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 1,48,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 1,48,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–2 आवास विभाग

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत 4,77,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत 4,77,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन, एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 5,64,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 5,64,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 57,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 57,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय बर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 2,48,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05–उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 2,48,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 2,86,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 2,86,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 50,62,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 50,62,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 14,12,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 14,12,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन, एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 15,81,97,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 15,81,97,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग) के अन्तर्गत 96,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 96,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 64,66,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 64,66,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 43,74,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 43,74,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 2,70,51,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 2,70,51,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 45,13,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 45,13,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत 1,52,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत 1,52,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 6,25,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 6,25,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,96,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,96,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 5,02,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 5,02,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 45,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 45,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री बिहारी लाल आर्य–)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 4,56,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 4,56,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान बना रहा ।)

अनुदान संख्या–22 खेल विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत 4,44,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 4,44,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 2,00,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 2,00,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 2,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 2,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 3,47,09,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 3,47,09,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 21,32,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 21,32,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 8,38,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 8,38,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 11,37,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 11,37,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (ऐलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 13,32,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (ऐलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 13,32,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 38,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 38,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा निरन्तर बोलते रहने पर व्यवधान बना रहा ।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें, मैं आपकी बात अवश्य सुनूंगा । माननीय सदस्य के लिये अगर कोई बात है, कोई खतरा है तो मैं अवश्य सुनूंगा । कृपया आप शान्त रहे ।

अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

मातृ एवं शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 57,60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 57,60,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 93,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 93,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 41,27,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 41,27,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 5,67,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 5,67,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 31,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 31,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग

नियोजन मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 5,19,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 5,19,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 15,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 15,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 10,09,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 10,09,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 19,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 19,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 13,59,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 13,59,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 1,05,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 1,05,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 3,97,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 3,97,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग

अल्प संख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री राजा गजनफर अली खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 2,00,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 2,00,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 11,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 11,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 11,96,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 11,96,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 22,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 22,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 3,20,11,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 3,20,11,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 6,17,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 6,17,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 60–वन विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 1,18,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 1,18,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 89,62,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 89,62,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 3,03,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 3,03,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि) के अन्तर्गत 60,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि) के अन्तर्गत 60,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 4,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–66– वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 4,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 4,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 4,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिक्स मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विभाग के अन्तर्गत 3,98,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विभाग के अन्तर्गत 3,98,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 9,03,24,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 9,03,24,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्यमंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,36,80,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिंक्षा) के अन्तर्गत 2,36,80,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 11,53,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 11,53,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 1,39,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 1,39,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)'

(घोर व्यवधान जारी)

अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 2,07,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 2,07,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 3,67,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 3,67,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 10,45,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 10,45,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 1,33,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 1,33,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग कल्याण के अन्तर्गत 50,68,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण, अनुसूचित जातियों एवं समाज कल्याण के अन्तर्गत 50,68,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 66,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 66,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 10,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 10,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदस्यगण सदन के फ्लोर से नारे लगाते रहे और व्यवधान बना रहा)

अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 2,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85–सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 2,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 10,35,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 10,35,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कट्टियार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,31,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 5,31,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 7,99,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 7,99,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) के अन्तर्गत 23,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग, (मनोरंजन तथा बाजी कर) के अन्तर्गत 23,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 40,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 40,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 92–संस्कृति विभाग

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 2,15,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 2,15,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिवशंकर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 8,62,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 8,62,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक 2001

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायं ।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(बसपा के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगा रहे थे जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001

31 मार्च, 2002 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2003 का अनुपूरक) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2001-2002 के लिए 44,98,16,14,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2002 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 44,98,16,14,000 रुपये (चार हजार चार सौ अठानबे करोड़ सोलह लाख चौदह हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान क्रम-सं०	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग	राजस्व	8545	0	8545
		पूंजी	6257	0	6257
2	आवास विभाग	राजस्व	30030	5758	35788
		पूंजी	17696	170000	187696
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	21913	0	21913
		पूंजी	34499	0	34499
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	5784	0	5784
		पूंजी	...	...	...
5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व	24834	0	24834
		पूंजी	...	...	...
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	1	0	1
		पूंजी	28670	0	28670
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	2996	0	2996
		पूंजी	503235	0	503235
8	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व	138701	217	138918
		पूंजी	2500	0	2500
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	11499002	0	11499002
		पूंजी	4320794	0	4320794
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	...	...	...
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	236547	27750	264297
		पूंजी	410120	0	410120
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व	437437	0	437437
		पूंजी	...	...	...

1	2	3			
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	2635602	500	2636102
		पूंजी	69590	0	69590
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	451359	473	451832
		पूंजी	...	...	...
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	11866	0	11866
		पूंजी	3409	0	3409
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	62530	0	62530
		पूंजी	...	...	...
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	19622	0	19622
		पूंजी	...	...	...
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	50270	0	50270
		पूंजी	1	0	1
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	4500	0	4500
		पूंजी	...	...	...
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)	राजस्व	0	1650	1650
		पूंजी	...	...	...
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	5629	0	5629
		पूंजी	40000	0	40000
22	खेल विभाग	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	44407	0	44407
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	20027	0	20027
		पूंजी	...	...	...
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	25000	0	25000
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	2229660	1	2229661
		पूंजी	1241243	0	1241243
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	210113	0	210113
		पूंजी	3094	0	3094
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	83859	0	83859
		पूंजी	...	...	...

1	2	3			
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	113700	0	113700
		पूंजी	...	...	...
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	83221	0	83221
		पूंजी	50001	0	50001
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	1810	0	1810
		पूंजी	2000	0	2000
35	चिकित्सा विभाग	राजस्व	561400	78	561478
	(परिवार कल्याण)	पूंजी	14600	0	14600
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	9300	0	9300
		पूंजी	...	...	...
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	412713	0	412713
		पूंजी	...	...	...
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	30853	0	30853
		पूंजी	25895	0	25895
39	भाषा विभाग	राजस्व	3125	0	3125
		पूंजी	...	...	...
40	नियोजन विभाग	राजस्व	51991	0	51991
		पूंजी	...	...	...
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	150000	0	150000
		पूंजी	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व	12523	0	12523
		पूंजी	88399	0	88399
43	परिवहन विभाग	राजस्व	1940	0	1940
		पूंजी	...	...	...
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	10917	0	10917
		पूंजी	124989	0	124989
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	...	...	....
		पूंजी	1050000	0	1050000
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	25720	0	25720
		पूंजी	14035	0	14035

1	2	3			
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	20020	30	20050
		पूंजी	...	...	...
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	1101	0	1101
		पूंजी	...	...	...
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व			
		पूंजी	13000	0	13000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	119651	1043	120694
		पूंजी	...	...	...
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	200	0	200
		पूंजी	...	...	...
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	2281	0	2281
		पूंजी	...	...	...
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	210000	0	210000
		पूंजी	2991182	0	2991182
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	35100	0	35100
		पूंजी	26647	0	26647
60	वन विभाग	राजस्व	6840	2328	9168
		पूंजी	4999	0	4999
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	896295	1	896295
		पूंजी	...	...	...
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	30300	0	30300
		पूंजी	...	...	...
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	6065	0	6065
		पूंजी	...	...	...
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	439	0	439
		पूंजी	...	...	...

1	2		3		
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	408	0	408
		पूंजी	...	...	...
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	39890	0	39890
		पूंजी	...	...	...
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	8952440	0	8952440
		पूंजी	80000	0	80000
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	2349769	0	2349769
		पूंजी	18319	0	18319
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	101554	0	101554
		पूंजी	13812	0	13812
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	500	0	500
		पूंजी	13406	0	13406
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	20751	0	20751
		पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	25619	0	25619
		पूंजी	11140	0	11140
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	104599	0	104599
		पूंजी	...	...	...
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	13372	0	13372
		पूंजी	...	...	...
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	506816	0	506816
		पूंजी	1	0	1
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	1630	0	1630
		पूंजी	5001	0	5001
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	1033	0	1033
		पूंजी	...	...	...
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	285	0	285
		पूंजी	...	...	...
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	231	356	587
		पूंजी	...	...	...

1	2		3		
86	सूचना विभाग	राजस्व	103565	0	103565
		पूंजी	...	...	...
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	53100	0	53100
		पूंजी	...	...	...
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	36	0	36
		पूंजी	...	...	...
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)	राजस्व	69967	0	69967
		पूंजी	10000	0	10000
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	2372	0	2372
		पूंजी	...	...	...
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	4083	0	4083
		पूंजी	...	...	...
92	संस्कृति विभाग	राजस्व	19003	0	19003
		पूंजी	2500	0	2500
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	0	2000	2000
		पूंजी	...	...	...
94	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य)	राजस्व	0	1231	1231
		पूंजी	86273	0	86273
	योग–		33368961	45939	33414900
			11396714	170000	11566714
	कुल योग–		44765675	215939	44981614

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिशान्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 को पारित किया जाए ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2001-2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2001

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान विधेयक 2001 पर विचार किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

खण्ड–2 से खण्ड–56, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान से सम्बन्धित शिक्षा के संवर्धन और विकास के लिए पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

2–इस अधिनियम में :–

(क) "विद्या परिषद" और "कार्य परिषद" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की विद्या परिषद और कार्य परिषद से है;

(ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो ;

(ग) "नागरिको के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है ;

(घ) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा पोषित हो या इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामांकित हो ;

(ङ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है ;

(च) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्ध तंत्र" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है जिस पर उस महाविद्यालय के प्रबन्ध का भार हो और जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता दी गयी हो :

परन्तु किसी नगरपालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्ध तंत्र" पद का तात्पर्य ऐसी नगरपालिका की शिक्षा समिति से है और पद 'प्रबन्ध तंत्र का अध्यक्ष' का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है ;

(छ) "नगरपालिका" का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगरपालिका से है ;

(ज) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(झ) "परिनियमों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के परिनियमों से है ;

(ञ) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय में शिक्षण के लिए अथवा अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए नियोजित हो और इसके अन्तर्गत उसका प्राचार्य या निदेशक भी है ;

(ट) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान से है ।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन

3–(1) ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, जिसे आगे नियत दिनांक कहा गया है, मथुरा में उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसन्धान संस्थान के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी ।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा ।

नये महाविद्यालय की स्थापना और विश्वविद्यालय द्वारा संस्था को मान्यता

4–(1) नियत दिनांक को और से, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के सिवाय, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान में शिक्षण के लिए कोई महाविद्यालय या संस्था स्थापित नहीं की जायेगी ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व धारा 26 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त या पोषित कोई महाविद्यालय या संस्था विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी ।

शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग

5–इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगी ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य

6–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, शिक्षा प्रदान करना, उसका उन्नयन और अभिवर्धन करना;

(ख) उक्त विज्ञानों में अनुसन्धान संचालित करना और ;

(ग) ऐसे विज्ञानों का राज्य सरकार के सहयोग से विकास करने और उनका ग्रामीण जनता में विस्तार करने का जिम्मा लेना;

(घ) यथास्थिति किसी विद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करना या पहले से ही सम्बद्धता प्राप्त किसी विद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और ऐसे विद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य का नियंत्रण करना;

(ङ) उपाधियों या अन्य शैक्षिक विशिष्टियों को संस्थित करना और प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं को आयोजन करना और उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षिक विशिष्टिताएं प्रदान करना जिन्होंने;

(एक) विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(दो) विश्वविद्यालय में या किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में, परिनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुसन्धान कार्य किया हो;

(छ) यथा विहित रीति और शर्तों के अधीन मानद उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टिताएं प्रदान करना;

(ज) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां और परितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(झ) ऐसी फीस और अन्य प्रभार मांगना और प्राप्त करना जो परिनियमों द्वारा नियत किये जायं;

(ञ) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करना :–

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर या तत्समान अन्य संगठनों का पोषण;

(दो) शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण; और

(तीन) खेलों और खेलकूद क्लबों;

(ट) राज्य सरकार द्वारा सृजित पदों पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ठ) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से उपहार, अनुदान, दान या सन्दान प्राप्त करना और यथास्थिति वसीयतकर्ता, दानकर्ता या अन्तरक से चल या अचल सम्पत्ति की वसीयत, दान या अन्तरण प्राप्त करना और उसे धारण करना और उसका प्रबन्ध करना;

(ड) विद्यालयों या संस्थाओं की सम्बद्धता की शर्तें अधिकथित करना और समय-समय पर निरीक्षण द्वारा यह समाधान करना कि ऐसी शर्त पूरी की जा रही है;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारियों से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार्य या सहयोग करना;

(ण) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहे ये उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों ।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पक्षों के लिए होगा

7–(1) विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा भले ही वे किसी वर्ग या मत के हों ।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात से विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह–

(क) किसी पाठ्यक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश दे जो विहित शैक्षिक अर्हता या मानक न रखता हो;

(ख) विश्वविद्यालय की पंजी में किसी ऐसे छात्र को रखें जिसका शैक्षिक अभिलेख उपाधि, डिप्लोमा या अन्य शैक्षिक विशिष्टतया प्रदान करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानक से नीचे हो;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश दे या किसी छात्र को प्रतिधारित करे जिसका आचरण विश्वविद्यालय के या विश्वविद्यालय के छात्रों या कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के हित के प्रतिकूल प्रभाव डालता हो;

(घ) परिनियमावली में अवधारित संख्या से अधिक संख्या में छात्रों को किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रदान करें ।

अध्याय–3

निरीक्षण तथा जांच

8–(1) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर भी है और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय द्वारा संचालित या करायी गयी परीक्षा, अध्यापन-कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा ।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देंगे, और ऐसे निरीक्षण या जांच में परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा :

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसाई के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्यपरिषद को संसूचित करेगा ।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे उसे परिषद द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करें तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे ।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियां भी भेजेगी ।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कुलाधिपति की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी किसी जांच की कोई रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात् यह राय हो कि कार्य परिषद् अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगा कि उक्त कार्य परिषद् को अतिष्ठित करते हुए कुलाधिपति तथा दस से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करें जिसके अन्तर्गत अतिष्ठित कार्य परिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए और उपधारा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिसे कुलाधिपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें इस अधिनियम के अधीन कार्य परिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी ।

(9) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अतिष्ठित कार्य परिषद् के सभी सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी है, पदावधि समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे ।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति

(ख) कुलपति

(ग) प्रतिकुलपति

(घ) कुलसचिव

(ङ) वित्त अधिकारी

(च) परीक्षा नियंत्रक

(छ) संकायों के अध्यक्ष

(ज) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं ।

कुलाधिपति

10–(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे ।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और वह जब उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ।

(3) सम्मानित उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा ।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदान की जाय ।

कुलपति

11–(1) कुलपति, विश्वविद्यालय, का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) पशुपालन विभाग में राज्य सरकार का यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव, जो समिति का संयोजक भी होगा ;

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो ;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति ।

(3) कुलपति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

(4) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जायं ;

परन्तु किसी कुलपति की सेवा के निबन्धन और शर्तों में उसके कार्यकाल के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

(5) जहां कुलपति अनुपस्थिति, अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहां प्रतिकुलपति तब तक कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि कुलपति अपना पदभार पुनः ग्रहण न कर लें ।

(6) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकता है ।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी जांच के अनुध्यात रहते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अग्रतर आदेश न दिया जाय :–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य-संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा हकदार था ;

(ख) कुलपति पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

12–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, और :–

(क) विश्वविद्यालय के सम्बद्ध और घटक महाविद्यालयों के कार्य-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि ऐसी परीक्षाओं के परिणाम शीघ्रता से प्रकाशित किये जायं और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र नियत दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त हो ।

(2) कुलपति कार्य-परिषद्, विद्यापरिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा ।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा ।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त आवश्यक हों ।

(5) कुलपति को कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है ।

(6) जहां कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट यह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें परिनियमों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर कार्य-परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य-परिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि या उपान्तरित कर सकती है या उसे उलट सकती है ।

(7) उपधारा (6) की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो, और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो ।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित की जायं ।

प्रतिकुलपति

13–(1) कुलपति, कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकता है ।

(2) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा ।

(3) प्रतिकुलपति ऐसा मानदेय पाने का हकदार होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(4) प्रतिकुलपति ऐसे मामलो में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट करें और कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें कुलपति उसे सौंपें या प्रत्यायोजित करें ।

कुलसचिव

14–(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायगी जैसी विहित की जाय ।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी ।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा । वह कार्य-परिषद् का पदेन सचिव होगा और वह कार्यपरिषद् के समक्ष ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हो । वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विहित किये जायं या कार्य-परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा ।

(5) कुलसचिव को परिनियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायगा और न वह स्वीकार करेगा ।

परीक्षा नियंत्रक

15–(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा ।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा । वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हो । वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियम द्वारा विहित किये जायं या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा । वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय से ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो ।

(4) कुलपति के अधीक्षण के अधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक, अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुलसचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिये आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा । और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा ।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा ।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय ।

वित्त अधिकारी

16–(1) विश्वविद्यालय के लिये एक वित्त अधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा ।

(2) वित्त अधिकारी, कार्य-परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(3) वित्त अधिकारी को कार्य-परिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का हकदार न होगा ।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से भिन्न कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय ;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या परिनियमों के किन्हीं निबन्धनों का उल्लंघन करता हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(5) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी और वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों से संबंधित ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हो ।

(6) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायं ।

अन्य अधिकारियों की शक्तियां कर्तव्य सेवा की निबन्धन और शर्तें

17–इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी और कुलसचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों के नियुक्ति के ढंग, सेवा के निबन्धन और शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं ।

अध्याय–पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

18–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) कार्य परिषद् ;

(ख) विद्या परिषद् ;

(ग) वित्त समिति ;

(घ) परीक्षा समिति ; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं ।

19–(1) कार्य-परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ।

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो ;

(ग) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव ;

(घ) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में राज्य सरकार का सचिव ;

(ङ) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव ;

(च) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ;

(छ) पशुधन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक ख्याति प्राप्ति उद्योगपति राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट ;

(ज) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विख्यात पशुचिकित्सक ;

(झ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट पशुधन कृषकों या पशुधन अभिजनक में से दो व्यक्ति जिन्हें वैज्ञानिक कृषि और पशुधन सुधार करने का अनुभव हो ;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक समाज सेवक जिसके पास ग्रामीण अभिवर्धन की पृष्ठभूमि हो;

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को कार्य-परिषद् के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्नातक न हो ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी ।

(4) कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् के रूप में नाम-निर्दिष्ट होने या सदस्य बने रहने के लिये अनर्ह होगा यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में, या उसके निमित्त किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक, या विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिये या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिये कोई संविदा स्वीकार करता है ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा में "नातेदार" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहिन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री भी है ।

कार्य-परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य

20–(1) कार्य-परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालन निकाय होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के कार्य-कलाप का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना ;

(ग) कुलपति की उपलब्धियों और सेवा के निबन्धनों और शर्तों की संस्तुति करना ;

(घ) शैक्षिक कार्यक्रमों को अनुमोदित करना ;

(ङ) परिनियमों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना ;

(च) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना ;

(छ) विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन करना ;

(ज) विश्वविद्यालय की किसी जंगम, स्थावर या बौद्धिक सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना ;

(झ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार और उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश देना ;

(ञ) ऐसी समितियां नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिये अपेक्षित हों ;

(ट) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की परिलब्धियां और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें अवधारित करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय के बैंक लेखों का संचालन प्राधिकृत करना ;

(ड) इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना ।

(2) कार्य परिषद् की प्रत्येक बैठक ऐसे दिनांक, समय और स्थान पर होगी जो कुलपति द्वारा नियत की जाय ।

(3) कार्य परिषद् के सदस्य ऐसा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा विहित किया जाय ।

(4) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य परिषद्, बन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधरण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी ।

(5) कार्य परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियम सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी ।

(6) कार्य परिषद्, परिनियमों में निर्धारित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी ऐसी कोई शक्ति जिसे वह ठीक समझे प्रत्यायोजित कर सकती है ।

विद्या परिषद्

21–(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और उसकी ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसे उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त किये जायं या उस पर अधिरोपित किये जायं और वह विद्या संबंधी समस्त विषयों पर, कार्य परिषद् को सलाह दे सकती है ।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(क) कुलपति ;	अध्यक्ष
(ख) प्रतिकुलपति	सदस्य
(ग) सम्बद्ध या घटक विद्यालयों के ऐसे पांच प्राचार्य जो कार्य परिषद् के सदस्य न हों	सदस्य
(घ) विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष	सदस्य

(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी ।

वित्त समिति

22–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्–

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(ग) पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में राज्य सरकार का सचिव	सदस्य
(घ) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य	सदस्य
(ङ) वित्त अधिकारी	सदस्य/सचिव

(2) वित्त समिति कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी । वह विश्वविद्यालय की आय और साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है, और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी ।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायं ।

(4) जब तक कि वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद् उस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

परीक्षा समिति

23–(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी जो परिनियमों में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जायगी ।

(2) समिति सामान्यतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन और सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्–

(क) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिये विद्या परिषद् को सिफारिश करना ।

(घ) परीक्षकों की सूची को अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना ।

(3) परीक्षा समिति उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उसमितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने और उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है ।

(4) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हए भी किसी परीक्षा समिति या यथा स्थिति, किसी उपसमिति या किसी व्यक्ति के लिये, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग करने का दोषी हो ।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन व्यवस्था करने के लिये ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे ।

अन्य प्राधिकारी

24–विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जायं ।

अध्याय–छह

महाविद्यालयों की सम्बद्धता

महाविद्यालयों की सम्बद्धता

25–(1) कार्यपरिषद्, कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायं, पूरा करने वाले महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी ।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा ।

(3) इस अधिनियम द्वारा वे किन्हीं अन्य उपबन्धों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध और नियन्त्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिबृन्द पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी होगा ।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट विवरणियां तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्यपरिषद् या कुलपति मांगे ।

(5) कार्यपरिषद्, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पांच वर्ष से अधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को भेजी जाएगी ।

(6) कार्य परिषद्, इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

(7) कार्यपरिषद् द्वारा, किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (6) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी निर्देश का अनुपालन करने में या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा ।

(8) उपधारा (1) और (7) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा हो तो कुलाधिपति, प्रबन्धतन्त्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेगा या उसमें कमी कर सकेगा ।

घटक महाविद्यालय

26–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ को और से, उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का घटक महाविद्यालय नहीं रह जाएगा और वह विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होगा ।

(2) विश्वविद्यालय ऐसे अन्य घटक महाविद्यालय स्थापित कर सकता है जैसा वह आवश्यक और समीचीन समझे ।

प्रबन्धतन्त्र की सदस्यता के लिये अनर्हताएं

27–(1) कोई भी व्यक्ति (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित विद्यालय से भिन्न) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये निरहर्रित होगा, यदि वह या उसका नातेदार ऐसे महाविद्यालय में या उसके निमित्त किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक या ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिये या उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिये कोई संविदा स्वीकार करता है ।

स्पष्टीकरण–पद "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये धारा 19 की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में दिया गया है ।

निरीक्षण और जांच

28–(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा वह निदेश दे, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यलय के प्रशासन या वित्त मे सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार होगा ।

(2) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने के विनिश्चय करे तो वह उसकी सूचना सम्बद्ध महाविद्यलय के प्रबन्धतन्त्र को देगी और प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतन्त्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतन्त्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा । किन्तु ऐसे निरीक्षण या जांच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी न तो उपस्थित होगा न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिये मजबूर करने के लिये प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 तथा 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।

(4) राज्य सरकार सम्बद्ध महाविद्यलय के प्रबन्धतन्त्र को ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निदेश दे सकेगी और प्रबन्धतन्त्र ऐसे निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगा ।

(5) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धतन्त्र को दी गयी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी और कुलपति कार्यपरिषद् को राज्य सरकार के दृष्टिकोण और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सलाह को संसूचित करेगा ।

(6) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे उसे कार्यपरिषद् द्वारा की गयी या की जाने वाली कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेश से बाध्य होंगे ।

(8) राज्य सरकार किसी भी समय किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र या प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जांच के सम्बन्ध में कोई जानकारी मांग सकेगी ।

संस्थान

29–विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा ।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

30–किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से या उसकी ओर से परिनियमावली में निर्धारित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा ।

महाविद्यालय का अंशदान और दान

31–जहां किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित है, अंशदान या दान चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह महाविद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाते में जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा ।

अध्याय–सात

अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

32–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापक और सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न कार्यपरिषद् या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायंगे । चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो ।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक, निदेशक तथा प्राचार्य की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गयी नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगी जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायगा जब तक कि–

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और विभागाध्यक्ष, जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो, की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद् आदेश न दे दे ;

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में प्रबन्धतन्त्र आदेश न दे दें ; और

(ग) सम्बद्ध महाविद्यालय किसी अन्य अध्यापक की दशा में प्राचार्य उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक, जब तक कि ऐसा अध्यापक उस विषय का ज्येष्ठतम अध्यापक न हो, की रिपोर्ट पर भी विचार करने के पश्चात् प्रबन्धतन्त्र आदेश न दे दें :

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा समाप्ति का ऐसे कोई आदेश नहीं दिया जायेगा :

परन्तु यह भी की यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाय तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कार्यपरिषद् का अन्तिम आदेश या यथास्थिति, जब तक कि धारा 37 के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दे दी जाय ।

(3) (क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति और सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में कुलपति द्वारा इस निमत्ति नाम निर्दिष्ट विशेषज्ञ के परामर्श से प्रबन्धतंत्र किसी अध्यापक की छुट्टी मन्जूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किये बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिए स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य रिक्ति या पद जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिए होना संभाव्य हो ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी ।

(ख) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक, चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात् ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्ति किया जाता है जिसके छः मास से अधिक चलते रहना सम्भाव्य हो, और तत्पश्चात ऐसे स्थायी पद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, या किसी स्थायी पद पर ऐसे रिक्ति में नियुक्त किया जाता है, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप में रिक्त हो जाता है या उसी विभाग में इसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नवसृजित किया जाता है वहां, यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबन्धतन्त्र, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश किए बिना नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अध्यापक, ऐसे अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश किए जाने के पश्चात हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया जो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और उपधारा (2) के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे ।

4 (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक, किसी संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य से भिन्न की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे–

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो या जब सम्बद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पंक्ति में ऊंचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग के आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा :

परन्तु यह और कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहां वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकेगा जैसी वे उचित समझे ।

(तीन) किसी आचार्य या उपाचार्य, की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(चार) किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, यथास्थिति, संस्थान का निदेशक या घटक महाविद्यालय का प्राचार्य ।

(ख) संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे–

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(ग) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न, के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे–

(एक) प्रबन्धतन्त्र का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य जो अध्यक्ष होगा;

(दो) उन संकायों के जिनसे सम्बद्ध विषय महाविद्यालय में पढ़ाये जाते हों, संकायाध्यक्षों या आचार्यों में से कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक संकायाध्यक्ष या आचार्य;

(तीन) प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा; और

(चार) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के आचार्य की नियुक्ति की दशा में संकायों का संकायाध्यक्ष, यदि वह स्वयं उस महाविद्यालय का अध्यापक हो, चयन समिति में नहीं बैठेगा :

परन्तु यह और कि संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतन्त्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पांच विशेषज्ञों के पैनल में से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिए प्रबन्धतन्त्र से सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यालयों की दशा में संकायाध्यक्ष या आचार्य भी, जो उपखण्ड (2) के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, उन पांच संकायाध्यक्षों या आचार्यों के पैनल में से, जिनके लिए प्रबन्धतन्त्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो, भी प्रबन्धतन्त्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे, और यदि ऐसे संकायाध्यक्ष या आचार्य अपेक्षित संख्या में उपबन्ध न हो तो सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों का नाम पैनल में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न, किसी सम्बद्ध महाविद्यालयों के अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(दो) महाविद्यालय का प्राचार्य और प्राचार्य द्वारा नाम-निर्दिष्ट महाविद्यालय का एक और अध्यापक;

(तीन) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे :

परन्तु किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में जिसमें उपखण्ड (2) के अधीन चयन समिति का सदस्य होने के लिए कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक उपलब्ध न हो, चयन समिति इस खण्ड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से गठित होगी ।

परन्तु यह और कि संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतन्त्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पांच विशेषज्ञों के पैनल में से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे जिनके लिए प्रबन्धतन्त्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानीय संकाय या उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपित आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशषज्ञों का एक पैनल बनायेगा । उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो ।

(ख) प्रत्येक संकाय का बोर्ड प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए सोलह या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक स्थायी पैनल बनायेगा, और उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो ।

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई पैनल तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण–1–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि या उसके भाग–1 या 2 के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण–2–जहां चयन किये जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा ।

(घ) यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपने नाम-निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा । ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम-विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से, जिसका नाम-विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा ।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो ।

(7) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी ।

परन्तु आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे ।

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक सिफारिश करे ।

(9) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्य परिषद् उस मामले को ऐसी असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् चयन समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय नहीं करती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(ख) जहां खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चिय करने की विफलता कार्य परिषद् के किसी दोष के कारण न हो तो कुलाधिपति कार्य परिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलाधिपति समय-समय पर अनुमति दें, विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलपति को इस प्रयोजन से कार्य परिषद् की बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है;

परन्तु–

(एक) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से सहमत नहीं है तो कार्य परिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(दो) यदि कार्य परिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(ग) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हों तो प्रबन्धतन्त्र उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा;

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो प्रबन्धतन्त्र को एक अन्य समिति नियुक्त करने का अधिकार होगा और उस समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(10) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समितियों के विचार विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे ।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायगा, जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो ।

(12) (क) सम्बद्ध महाविद्यालय, जो राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो, का प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी अध्यापक को तब तक नियुक्त नहीं करेगा जब तक कि कुलपति का पूर्वानुमोदन न ले लिया जाय ।

(ख) प्रबन्धतन्त्र, चयन समिति के अधिवेशन के पश्चात् यथा सम्भवशीघ्र अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए कुलपित को प्रस्तुत करेगा ।

(ग) कुलपति, यदि उनका समाधान हो जाय कि चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी विहित न्यूनतम अर्हता तथा अनुभव नहीं रखता है या अध्यापक के चयन के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, प्रबंधतन्त्र को अपनी अस्वीकृति की सूचना देगा :–

परन्तु यह कि यदि कुलपति (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर अपनी अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है, या प्रबन्धतन्त्र को उसके संबंध में कोई भी सूचना नहीं भेजता है तो यह समझा जायगा कि उसने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है ।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति

(13) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी कार्य परिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, या प्रबन्धतन्त्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर, किसी ऐसे सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है जो पद के लिए विहित अर्हताएं रखता हों ।

33(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में धारा 32 के अधीन नियुक्त किसी प्राध्यापक या विश्वविद्यालय में धारा 32 के अधीन नियुक्त या इस धारा के अधीन प्रोन्नत किसी उपाचार्य की जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी विहित की जायं क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है ।

(2) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 32 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जायं, दी जायेगी ।

(3) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा 32 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा ।

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति संविदा

34(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार होगी, नियुक्ति नहीं किया जायगा ।

(2) मूल संविदा कुल-सचिव के पास रखी जायगी और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी ।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में इस प्रकार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाएं उस विस्तार तक जहां तक वे इस अधिनियम या परिनियमों के उपबन्धों से असंगत हों, उक्त उपबन्धों द्वारा उपान्तरित समझी जायेंगी ।

पेन्शन, भविष्य निधि आदि

35–विश्वविद्यालय और प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायं, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि गठित करेंगा, जैसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत एक ऐसी निधि भी है जिसे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथा पारिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में निर्योग्य, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जायगा ।

अध्यापकों के पारिश्रमिकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा

36–(1) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय सम्बन्धी शर्तें वही होगी जो विहित की जायं ।

(2) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय का कोई अध्यापक, अध्यापक सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण–"पारिश्रमिक पद" शब्दों के अन्तर्गत छात्र निवास या छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीड़ाधीक्षक, पुस्तकाध्यक्ष और नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय खेलकूद संगठन, राष्ट्रीय समाज सेवा स्कीम तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई पद भी है ।

सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालयों से भिन्न सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

37–(1) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का, जो राज्य सरकार द्वारा अनन्यतः पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो, प्रत्येक अध्यापक लिखित संविदा के अन्तर्गत नियुक्त किया जायगा जिसमें ऐसे निबन्धन तथा शर्तें होंगी, जो विहित की जायं । संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जायगी और उसकी एक प्रतिलिपि संबंधित अध्यापक को दे दी जायगी और उसकी दूसरी प्रतिलिपि संबंधित महाविद्यालय द्वारा रखी जायगी ।

(2) ऐसे महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र का किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किया गया, प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के पूर्व कुलपति को रिपोर्ट किया जायगा और वह तब तक प्रभावी न होगा जब तक कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे :–

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में प्रबंधतंत्र को किसी अध्यापक को पदच्युत करने, पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किये गये विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा किन्तु उसे विनिश्चय की सूचना दी जायगी और जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है। तब तक विनिश्चय लागू नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (2) के उपबन्ध किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के, किसी विनिश्चय पर भी, चाहे वह दण्ड के रूप में हो या अन्यथा हो, लागू होगे, किन्तु वह उस कालावधि के व्यतीत हो जाने पर, जिसके लिये अध्यापक नियुक्त किया गया हो, सेवा समाप्ति के संबंध में लागू न होंगे :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में प्रबन्धतंत्र के किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित न होगा, उसे विनिश्चय की सूचना दी जायगी और जब तक उसका समाधान न हो जाय कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है तब तक विनिश्चय प्रभावी नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (2) की कोई बात जांच के दौरान निलम्बन के आदेश पर, लागू नहीं समझी जायगी, किन्तु कुलपति द्वारा ऐसा कोई आदेश स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकेगा :

परन्तु संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में ऐसा आदेश कुलपति द्वारा स्थगित प्रतिसंहृत या उपान्तरित किया जा सकेगा जब ऐसे निलम्बन के लिए विहित शर्तें पूरी न की गयी हों।

(5) ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की अन्य शर्तें वही होगी जो विहित की जायं।

अध्याय–आठ

परिनियम

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

38–(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे ।

(2) कार्य परिषद् समय-समय पर नये और अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी और उस पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायगा ।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) में या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी ।

परिनियम

39–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के लिये उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे :–

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये पेंशन या भविष्य निधि गठन या बीमा स्कीम की स्थापना ;

(ग) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(घ) उपाधियों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को वापस लेना ;

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके ।

(च) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां और अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं और उनके लिये अर्हताएं और उसे प्रदान करने या प्राप्त करने के संबंध में लीं जाने वाली धनराशि ;

(छ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिये और परीक्षा में प्रवेश, उपाधियों और विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के लिये ली जाने वाली फीस ;

(ज) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें ;

(झ) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षण निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों के पद की शर्तें और उनके नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है ;

(ञ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों (कुलाधिपति को छोड़कर) और कर्मचारियों को हटाने की शक्ति और उनकी परिलब्धियां और सेवा के निबन्धन और शर्तें ;

(ट) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे ।

अध्याय–नौ

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

40–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दशा में किये गये उपाय होंगे ।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायगा जो विहित किया जाय ।

(3) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी ।

लेखा और लेखा परीक्षा

41–(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे । प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी लेखा परीक्षा की जायगी ।

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष तीस सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये सम्प्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाये जायेंगे । ऐसे सम्प्रेक्षणों पर कार्य परिषद् के विचार, यदि कोई हो, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

अधिभार

42–(1) जब कभी राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हो या राज्य सरकार स्वयं उपयुक्त समझे तो वह निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की विशेष लेखा परीक्षा किये जाने का निदेश दे सकेगी ।

(2) विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के उस अधिकारी को, जिसकी उपेक्षा या कदाचार के कारण ऊपर निर्दिष्ट हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन हुआ है, एक नोटिस जारी करके उससे यह अपेक्षा करेगी कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत समय के भीतर अपने कृत कार्य को स्पष्ट करे ।

(3) राज्य सरकार लेखा परीक्षा रिपोर्ट और ऊपर निर्दिष्ट अधिकारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् इस निमित्त उपयुक्त विनिश्चय कर सकेगी ।

(4) यदि राज्य सरकार की राय हो कि अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अधिभार, का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाय तो अधिभार, भू-राजस्व के बकाये के रूप में, या ऐसी अन्य रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाय, वसूल किया जायगा ।

अध्याय-दस

प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के अधिकारियों और सदस्यों को नियुक्त करने की रीति

43–(1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में से सदस्य यथासम्भव निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे ।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियम में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता या अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो, वहां चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता और अन्य अर्हताएं अवधारित करने की रीति वही होगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

44–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहरी हो, तब तक ऐसा प्राधिकारी अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे ।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

45–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य न होगी कि :–

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी ; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है जो ऐसा करने के लिये हकदार नहीं था ; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन नाम- निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी ; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो ।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

46–कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है जो सभा की राय में नैतिक अधमता संबंधित अपराध हो या इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है या उसने इस प्रकार व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय हो, हटा सकेगी और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूरी की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकेगी ।

कुलाधिपति को निर्देश

47–यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत परिनियम की विधिमान्य से संबंधित कोई प्रश्न भी है।) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश :–

(क) उस दिनांक के जबकि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात् या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायेगा ;

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में–

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा,

(ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे ।

वाद का वर्जन

48–राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा, न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

49–(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्टतया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, प्रस्तुत करने की या उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

50–(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

आस्तियों आदि का अन्तरण

51–(1) उत्तर प्रदेश कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 और तद्धीन बनाये गये परिनियमों या विनियमों और दिये गये आदेशों में किसी बात के होते हुए भी नियत दिनांक को और से,

(क) चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की ऐसी समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां, जो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग से संबंधित है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा भी है जिसे आगे पूर्व विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, विश्वविद्यालय में अन्तरित और निहित हो जायगी ।

(ख) पूर्व विश्वविद्यालय के समस्त ऋण, दायित्व और बाध्यताएं चाहे वे संविदात्मक हों या अन्यथा, विश्वविद्यालय में अन्तरित हो जायंगी ।

(ग) पूर्व विश्वविद्यालय के प्रत्येक पूर्णकालिक अध्यापकों, कर्मचारियों, और अधिकारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय में, उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर जैसे वे ऐसे अन्तरण के ठीक पूर्व विद्यमान रही हों, अन्तरित हो जायंगी ।

विधिक कार्यवाही

52–पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित समस्त वाद, मामले, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय लम्बित हों, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध जारी, अभियोजित या प्रवृत्त रखी जा सकेगी ।

संविदा आदि का अर्थान्वयन

53–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, या अन्य लिखत में,–

(क) विश्वविद्यालय के निर्देश के रूप में लगाया जायगा, यदि ऐसे निर्देश का सम्बन्ध चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर की किसी ऐसी आस्ति या सम्पत्ति से हो जो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग से संबंधित है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा भी है ।

(ख) किसी अन्य मामले में, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के निर्देश के रूप में लगाया जायगा ।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा उन्मोचित की जाने वाली बाध्यताएं

54–इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिये कोई उपाधि या अन्य शैक्षिक विशिष्टताएं या कोई डिप्लोमा या अन्य प्रमाण-पत्र निर्गत करने या किसी व्यक्ति को कोई उपाधि, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, अंकतालिका या अन्य दस्तावेज की कोई प्रति प्रदान करने के लिये उपगत कोई दायित्व ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर का दायित्व होगा ।

विवादों का निपटारा

55–यदि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान से संबंधित जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा भी है, सम्पत्ति के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से विश्वविद्यालय में अन्तरण के कारण कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद का समाधान प्रथमतः उक्त दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा किया जायगा और, किसी ऐसे विवाद के संबंध में कोई समझौता कराने में ऐसे कुलपति के असफल रहने की दशा में मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

अध्यारोही प्रभाव

56–उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–56 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री फागू चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2001 पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2001 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

(घोर व्यवधान के मध्य)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचिति जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) यह 8 जून, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1995 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1995 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा ।

(1–क) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य पर भी लागू होंगे, जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करते थे ।

(1–ख) ऐसा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, जिसने उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ऐसे प्रारम्भ पर इस रूप में पद पर नहीं रहेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2001

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड 3 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) यह 8 जून, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 1 सन् 1996 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1) अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु अध्यक्ष, या अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा ।

(1–क) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे अध्यक्ष, और प्रत्येक अन्य सदस्य पर भी लागू होंगे, जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करते थे ।

(1–ख) ऐसा अध्यक्ष, या अन्य सदस्य, जिसने उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ऐसे प्रारम्भ पर इस रूप में पद पर नहीं रहेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2001

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001

जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (राजा गजनफर अली खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड 3 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001

जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) यह 8 जून, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 22 सन् 1994 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) में,–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(क) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु अध्यक्ष, या अन्य सदस्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा ।"

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

"(घ) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित खण्ड (क) के उपबन्ध ऐसे अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे, जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करते थे ।

(ङ) ऐसा अध्यक्ष या अन्य सदस्य, जिसने खण्ड (घ) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ऐसे प्रारम्भ पर इस रूप में पद पर नहीं रहेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2001 निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राजा गजनफर अली खां–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, विधेयक, 2001

जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड 52 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001

जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

राज्य में जगद्गुरू राम भद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान, चित्रकूटधाम द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) यह 7 अगस्त, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

परिभाषायें

2—(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''विद्यापरिषद'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् से है;

(ख) ''घटक महाविद्यालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है;

(ग) "दूरस्थ शिक्षा पद्धति" का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर दृष्य, प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति से है;

(घ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी हैं;

(ङ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(च) "छात्र निवास" का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हो ;

(छ) "विकलांग" का तात्पर्य शारीरिक रूप से विकलांग से है;

(ज) "जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान" का तात्पर्य जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान, 4–एफ, नवाब यूसुफ रोड, इलाहाबाद से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है;

(झ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची (–) एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ट) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में "प्राचार्य" का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहां प्राचार्य न हो वहां उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ठ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(ड) "अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी है;

(ढ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय से है;

(2) पद "शारीरिक रूप से विकलांग" का वही अर्थ होगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 में उनके लिये समनुदेशित हैं ।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना

3—(1) जगद्गुरु राम भद्राचार्य संस्थान को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा ।

(2) जगद्गुरु राम भद्राचार्य संस्थान, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात :–

(क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा, जितना राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवश्यक समझती हो;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक स्थायी बिन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा;

(ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिये अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा;

(घ) प्रथम परिनियमावली और प्रथम अध्यादेश बनायेगा; और

(ङ) ऐसी अन्य शर्तें जैसी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय ।

(3) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि जगद्गुरु राम भद्राचार्य संस्थान ने उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है वहां राज्य सरकार जगद्गुरु राम भद्राचार्य संस्थान को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से चित्रकूटधाम में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा ।

(5) कुलाधिपति, कुलपति, व्यवस्थापक बोर्ड के सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय के तत्समय इस रूप में पद धारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे ।

(6) उपधारा (4) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये अधिगृहीत, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित भूमि और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियां विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी ।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिये हकदार न होना

4—विश्वविद्यालय राज्य सरकार से, या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायता अनुदान या कोई अन्य वित्तीय सहायता के लिये हकदार न होगा ।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति का न होना

5—विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी ।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

6—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :–

(क) सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा की ऐसी अन्य शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित और प्रदान करना;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें स्वीकृत और प्रदान करना, जिन्होंने :–

(एक) विश्वविद्यालय में किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(दो) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो;

(घ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, छात्र-सहायतावृत्तियाँ तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(च) ऐसी फीस और प्रभार को मांगना और प्राप्त करना जो यथास्थिति परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें;

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा की ऐसी अन्य शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षा की अभिवृद्धि की व्यवस्था करना;

(ज) छात्रों और कर्मचारियों के लिये पाठ्येत्तर क्रियाकलापों की व्यवस्था करना;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ञ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपकृतियाँ, संदान और दान प्राप्त करना और न्यास और विन्यास की सम्पत्तियाँ को सम्मिलित करते हुये किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(ट) छात्र निवासों को संस्थित और अनुरक्षित करना और विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के लिये निवास स्थानों को मान्यता देना;

(ठ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिये व्यवस्था करना;

(ड) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें ;

(ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करना;

(त) अध्यापकों, मूल्याँककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, विचार गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

(थ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में प्रवेश के मानक अवधारित करना;

(द) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के छात्रों के लिये विशेष उपबन्ध करना;

(ध) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अधिकथित करना;

(न) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उधार लेना;

(प) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो ।

7—विश्वविद्यालय केवल विकलांग व्यक्तियों के लिये होगा भले ही वे किसी वर्ग, मत या लिंग के हों: विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, जातियों और मतों के विकलांगों की पहुंच होगी

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय, के प्रवेश के लिये विशेष उपबन्ध बनाना मना है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्टि करने की अपेक्षा है ।

8—ऐसे छात्र से, जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सामान्य छात्र निवास में ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित की जायं । छात्रों का निवास

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :– विश्वविद्यालय के अधिकारी

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ङ) कुल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी, और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं ।

10—(1) कुलाधिपति को राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा । कुलाधिपति

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) कुलाधिपति का कार्यकाल तीन वर्ष या उससे अधिक ऐसी अवधि का होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय ।

(4) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदान की जाय ।

(5) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा ।

(6) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो उपाधियाँ प्रदान करने के लिये आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसी शक्तियाँ जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

कुलपति

11—(1) कुलपति, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से पांच वर्ष की अवधि के लिये ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसी विहित की जायं, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :–

(क) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति,

(ख) समाज कल्याण विभाग में राज्य सरकार के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य सरकार के सचिव,

(घ) व्यवस्थापक बोर्ड के दो नाम-निर्देशिती जिनमें से एक को व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति का का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुये एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी ।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट, उपान्तरित या उसे उलट सकेगा ।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किये जायं ।

प्रति-कुलपति

12–प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायं ।

संकायों के संकायाध्यक्ष

13–संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो विहित किये जायं ।

कुल सचिव

14–(1) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी विहित की जायं ।

(2) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा ।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों की अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायं या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो ।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों ।

वित्त अधिकारी

15–वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं या कुलाधिपति या कुलपति या कुल सचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों ।

अन्य अधिकारी

16–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा की निबन्धन और शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसी होगी जैसी विहित की जायं ।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

17–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) व्यवस्थापक बोर्ड;

(ख) प्रबन्ध बोर्ड;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएं ।

व्यवस्थापक बोर्ड और उसकी शक्तियां

18–(1) व्यवस्थापक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलाधिपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) कुलपति जो सदस्य-सचिव होगा;

(ग) जगदगुरू रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन व्यक्ति;

(घ) विकलांग कल्याण विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नाम-निर्देशिती जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से निम्न श्रेणी का न हो; और

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक शिक्षाविद् ।

2–व्यवस्थापक बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रशासनिक निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनर्विलोकन करना;

(ख) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;

(घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या प्रथम परिनियमों को संशोधित या निरसित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना; और

(च) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना ।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड समय-समय पर ऐसी अन्तरालों पर जो छः माह से अधिक नहीं होगा; ऐसे समय और स्थान पर जैसा कुलाधिपति उचित समझे, बैठक करेगा ।

19–(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :– प्रबन्ध बोर्ड

(क) कुलपति,

(ख) निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश;

(ग) जगद्गुरू रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो व्यक्ति;

(घ) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य, प्रत्येक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से;

(ङ) प्रत्येक संकाय से एक आचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(च) विकलांग कल्याण विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नाम-निर्देशिती जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(3) कुल सचिव प्रबन्ध बोर्ड का सचिव होगा;

(4) प्रबंन्ध बोर्ड की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायं ।

विद्या परिषद

20–(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) कुल सचिव, जो सचिव होगा; और

(ग) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जायं ।

(2) विद्या परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों ओर अध्यादेशों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका पर्यवेक्षण करेगी ।

वित्त समिति

2!–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) वित्त अधिकारी;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायं ।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन रहते हुए समन्वय स्थापित करेगी और विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी ।

अन्य प्राधिकारी

22–विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं ।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

23–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकारी के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी ।

अध्याय–पाँच

परिनियम और अध्यादेश

24–इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियम परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन की और ऐसी इकाइयों के गठन की जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं, प्रक्रिया;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि की संक्रिया;

(ग) कुलपति, कुल सचिव, और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें और उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, समापन और उनकी पुनर्संरचना;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(ज) मानद् उपाधियों के प्रदान करने की प्रक्रिया;

(झ) विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में उपबन्ध;

(ञ) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, प्रक्रिया;

(ट) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से प्रभार्य शुल्क;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, फीस माफी, पदकों और पारितोषिकों का संस्थित करना;

(ड) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया;

(ढ) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना हो या जो विहित किये जायं ।

प्रथम परिनियम कैसे बनाए जायेंगे

25–प्रथम परिनियम जगदगुरू रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी ।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

26–व्यवस्थापक बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा ।

अध्यादेश

27–इस अधिनियम, नियमों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(झ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम नियमों या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों में उपबन्ध किये जायें ।

प्रथम अध्यादेश

28–(1) प्रथम अध्यादेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा बनाया जायेगा और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रथम अध्यादेश की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के भीतर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी ।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के प्रथम अध्यादेश के अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है वहां यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया है ।

29–राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से, नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सकेगी । अध्यादेशों को संशोधित करने की शक्ति

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

30–(1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी । कर्मचारियों की सेवा शर्तें

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे ।

(3) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

31–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई ऐसा छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम यथास्थिति कुलपति या प्राचार्य के आदेश द्वारा या विद्यापरिषद् के संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया हो और जो एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया हो, वह ऐसे आदेश या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील कर सकेगा जो यथास्थिति कुलपति, विद्यापरिषद् या प्राचार्य के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तिरत या उलट सकेगा । छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील की प्रक्रिया और माध्यस्थम्

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा और धारा 30 की उपधारा (2) से (4) तक के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस उपधारा के अधीन किये गये किसी निर्देश पर लागू होंगे ।

अपील करने का अधिकारी

32–विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध बोर्ड को, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध बोर्ड ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा ।

भविष्य एवं पेंशन निधियाँ

33–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जो विहित की जायं, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे ।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

34–यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

समितियों का गठन

35–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन, समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हों, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

36–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करना हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

सद्भावनापूर्व की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

37–कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

38–इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी,–

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायगी जो तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक बोर्ड में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ;

(घ) प्रथम प्रबन्ध बोर्ड, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायगा ।

स्थायी विन्यास निधि

39–(1) विश्वविद्यालय, कम से कम पांच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा ;

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी ;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा ;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी ।

सामान्य निधि

40–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात् :–

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) जगद्गुरू रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिये किया जायगा ।

विकास निधि

41–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) जगद्गुरू रामभद्राचार्य संस्थान द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ;

(ङ) और स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय ।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायगा ।

निधि का अनुरक्षण

42–धारा 39, 40 और 41 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

वार्षिक प्रतिवेदन

43–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किया जायगा और उसे व्यवस्थापक बोर्ड को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायगा ।

(2) व्यवस्थापक बोर्ड, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा ।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायगी ।

लेखा और संपरीक्षा

44–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलनपत्र प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की जिनका वितरण या संदाय किया गया है विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखों में प्रविष्टि की जायेगी ।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की सम्परीक्षा ऐसे सम्परीक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर की जायेगी, जैसी विहित की जाये ।

(3) सम्परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रति व्यवस्थापक बोर्ड को प्रस्तुत की जायगी ।

(4) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखा, तुलनपत्र और सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायगा और व्यवस्थापक बोर्ड उस पर अपने संप्रेक्षण के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

45–विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

जगद्गुरू रामभद्राचार्य संस्थान का विघटन

46–(1) जगद्गुरू रामभद्राचार्य संस्थान राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार जगद्गुरू रामभद्राचार्य संस्थान का विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण, पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय ।

जगद्गुरू रामभद्राचार्य संस्थान का विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

47–(1) धारा 46 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा ।

निर्देश जारी करने की शक्ति

48–राज्य सरकार की निम्नलिखित शक्तियां होंगी अर्थात्:–

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित किसी मामले के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना ।

(ख) किसी विषय पर परिनियम बनाने के लिये आदेश देना ।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन

49–(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को उसके द्वारा दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है या विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो एक मास से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय का परिसमापन क्यों न कर दिया जाय ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी ।

(4) जहाँ राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिये व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे ।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह सामधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसने इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के किन्हीं उपबन्धों या उनके अधीन जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है तो वह अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन करने का आदेश दे सकेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन किसी अधिसूचना को जारी करते समय राज्य सरकार चालू शिक्षण पाठ्यक्रम को समाप्ति तक के लिये विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन के लिये अग्रतर व्यवस्था करेगी ।

(8) उपधारा (7) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी । यदि विश्वविद्यालय की निधि, विश्वविद्यालय की अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी ।

(9) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ।

नियम बनाने की शक्ति

50–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

कठिनाइयों को दूर करना

51–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2001

52–(1) उत्तर प्रदेश जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–52 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जगदगुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोख्तार अन्सारी को पर्याप्त सुरक्षा दिये जाने की मांग

श्री उपाध्यक्ष जी–

श्री मोख्तार अंसारी जी कुछ कह रहे थे, कृपया अपनी बात कहें ।

श्री मोख्तार अंसारी–

मान्यवर, मेरी जान को अत्यधिक खतरा बना हुआ है । किसी भी समय कुख्यात एवं दो लाख रुपये के ईनामी अपराधी बृजेश सिंह एवं त्रिभुवन सिंह इस सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्रियों की साजिश के तहत मेरी हत्या कर सकते हैं । 15 जुलाई, 2001 को मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था जिसमें मैं बाल-बाल बच गया किन्तु मेरा सरकारी गनर व एक कार्यकर्ता जान से मारा गया और मेरे 10 लोग गम्भीर रूप से घायल हुए । इस समय मेरे पास केवल एक गनर है जो मेरी सुरक्षा के लिये अपर्याप्त है । लगभग दो माह पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर सुरक्षा बढ़ाने की यह मांग की थी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जीवनभय की रिपोर्ट आने के पश्चात् आपकी सुरक्षा में दो गनर और बढ़ा दिये जायेंगे । मेरे ऊपर हुए हमले में जो तीन लोग पहचाने गये उनके विरुद्ध एवं 15 हमलावरों के विरुद्ध नामजद एफ० आई० आर० थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में पंजीकृत है । एक हमलावर अनिल सिंह जिस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया । शेष दो लोग बृजेश सिंह एवं त्रिभुवन सिंह जो प्रदेश एवं अन्य कई राज्यों में दो दर्जन से अधिक केसों में वाण्टेड हैं और आज तक प्रदेश की पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकी है । इनके संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं और इनकी सांठगांठ पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से भी है । फर्जी पासपोर्ट भी इनके पास हैं ।

मान्यवर, मेरे ऊपर हुए जानलेवा हमले की घटना को बीते लगभग ढाई महीने का समय बीत गया है किन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया और न कोई सुराग ही मिला । अतः आपसे निवेदन है कि घटना की गम्भीरता को देखते हुए 15 जुलाई, 2001 को घटित घटना से संबंधित दर्ज केस की विवेचना उत्तर प्रदेश पुलिस के बजाय सी० बी० आई० से करायी जाय क्योंकि पुलिस इतने बड़े अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की क्षमता नहीं रखती है और न ही उन्हें गिरफ्तार करने में सफल हो पायेगी । अतः मान्यवर, मेरी आपसे बिनती है कि मेरी जान की रक्षा करें और मेरे ऊपर हमला करने वालों को शीघ्र गिरफ्तार कराने हेतु एस० टी० एफ० को जिम्मेदारी दें ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोख्तार अंसारी--

मान्यवर, मेरी जान को गम्भीर खतरा है । मैं रहूं या न रहूं । मैं चाहता हूं कि अपनी बात सदन में नोट करा दूं ताकि इतिहास इस बात का साक्षी रहे कि पूरे सदन के अन्दर एक विधायक द्वारा यह बात कही गयी, उसके द्वारा सुरक्षा की मांग की गयी । मेरे ऊपर ढाई महीने से पहले गोली चली है । मेरे साथी अस्पताल में हैं । आज तक मेरी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई । जबकि इसके पूर्व में

श्री राजनाथ सिंह जी ने मुझे तीन गनर दिये थे । लेकिन उसके बाद जो नई सुरक्षा नीति का शासनादेश हुआ है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनका शासनादेश जो था उसके अनुसार किसी को अतिरिक्त गनर नहीं दिया जायेगा, क्या मुख्यमंत्री जी उस आदेश का पालन करा रहे हैं । आज भी कई विधायक और अन्य लोगों को जो विधायक भी नहीं हैं 5-5, 6-6 सुरक्षा गार्ड दिये गये हैं । जैसा श्री दिनेश सिंह गूजर बुलन्दशहर, जावेद इलाहाबाद इत्यादि ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया माननीय अंसारी जी पहले मेरी बात सुन लें ।

श्री मोख्तार अंसारी–

मान्यवर, कुछ लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा दी गयी है, मेरे ऊपर हमला हो चुका है । मुझे भी पूर्व की भांति विशेष सुरक्षा दी जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें, आप बैठ जायें ।

मैं स्वयं चिन्तित हूं आपके ऊपर हमला हुआ था ।

श्री मोख्तार अंसारी–

मान्यवर, मेरे ऊपर जो हमला हुआ है, उस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडिया टूडे में कहा है कि इसमें बहुत से राजनीतिक लोग भी शामिल हैं । इसीलिये जिले के उच्चाधिकारी व मण्डल के आई० जी०, डी० आई० जी० ने इस घटना की जांच सी० बी० आई० से कराने की मांग की है और संदर्भ शासन को भेज दिया गया है । इस घटना में राजनीतिक लोग शामिल हैं । पुलिस उन लोगों को पकड़ने में सक्षम नहीं है । जिले के एस० पी० ने लिखकर के दिया है । इसलिये मांग करता हूं कि इस घटना की जांच हमारे ऊपर किये गये हमले की सी० बी० आई० द्वारा करायी जाये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये । मेरी मांग है कि बृजेश व त्रिभुवन को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी एस० टी० एफ० को सौंप दी जाये और एस० टी० एफ० टीम बनाकर उन अपराधियों को पकड़ने का काम करें जो 15 साल से फरार हैं और जिनके ऊपर 2-2 लाख का ईनाम है । उन अपराधियों ने आज से 10 साल पहले मेरे भाई श्री अफजाल अंसारी जो पांच बार सदन के सदस्य रह चुके हैं इन्हीं लोगों ने उन पर 1991 में आक्रमण किया था और 3 लोगों की उस हमले में हत्या हो गई थी उसमें मेरे भाई बाल-बाल बच गये थे । उन अपराधियों को पकड़ने के लिये टीम बना दी जाये अरुण कुमार डी० आई० जी० साहब को उस टीम का हेड बना दिया जाये तभी जाकर उन अपराधियों को पकड़ा जा सकेगा क्योंकि उनके पास इन अपराधियों के कुछ सुराग है । मान्यवर, इस निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि मुझे जेड० सुरक्षा बहाल की जाये ताकि मेरे जीवन की सुरक्षा हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह जो माननीय मोख्तार अंसारी जी के जो कागज आये हैं उसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास इस अनुरोध के साथ भेज दिया जायेगा कि कृपया एक विधायक का प्रश्न है, उनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करें और इस सिलसिले में जो भी जांच हो सी० बी० आई० से वह कृपया कराने का कष्ट करें । सरकार को यह निर्देश दिये जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(श्री लाल जी वर्मा का नाम पुकारे जाने एवं उनके बोलने के लिए न खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–52 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001

राज्य में महर्षि इन्स्टीट्यूट आफ क्रियेटिव इन्टेलिजेन्स, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 कहा जाएगा ।

(2) यह 7 अगस्त, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''विद्या परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् से है;

(ख) ''घटक महाविद्यालय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है;

(ग) ''तकनीकी शिक्षा परिषद्'' का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा–3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

(घ) "दूरस्थ शिक्षा पद्धति" का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से, यथा प्रसारण, दूर-दृष्य प्रसारण पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति से है;

(ङ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी हैं;

(च) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(छ) "छात्र निवास" का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हो;

(ज) "महर्षि संस्थान" का तात्पर्य महर्षि इन्स्टीट्यूट आफ क्रियेटिव इंटेलिजेन्स, ए–14, मोहन इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन, रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली से रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है;

(झ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ट) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में "प्राचार्य" का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत जहां प्राचार्य न हो वहां उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ठ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(ड) "अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी है;

(ढ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से है;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और इन्फारमेंशन टेक्नोलाजी अधिनियम, 2000 में परिभाषित शब्दों और पदों के अपने वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है ।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) महर्षि संस्थान को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा ।

(2) महर्षि संस्थान, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात् :–

(क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा जितना राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवश्यक समझती हो;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा;

(ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिये अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा;

(घ) प्रथम परिनियमावली और प्रथम अध्यादेश बनायेगा; और

(ङ) ऐसी अन्य शर्तें जैसी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय ।

(3) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि महर्षि संस्थान ने उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर लिया है वहां राज्य सरकार, महर्षि संस्थान को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्राधिकार प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर, महर्षि संस्थान, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से लखनऊ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा ।

(5) कुलाधिपति, कुलपति, व्यवस्थापक बोर्ड के सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पद धारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे ।

(6) उपधारा (4) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर महर्षि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित भूमि और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियां विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हों जायेंगी ।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

4–विश्वविद्यालय राज्य सरकार से, या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायता अनुदान या कोई अन्य वित्तीय सहायता के लिए हकदार न होगा ।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

5–विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

6–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होगी, अर्थात् :–

(क) सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों की सभी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित और प्रदान करना;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं स्वीकृत और प्रदान करना, जिन्होंने–

(एक) विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(दो) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अधीन शोध कार्य किया हो;

(घ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद् उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(ङ) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, छात्र सहायता वृत्तियाँ तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(च) ऐसी फीस और प्रभार को मांगना और प्राप्त करना जो यथास्थिति परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें;

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना;

(ज) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों की व्यवस्था करना ;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;

(ञ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपकृतियाँ, संदान और दान प्राप्त करना और न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना;

(ट) छात्र निवासों को संस्थित और अनुरक्षित करना और विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना;

(ठ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यवस्था करना;

(ड) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें;

(ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करना;

(त) अध्यापकों, मूल्याँककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, विचार गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

(थ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में प्रवेश के मानक अवधारित करना;

(द) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के छात्रों के लिए विशेष उपबन्ध करना;

(ध) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अधिकथित करना;

(न) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उधार लेना;

(प) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो ।

7–विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा भले ही वे किसी वर्ग, मत या लिंग के हों : विश्वविद्यालय में सभी वर्गों, जातियों और मतों की पहुंच होगी

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय, के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है ।

8–ऐसे छात्र से, जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सामान्यतः छात्र निवास में ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन निवास करेगा जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित की जायं । छात्रों का निवास

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :– विश्वविद्यालय के अधिकारी

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रति-कुलपति ;

(घ) संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(ङ) कुल सचिव ;

(च) वित्त अधिकारी ; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं ।

10–(1) कुलाधिपति को राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा । कुलाधिपति

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) कुलाधिपति का कार्यकाल तीन वर्ष या उससे अधिक ऐसी अवधि का होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय ।

(4) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदान की जाय ।

(5) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा ।

(6) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसी शक्तियां जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

कुलपति

11–(1) कुलपति, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विहित की जायं, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति ;

(ख) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ;

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य सरकार के सचिव ;

(घ) व्यवस्थापक बोर्ड के दो नाम-निर्देशिती जिनमें से एक को व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायगा ।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य विशिष्टयों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी ।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थीं, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चिय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट, उपान्तरित या उसे उलट सकेगा ।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किये जायं ।

प्रति-कुलपति

12–प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं ।

संकायों के संकायाध्यक्ष

13–संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो विहित किये जायं ।

कुल सचिव

14–(1) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी विहित की जायं ।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा ।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायं या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों ।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों ।

वित्त अधिकारी

15–वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायं या कुलाधिपति या कुलपति या कुल सचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों ।

अन्य अधिकारी

16–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा की निबन्धन और शर्तें और शक्तियां और कर्तव्य ऐसी होगी जैसी विहित की जायं ।

अध्याय–चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

17–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) व्यवस्थापक बोर्ड ;

(ख) प्रबन्ध बोर्ड ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं ।

व्यवस्थापक बोर्ड और उसकी शक्तियां

18–(1) व्यवस्थापक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलाधिपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) कुलपति जो सदस्य-सचिव होगा ;

(ग) महर्षि संस्थान द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन व्यक्ति ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नाम-निर्देशिती जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से निम्न श्रेणी का न हो ; और

(ङ) तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक शिक्षाविद् ।

2–व्यवस्थापक बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रशासनिक निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनर्विलोकन करना;

(ख) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;

(घ) नये या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या प्रथम परिनियमों को संशोधित या निरसित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के संबंध में विनिश्चय करना; और

(च) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये प्रस्तावों को अनुमोदित करना ।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड समय-समय पर ऐसे अन्तरालों पर जो छः माह से अधिक नहीं होगा, ऐसे समय और स्थान पर जैसा कुलाधिपति उचित समझे, बैठक करेगा ।

19—(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :— प्रबन्ध बोर्ड

(क) कुलपति;

(ख) तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक नाम-निर्देशिती;

(ग) महर्षि संस्थान द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो व्यक्ति;

(घ) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य, प्रत्येक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से;

(ङ) प्रत्येक संकाय से एक आचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा;

(च) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नाम-निर्दशिती जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) कुल सचिव, प्रबन्ध बोर्ड का सचिव होगा ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायं ।

विद्या परिषद्

20–(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) कुल सचिव, जो सचिव होगा ; और

(ग) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जायं ।

(2) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका पर्यवेक्षण करेगी ।

वित्त समिति

21–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) वित्त अधिकारी ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी ;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जायं ।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन रहते हुए समन्वय स्थापित करेगी और विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी ।

अन्य प्राधिकारी

22–विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं ।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

23–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकारी के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी ।

अध्याय–पांच

परिनियम और अध्यादेश

परिनियम

24–इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन की और ऐसी इकाइयों के गठन की जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं, प्रक्रिया ;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि की संक्रिया ;

(ग) कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें और उनकी शक्तियां एवं कृत्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा की शर्तें ;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया ;

(च) विभागों और संकायों का सृजन, समापन और उनकी पुनरसंरचना ;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति ;

(ज) मानद् उपाधियों के प्रदान करने की प्रक्रिया ;

(झ) विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के संबंध में उपबन्ध ;

(ञ) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, प्रक्रिया ;

(ट) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से प्रभार्य शुल्क ;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, फीस, माफी, पदकों और पारितोषकों को संस्थित करना ;

(ड) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया ;

(ढ) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना हो या जो विहित किये जायं ।

प्रथम परिनियम कैसे बनाए जायेंगे

25–प्रथम परिनियम महर्षि संस्थान द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी ।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

26–व्यवस्थापक बोर्ड राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा ।

अध्यादेश

27–इस अधिनियम, नियमों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना ;

(घ) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदक तथा पारितोषक प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य ;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ;

(झ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम, नियमों या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों में उपबन्ध किये जायें ।

प्रथम अध्यादेश

28–(1) प्रथम अध्यादेश महर्षि संस्थान द्वारा बनाया जायेगा और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रथम अध्यादेश की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के भीतर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी ।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रथम अध्यादेश के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है वहां यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया है ।

अध्यादेशों को संशोधित करने की शक्ति

29–राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद्, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सकेगी ।

अध्याय–छः

प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

30–(1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जायेगी ।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे ।

(3) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील की प्रक्रिया और माध्यस्थम्

31–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई ऐसा छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम यथास्थिति कुलपति या प्राचार्य के आदेश द्वारा या विद्या परिषद् के संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय की नामावलि से हटा दिया गया हो और जो एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया हो, वह ऐसे आदेश या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील कर सकेगा जो यथास्थिति कुलपति, विद्यापरिषद् या प्राचार्य के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा और धारा 30 की उपधारा (2) से (4) तक के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस उपधारा के अधीन किये गये किसी निर्देश पर लागू होंगे ।

अपील करने का अधिकार

32–विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध बोर्ड को, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध बोर्ड ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट उपान्तरित या उलट सकेगा ।

भविष्य एवं पेंशन निधियां

33–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जो विहित की जायं, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे ।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

34–यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

समितियों का गठन

35–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन, समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहां ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय संबंधित प्राधिकारी का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

36–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करना हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

सद्भावना पूर्व की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

37–कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी ।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

38–इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी,

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी पांच वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा ;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी जो तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेंगे ;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक बोर्ड में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ;

(घ) प्रथम प्रबन्ध बोर्ड, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा ।

स्थायी विन्यास निधि

39–(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा ;

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी ;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा ;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी ।

सामान्य निधि

40–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) महर्षि संस्थान द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्यय के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

41–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) महर्षि संस्थान द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान;

(ङ) और स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय ।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा ।

नधि का अनुरक्षण

42–धारा 39, 40 और 41 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक बोर्ड के सिमान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

वार्षिक प्रतिवेदन

43–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक बोर्ड को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) व्यवस्थापक बोई, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा ।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी ।

लेखा और संपरीक्षा

44–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोदभूत या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की जिनका वितरण या संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखों में प्रविष्टि की जायेगी ।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की सम्परीक्षा ऐसे सम्परीक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर की जायेगी जैसी विहित की जाये ।

(3) सम्परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति व्यवस्थापक बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी ।

(4) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन-पत्र और सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक बोर्ड उस पर अपने संप्रेक्षण के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

45–विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

महर्षि संस्थान का विघटन

46–(1) महर्षि संस्थान राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि कि अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा परिषद् से परामर्श करके, महर्षि संस्थान के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय ।

महर्षि संस्थान के विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

47–(1) धारा 46 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा ।

निदेश जारी करने की शक्ति

48–राज्य सरकार की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :–

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित किसी मामले के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना ।

(ख) किसी विषय पर परिनियम बनाने के लिये आदेश देना ।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन

49–(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को उसके द्वारा दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है या विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो एक मास से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय का परिसमापन क्यों न कर दिया जाय ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जाँच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी ।

(4) जहां राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिये व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे ।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध ने विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसने इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के किन्हीं उपबन्धों या उनके अधीन जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है तो वह अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन करने का आदेश दे सकेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन किसी अधिसूचना को जारी करते समय राज्य सरकार चालू शिक्षण पाठ्यक्रम को समाप्ति तक के लिये विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन के लिये अग्रतर व्यवस्था करेगी ।

(8) उपधारा (7) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी । यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय की अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पतियों का व्ययन कर सकेगी ।

(9) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

50–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

कठिनाइयों को दूर करना

51–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिंनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2001

52–(1) उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–52 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–8 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

अध्याय–2

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 11–ग का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11–ग में, उपधारा (3) निकाल दी जायेगी ।

धारा 12–ख का प्रतिस्थापन

3–मूल अधिनियम की धारा 12–ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"12–ख (1) कार्य सम्पादन के लिये, ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतया

ग्राम पंचायत की बैठकें

प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी, किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नहीं होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा ।"

(2) ग्राम पंचायत की बैठकें ऐसे स्थान पर, और ऐसी रीति से, आयोजित की जायेगी, जैसी नियत की जाय ।

धारा 14 का संशोधन

4–धारा 14 में,–

(क) शीर्षक में शब्द "तथा उपप्रधान" निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(1) ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाय और जिसकी कम से कम पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रधान को हटा सकती है ।"

(1–क) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों से होगी ।

(ग) उपधारा (3) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायेंगे ।

नई धारा 14–ख का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 14–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"14–ख (1) ग्राम पंचायत ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई जाए और जिसकी कम से कम पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम पंचायत के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उपप्रधान को हटा सकती है ।

उपप्रधान का हटाया जाना

(2) उपप्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी ।

(3) यदि बैठक में प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाये तो उसी उपप्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से दो वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी ।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपप्रधान को हटाने की प्रक्रिया भी है, जो ऐसी बैठक में अनुसरित की जाय, वही होगी जो नियत की जाए ।"

अध्याय–3

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–33 सन् 1961 की धारा 61 का संशोधन

6–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 61 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"(1) कार्य सम्पादन के लिये, प्रति दो मास में जिला पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी जिला पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा ।"

धारा 84 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 84 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) कार्य सम्पादन के लिए, प्रति दो मास में क्षेत्र पंचायत की कम से कम एक बार बैठक होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघटन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा ।"

धारा 239 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 239 में, उपधारा (2) में सूची में, सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा से सम्बन्धित मद "च" में खण्ड (क) निकाल दिया जायेगा ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–8 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–7 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959 की धारा 12 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) उप नगर प्रमुख, सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् या किसी उपनगर प्रमुख की पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचित सभासदों में से निर्वाचित किया जायेगा ।" ;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(3) उप नगर प्रमुख, निगम के नगर प्रमुख, सभासदों, पदेन सदस्यों और नाम-निर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़–शलाका द्वारा होगा ।

(3–क) उपधारा (3) के अधीन किसी निर्वाचन में अधिकतम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जायगा और मत बराबर होने की दशा में निर्वाचन अधिकारी लाट द्वारा यह विनिश्चय करेगा और उस व्यक्ति को निर्वाचित घोषित करेगा जिस पर लाट पड़ा हो ।''

धारा 46 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 46 में, खण्ड (घ) में शब्द ''सभासदों'' के स्थान पर शब्द ''धारा 12 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट निर्वाचक मण्डल'' रख दिये जायेंगे ।

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 53 का संशोधन

4–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 53 में, उपधारा (1) में शब्द ''किसी उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''उपाध्यक्ष'' रख दिया जायेगा ।

धारा 54 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 54 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

''(1) प्रत्येक नगरपालिका में एक उपाध्यक्ष होगा जो नगरपालिका के अध्यक्ष, निर्वाचित सदस्यों, पदेन सदस्यों और नाम-निर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डल द्वारा नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़-शलाका द्वारा होगा ।

(1–क) उपधारा (1) के अधीन किसी निर्वाचन में अधिकतम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जायगा और मत बराबर होने की दशा में निर्वाचन अधिकारी लाट द्वारा विनिश्चय करेगा और उस व्यक्ति को निर्वाचित घोषित करेगा जिस पर लाट पड़ा हो ।'' ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''किसी भी उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''उपाध्यक्ष'' रख दिया जायेगा ;

(ग) उपधारा (3) में शब्द ''कोई उपाध्यक्ष'' के स्थान पर शब्द ''उपाध्यक्ष'' रख दिया जायेगा ।

धारा 54–क का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 54–क में,–

(क) शीर्षक में शब्द ''और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया'' निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) वर्तमान उपधारा (1) की धारा 54–क के रूप में पुनः संख्याकित किया जायगा ; और

(ग) उपधाराएं (2) से (9) निकाल दी जायगी ।

धारा 55 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 55 में उपधारा (2) निकाल दी जायेगी ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–7 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी मध्यावर्ती जनपद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना के संबंध में श्री संजय गर्ग आदि द्वारा दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा का स्थगन

(श्री संजय गर्ग, श्री विजय पाल सिंह, चौधरी बाबू लाल का नाम चर्चा प्रारम्भ करने के लिये पुकारे जाने एवं चर्चा प्रारम्भ न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस चर्चा को स्थगित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यावधि के संबंध में श्री प्रमोद कुमार के औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

कल दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–300 के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यावधि के संबंध में प्रश्न उठाया था । इस सूचना पर माननीय प्रमोद कुमार एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त मैंने अपनी व्यवस्था आज दिनांक 28 सितम्बर, 2001 को देने को कहा था ।

नियम–300 की उपरोक्त सूचना के द्वारा उठाया गया विषय दिनांक 2 मई, 2001 को भी इस सदन में उठाया गया था और उस पर मैंने निम्नलिखित व्यवस्था दी थी :–

"मा० डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह जी और प्रमोद कुमार जी को इस सूचना के समर्थन में और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को शासन की ओर से सुनने के पश्चात मैं समझता हूं कि चूंकि यह प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, इसलिये इस पर कोई व्यवस्था देना इस समय उचित नहीं प्रतीत होता है । यह बौद्धिक प्रश्न है, अच्छा है और माननीय कुंवर साहब ने और अन्य माननीय सदस्य ने विद्वतापूर्वक अपने विचार रखे हैं । इस विषय पर संविधान एवं नियमों के निर्वचन के बारे में मैं समझता हूं कि प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने के कारण इस प्रश्न को अग्राह्य ही किया जाना उचित होगा, इसलिये मैं इस प्रकरण को अग्राह्य करता हूं ।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यावधि के प्रश्न से सम्बन्धित प्रकरण अभी भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है । अतः मैं अपनी दिनांक 2 मई, 2001 की व्यवस्था के अनुसार आज भी उक्त प्रकरण के उच्च न्यायालय में लम्बित रहने के कारण मेरा इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था देना उचित नहीं है । अतः मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में निर्णय ले लिया गया है :–

1–श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री के० के० अग्रवाल, सहायक अभियन्ता (विद्युत) तथा खलील उल्लाह, अवर अभियन्ता (विद्युत) के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 15 मई, 2000,

2–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी, बागपत के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 21 अक्टूबर, 2000,

3–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अल्संख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना, दिनांक 17 मई, 2000,

उपर्युक्त सभी मामलो में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें अग्राह्य कर दी गई है ।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन की आज की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे ।

लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता श्री के० के० अग्रवाल तथा अवर अभियन्ता श्री खलील उल्लाह के विरुद्ध श्री जगदीश नारायण राय द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मई, 2001 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63 के अन्तर्गत अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना में यह कहा है कि लखनऊ स्थित ओ०सी०आर० कालोनी में उन्हें आवंटित कक्ष संख्या–बी–102 की बिजली खराब होने पर उन्होंने अपने नौकर को सम्बन्धित कर्मचारियों को बुलाने कई बार भेजा परन्तु कोई भी कर्मचारी बुलाने से नहीं आया । अब उक्त नौकर को पुनः भेजा गया तो सहायक इंजीनियर श्री अग्रवाल तथा जूनियर इंजीनियर श्री खान ने उसके (नौकर) साथ अभद्र व्यवहार किया तथा यह भी कहा कि "बहुत विधायक देखें हैं जब मेरी मर्जी होगी तब बिजली ठीक करवायेंगे ।" मा० सदस्य का यह कहना है कि उस समय सत्र चल रहा था और विधायक के रूप में सदन सम्बन्धी कार्यों की तैयारी उन्हें करनी पड़ती थी बिजली खराब होने के कारण उनके कार्यों में व्यवधान हुआ । मा० सदस्य ने उक्त दोनों अभियन्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है ।

इस संबंध में मा० लोक निर्माण मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी । मा० मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि मा० सदस्य के कक्ष में बिजली से संबंधित कमियां उसी दिन दूर की गयी थी किन्तु मा० सदस्य से सम्पर्क नहीं किया गया था । मा० मंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले में की गयी जांच से यह पाया गया है कि प्रश्नगत अभियंताओं ने अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरती है । उनके इस कृत्य के लिए श्री के०के० अग्रवाल सहायक अभियन्ता को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 फरवरी, 2001 द्वारा परिनिन्दित कर दिया गया है तथा श्री खलील उल्लाह, अवर अभियन्ता को परिनिन्दित करने के लिए प्रमुख अभियन्ता को निर्देशित कर दिया गया है । उक्त दोनों कार्मियों को ओ०सी०आर० से अन्यंत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही भी की जा रही है ।

समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के संकलन (मार्च, 69 से दिसम्बर, 78 तक) के निर्णय संख्या–35 तथा 48 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सदन के बाहर की बातचीत अदालत का प्रश्न तो बन सकती है पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकती है, साथ ही किसी अधिकारी द्वारा किसी सदस्य के संबंध में किया गया व्यवहार या कहे गये शब्द यदि उनका संबंध सदन के किसी कार्य

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से नहीं है तो विशेषाधिकार की अवहेलना की परिधि में नहीं आता है । प्रश्नगत प्रकरण में मा० सदस्य के आवास पर बिजली की खराबी तथा इस संबंध में मा० सदस्य के नौकर के साथ हुई कथित अभद्रता का मा० सदस्य के सदन तथा उनकी समितियों के किसी कार्य से संबंधित नहीं कहा जा सकता है । अतः मैं प्रश्नगत सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना के रूप में अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

जिलाधिकारी, बागपत के विरुद्ध श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[माननीय श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बागपत के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 21 अक्टूबर, 2000 को अभिसूचित की है ।

माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 18 अक्टूबर 2000 को दोपहर को 12.45 बजे जब हम चीनी मिल गेस्ट हाउस मलकपुर–बागपत में बैठे हुये थे उसी समय जिलाधिकारी, बागपत वहां आये और उन्होंने स्थानीय समाचार-पत्रों में विकास कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी बागपत द्वारा की जा रही शिथिलता के संबंध में उनके (मा० सदस्य) द्वारा दिये गये बयान पर कड़ी आपत्ति करते हुए उनके साथ अमर्यादित आचरण किया तथा उनसे कहा कि "यदि मैं जिलाधिकारी, बागपत रहा तो तुम्हें चुनाव नहीं जीतने दूंगा" । उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया तथा धमकी देते हुये कहा कि "अब मैं देखूंगा कि तुम कैसे नैता गिरी करोगे" । माननीय सदस्य ने अपनी उक्त सूचना में जिलाधिकारी, बागपत को विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का दोषी मानते हुये उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग की है ।

उक्त प्रसंग में माननीय सदस्य के पत्र की छाया प्रति तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री को भेज कर संबंधित अधिकारी का अभिकथन/वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी, जो माननीय आबकारी एवं मद्य निधेष मंत्री के पत्र दिनांक 29 मई, 2001 के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है । प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, बागपत ने अपने अभिकथन में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 के दैनिक समाचार-पत्र दैनिक अमर उजाला में जिलाधिकारी पर विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का आरोप शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था जिसमें श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना सदस्य, विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी, बागपत की कार्य-प्रणाली की तीखी आलोचना करते हुए उन पर विकास कार्यों को अवरुद्ध करने, विधायक निधि जे०आर०-वाई० तथा एस०आर०वाई० योजनाओं में धन स्वीकृत होने के बाद भी कार्य न कराये जाने, जनपद में कानून व्यवस्था चौपट करने के कतिपय आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को हटाने तथा इस संबंध में विधान सभा में आवाज उठाये जाने का उल्लेख किया गया था । इस संबंध में जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 को मलकपुर चीनी मिल के पेराई सत्र कार्यक्रम में भाग लेने हेतु जब वे गये थे तो गेस्ट हाउस में वहां

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपस्थित कतिपय अन्य व्यक्तियों, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने अभिकथन में किया है, वे साथ उनकी भेंट माननीय सदस्य श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना से हुई थी । उन्होंने माननीय सदस्य से ससम्मान एवं नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 को प्रकाशित उक्त समाचार के संबंध में जो कार्य नहीं हो रहे हैं, उसकी सूची माननीय सदस्य उन्हें दे दें ताकि अधिशासी अभियन्ता को अपने स्तर से लिख कर वह उनके द्वारा बताये गये कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास कर सकें । जिलाधिकारी, बागपत ने अपने अभिकथन में यह भी उल्लेख किया है कि माननीय सदस्य से उनकी वार्ता हंसी-खुशी के वातावरण में हुई थी । जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया है कि उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं जनता को सदैव ही सम्मान दिया गया है एवं व्यक्तिगत रुचि लेकर समस्याओं का निराकरण कराकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है ।

इस संबंध में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन (मार्च, 1969 से दिसम्बर, 1978 तक) के पृष्ठ 120 क्रम संख्या–4 पर दिया गया निर्णय उल्लेखनीय है जिसके अनुसार "किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार विशेषाधिकार का प्रश्न तभी बन सकता है जब वे सदन के सदस्य की हैसियत से किये जाने वाले किसी कार्य के संबंध में उससे मिले हो । इसी प्रकार, उक्त संकलन के पृष्ठ 131 क्रम संख्या–48 में यह कहा गया कि "किसी अधिकारी द्वारा किसी सदस्य के संबंध में किया गया व्यवहार या कहे गये शब्द, यदि उनका संबंध सदन के किसी कार्य से नहीं है, विशेषाधिकार अवहेलना की परिधि में नहीं आते हैं ।" प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य की जिलाधिकारी, बागपत से सदन के सदस्य की हैसियत से किये जाने वाले किसी कार्य के संबंध में वार्ता नहीं हुई थी । अतः वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । अतः मा० श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा की उपर्युक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं किन्तु मा० संसदीय कार्य मंत्री से अपेक्षा करता हूं कि शासन स्तर से इस आशय के निर्देश जारी किये जायें कि अधिकारियों द्वारा मा० सदस्यों के प्रति पूर्ण शिष्ट एवं सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शित किया जाय ।]

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री के विरुद्ध श्री बुनियाद हुसैन अंसारी द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–63 के अन्तर्गत माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 17 मई, 2000 को अभिसूचित की है ।

माननीय सदस्य का कथन है कि सदन में 13 मई, 2000 को नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा के दौरान राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा यह कहा गया था कि हाजियों की सुविधा हेतु हज हाउस बनाने के लिये भूमि क्रय के लिये 25.00 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है और भूमि का कहीं कोई अता-पता नहीं है । माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण ने सदन को गुमराह करते हुये सदन में यह उत्तर दिया था कि इस प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है । माननीय सदस्य ने सदन में दिये गये उक्त कथन को असत्य बताते हुये इस मामले में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न के रूप में कार्यवाही किये जाने की मांग की है ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त प्रसंग में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी । माननीय राज्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 10 अप्रैल, 2001 द्वारा यह सूचित किया है कि हाज़ियों की सुविधा हेतु हज हाउस बनाने के संबंध में दिनांक 13 अगस्त, 1998 को रेलवे स्टेशन, चारबाग के समीप व रवीन्द्रालय से मिली हुई खसरा नं० 5798 क्षेत्रफल 72 हजार वर्गफुट के भूखण्ड का क्रय अनुबन्ध डा० मौलाना अब्दुल कय्यूम खान, 9–कैन्ट रोड, लखनऊ से किया गया था, परन्तु इस भूखण्ड के क्रय अनुबन्ध में अंकित अग्रिम भुगतान के रूप में किसी भी धनराशि का भुगतान राज्य हज समिति द्वारा नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश हज कमेटी में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार डा० मौलाना अब्दुल कय्यूम खान के पक्ष में हज कमेटी कार्यालय द्वारा चेक संख्या–986387 दिनांक 13 अगस्त, 1998 इण्डियन ओवरसीज बैंक, अमीनाबाद, लखनऊ द्वारा तैयार अवश्य किया गया था, परन्तु उसे श्री खान को हस्तगत नहीं कराया गया था, इसलिये 25.00 लाख रुपये का भुगतान नहीं हुआ और यही सूचना उनके द्वारा सदन में दी गई थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में माननीय राज्य मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सही था ।

अतः वर्णित स्थिति में माननीय सदस्य की सूचना में उल्लिखित तथ्यों एवं इस संबंध में माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज से प्राप्त अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नगत सूचना में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का कोई प्रश्न अर्न्तग्रस्त नहीं है । अतः मैं उपर्युक्त सूचना को अग्राह्य करता हूं ।]

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 28 सितम्बर, 2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई अग्राह्य सूचनाओं को छोड़ते हुये सभी 26 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(नियम–311 में प्राप्त) 1–श्री राजा रामपाल–जनपद उन्नाव थाना अजगैन के ग्राम मकदूमपुर चूर्मा निवासी श्री अजय कुमार की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(नियम–300 में प्राप्त) 2–श्री आनन्द प्रकाश–जनपद फैजाबाद के तहसील बीकापुर के ग्राम समाज की भूमि पर श्री राम अवतार तिवारी द्वारा अवैध कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

3–श्री जगदीश नारायण राय–वाराणसी रेन्ज के जनपद जौनपुर तथा अन्य जिलों में इन्सपेक्टरों की नियुक्ति शासनादेश के विरुद्ध किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

4–श्री विजय पाल सिंह–जनपद आगरा में भू-गर्भीय जल स्तर में निरन्तर गिरावट होने से, को रोकने हेतु खारी नदी व उटगन नदी पर छोटे-छोटे जल संचय बांधों के निर्माण के संबंध में ।

5–श्री दीपलाल भारती–जनपद कुशीनगर के ग्राम रामपुर मोनहा में चकबन्दी प्रक्रिया पैमाइश पूर्ण कराने के संबंध में ।

6–श्री प्रदीप कुमार–प्रदेश के पी०सी०एस० के अतिरिक्त अधिकारियों सहित आई०ए०एस० में नामित किये जाने में मानक का निर्धारण किये जाने के संबंध में ।

7–श्री स्वामी रामस्वरूप शर्मा–उ० प्र० पुलिस विभाग की रेडियो शाखा के अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतनमान विसंगतियां दूर करने के संबंध में ।

8–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–उ० प्र० में पी०सी०एस० संवर्ग के अधिकारियों की आई०ए०एस० में पदोन्नति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(नियम–56 में प्राप्त)

9–श्री उबैदुर्रहमान–जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में स्वीकृत पुलिया व मार्गी निर्माण में विलम्ब व कार्य न कराये जाने के संबंध में ।

10–श्री बाबू लाल कुशवाहा–चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदों में अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

11–श्री रनधीर सिंह–प्राचार्य राजकीय नेशनल होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय गोमतीनगर के विरुद्ध गंभीर लम्बित शिकायतों के संबंध में ।

12–श्री अजय कुमार पोइया–जनपद मथुरा स्थित मथुरा कृषि उत्पादन मण्डी समिति के सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

13–श्री श्रीराम पाल–कालपी हमीर स्टेट हाईवे की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

14–श्री रघुवर दयाल वर्मा–जनपद फिरोजाबाद में भू-गर्भ जल स्तर की गिरावट के कारण हैण्ड पम्पों को रिबोर कराये जाने के संबंध में ।

15–श्री भाई लाल–जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत लहुरिया दह भयहोड़ बलाय पहाड़ में खनन कार्य न खोले जाने पर मजदूरों के भुखमरी की कगार पर आने के संबंध में।

16–श्री कृष्ण पाल सिंह–लखनऊ महानगर में पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संरक्षण प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

17–चौधरी बाबू लाल–जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नगला विशुन सिंह के श्री सियाराम व अन्य द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

18–श्री वीरेन्द्र सिंह–जनपद मैनपुरी के गांव गुलाबपुर निवासी श्री बांके लाल को पट्टा की गई भूमि पर प्रशासन द्वारा कब्जा न दिलाये जाने के संबंध में।

19–श्री अशोक कुमार सिंह–प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत पावर कारपोरेशन के उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी अराजकता एवं भ्रष्टाचारियों को दिये जा रहे संरक्षण के संबंध में।

20–श्री शिव सिंह चक–जनपद उन्नाव के ग्राम चिन्ताखेड़ा मौरावां निवासी श्री देवतादीन के जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में।

21–श्री क़ोविद कुमार सिंह–जनपद शाहजहांपुर में तैनात कर्मचारियों/अधिकारियों (प्रशासनिक) द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार के संबंध में।

22–श्री जय प्रकाश–माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद एवं वाराणसी के भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में।

23–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–थानाध्यक्ष, मेजा, चौकी इन्चार्ज सिरसा, जिला इलाहाबाद द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने तथा संभ्रान्त लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाये जाने के संबंध में।

24–श्री समरपाल सिंह–जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड ऊंट के ग्राम सभा के ग्राम प्रधान श्रीमती रामवती द्वारा जे०आर०वाई० राज्य वित्त, दशम् वित्त की धनराशि की खुली लूट के संबंध में।

25–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–जनपद बांदा में तहसील सदर बांदा के ग्राम गुगौली के लेखपाल द्वारा पट्टा करने व राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम पर पैसा वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(नियम–56 में प्राप्त)

26–श्री राम अचल राजभर–जनपद अम्बेडकर नगर के थाना जैदपुर के ग्राम सिंधीपुर में पुलिस एवं गुण्डों द्वारा गांव के दलितों तथा अन्य पिछड़ों वर्ग के लोगों की पिटाई करने एवं घरों को आग लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :–

1–श्री सतीश जतारिया, 2–श्री रामअचल राजभर, 3–श्री उबैदुर्रहमान।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य श्री उबैदुर्रहमान तथा श्री राम अचल राजभर द्वारा क्रमशः एक ही विषय पर दोहरी सूचनाएं प्राप्त होने के कारण एक-एक स्वीकार तथा एक-एक अस्वीकार हुईं।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठने से पहले राष्ट्र-गान करेंगे ।

जन–गण-मन–अधिनायक जय हे ।

भारत–भाग्य–विधाता ॥

पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा

द्राविड़–उत्कल–बंग ।

बिन्ध्य–हिमांचल–यमुना–गंगा,

उच्छल–जलधि–तरंग ॥

तब शुभ नामे जागे,

तब शुभ आशिष मांगे ॥

गाहे तब जय गाथा ॥

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत–भाग्य विधाता ॥

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे ॥

श्री अध्यक्ष–

और अब हम अनिश्चितकाल तक के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 3 बजकर 16 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

दिनांक 28 सितम्बर, 2001 सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

लखनऊ जल संस्थान में कैशियर के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25-5-1998 को हुई परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले लिपिकों तथा अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची :–

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पद नाम	नियुक्ति की तिथि	अर्हता
1	श्री राज कुमार	वरिष्ठ लेखा लिपिक	08-1-97	बी० काम
2	श्री लेखराज	लेखा लिपिक	08-1-97	इण्टरमीडिएट
3	श्री सूर्य प्रकाश	द्वितीय श्रेणी लिपिक	20-2-90	बी० ए०
4	श्री जबर सिंह	द्वितीय श्रेणी लिपिक	31-3-98	बी० ए०
5	श्री श्रीपाल	द्वितीय श्रेणी लिपिक	01-4-98	एम० ए०
6	श्री रामाश्रय राम	करसंचयक	01-3-94	इण्टरमीडिएट
7	श्री जोखू लाल	पम्प चालक	07-6-93	बी० काम
8	श्री राज कुमार	सी० सफाई कर्मचारी	06-6-89	इण्टरमीडिएट
9	श्री राजेश कुमार आर्या	दै०वे०भो० गैंगमैंन	11-7-90	इण्टरमीडिएट

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

वर्ष 1996-97, 1997-98, 98-99 तथा 99-2000 में निम्नलिखित तालिका के अनुसार विकास खण्ड–खण्डपवई, फूलपुर एवं अहरौला में अम्बेडकर ग्राम चंयनित किये गये ।

विकास खण्ड

वर्ष	पवई	फूलपुर	अहरौला
1996-97	बागवहार	रम्मोपुर	गजन्धर पट्टी भदौरा
	सरायपुल	अमरेथू	कुसमहरा
		खडसहनकला	
1997-98	कछारा	कटार	भैरोपुर दरगाह
	कलाफतपुर	गोबरहा	शंकरपुर
	सुलेमापुर	शेखपुर पिपरी	खजुरी
	खण्डौरा	मीर अहमद शहजादा	
	शाह मर्दान	डीहपुर	
1998-99	मित्तूपुर	पूक	ओरिल
	कोहड़ा	खान जहांपुर	महुला खास
	सुम्माडीह	यदरपुर बरौली	पकड़ी
	हमीरपुर		शम्भूपुर
			लेदौरा
1999-2000	बेलई	1. पत्थी	1. विशुनपुरा
	खैरूद्दीनपुर अलीआजिम	2. दुवांवा	2. खुरासो
	निजामपुर	3. कनेरी	3. गहजी
	गोधना		
	नदेसर		
	बेलवाई		
	बखरिया		

राधेश्याम,
राज्य मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 410 विधान सभा (675)–2001–813 प्रतियां ।